खण्ड-351, अंक-2
सोमवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1903
(30 मार्च, 1981 ई0)

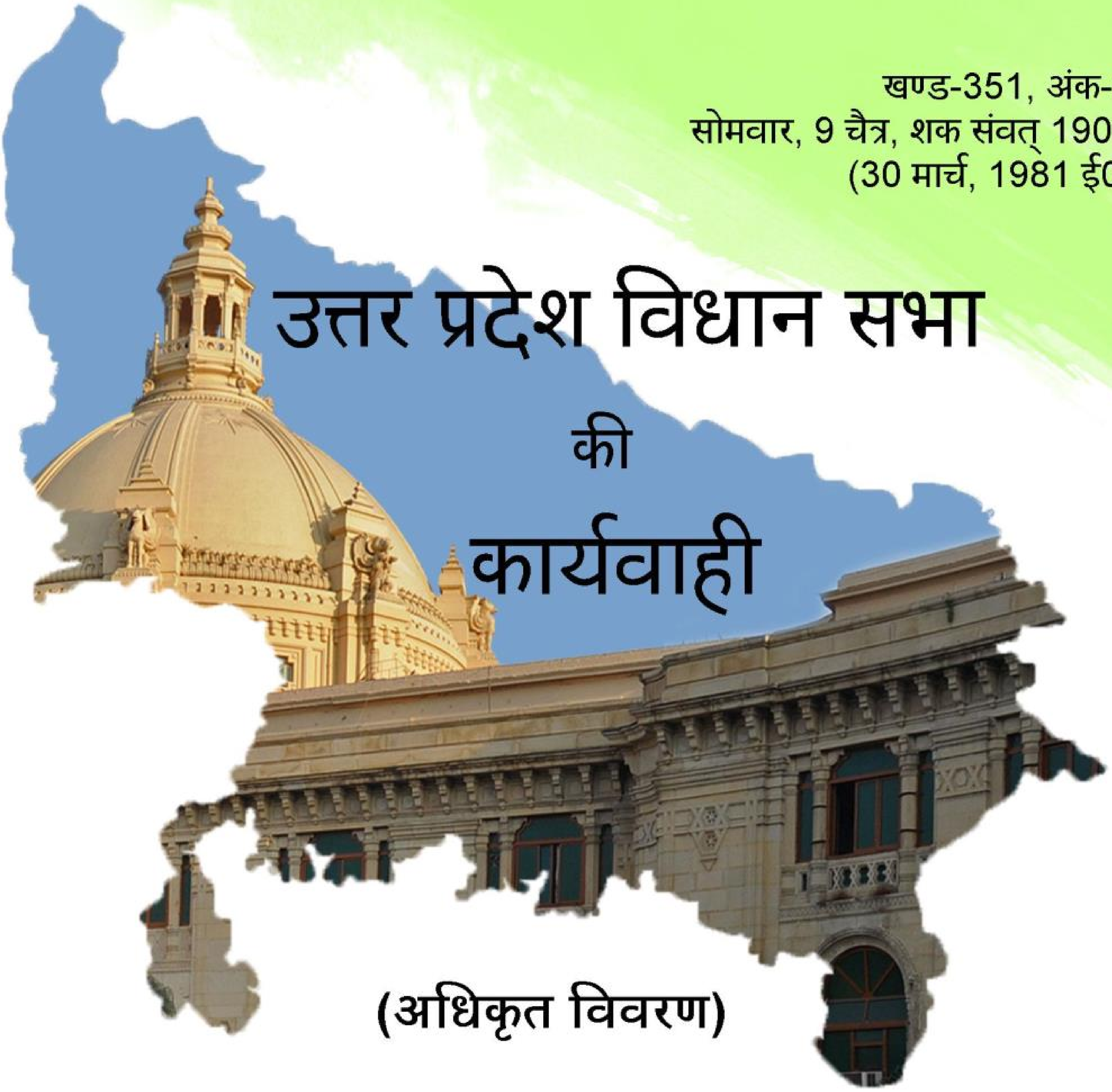

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 351 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
श्रीमती गौरी देवी द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की सूचना पर जानकारी की मांग	169
लखनऊ मेडिकल कालेज के जूनियर डाक्टरों पर पुलिस द्वारा किए गये लाठी चार्ज के फलस्वरूप जूनियर डाक्टरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	169–170
लखनऊ नगर के थाना अमीनाबाद, थाना कैसरबाग तथा थाना नाका हिंडोला के अन्तर्गत एक ही दिन में तीन व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य	170–172
उरई, जिला जालौन के अन्तर्गत थाना चुर्खी के थानाध्यक्ष, एक सब इंसपेक्टर तथा एक सिपाही की डकैतों द्वारा मौत के घाट उतार देने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	172–174
दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना	174–175
नत्थियां	177–178

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

बिहार मदरसा सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 30 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थिति सदस्य 319

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोण्डा)
अजहर इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार अहमद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री(उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उमेश्वर प्रताप सिंह श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपु)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया) र
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादा बाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल रामदास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपीनाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरेलाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)

जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धूप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल कुमार श्री, (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)

भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
रामधनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)

लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव पाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नारायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सन्त बक्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीता राम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान पंडित, श्री (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोटः—मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 30 मार्च, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

कृषि विभाग के सीड स्टोर इंचार्जों की सेवाओं की समाप्ति

*1—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि विभाग में वर्ष 1976–77 में कितने सीड स्टोर इंचार्जों की सेवाएं समाप्त कर दी गयीं ? सेवा समाप्ति का आधार क्या रहा ? क्या ऐसे कर्मचारियों की भी सेवाएं समाप्त कर दी गईं जिनके सेवा सम्बन्धी मामले न्यायालय में विचाराधीन थे ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)

प्रश्न का पूर्ण उत्तर दिये जाने हेतु सूचना अभी सभी जिलों में स्थित कृषि के अधीनस्थ कार्यालयों से एकत्रित नहीं हो पायी है।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, पिछली असेम्बली में भी मैंने यह सवाल दिया था, उसके बाद फिर इसको पुनर्जीवित कराया। 15 दिन पहले इसको पुनर्जीवित किया गया। साधारण सा मेरा प्रश्न था कि 1976–77 में कितने सीड स्टोर इन्चार्जों की सेवा समाप्त की गयीं। इसमें जो लोग भ्रष्ट थे और निकाले जाने चाहिये थे, उनको न निकाल कर दूसरे अच्छे काम करने वाले लोगों को निकाल दिया।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी प्रश्न को टरकाना चाहते हैं। आप यह आश्वस्त करें कि इसका उत्तर आप दिलवा देंगे।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, इस प्रश्न के दो भाग हैं—पहले भाग का तो उत्तर आ गया, दूसरे भाग में जो यह सूचना मांगी गयी है कि उनमें कितने लोगों के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, उसका उत्तर कई जगह से आना है, इसलिये पूर्ण सूचना न होने के कारण इसका उत्तर देना सम्भव नहीं हो रहा है इस समय।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, जितनी सूचना हो उतनी तो दिलवा दें।

(मंत्री जी द्वारा कुछ देर फाइल देखने पर)

यह तो मान्यवर, चिट्ठी पत्री के मंत्री बनाये गये हैं, इस प्रश्न में इनको रुचि नहीं है।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

सूचना है अभी बता रहा हूं। मान्यवर, 1976–77 में 67 सीड स्टोर इन्चार्ज निकाले गये थे। अब इनमें से कितने लोगों ने मुकदमा दायर किया है यह सूचना नहीं है। इस लिये पूर्ण सूचना देने में असमर्थ हूं।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मैंने पिछली बार पूछा था, यह बलिया का ही मामला है जहां के मंत्री जी हैं। बलिया में एक कर्मचारी को सारी सुविधा क्रिमिनल कोर्ट में दिया लेकिन उनके जिला

कृषि अधिकारी बलिया ने नहीं दिया, उन्होंने बलिया में मुकदमा किया। तब पिछले दिसम्बर में बकाया वेतन के लिए जिला कृषि अधिकारी की जीप नीलाम पर चढ़ गयी थी, फिर उन्होंने जमा किया और जीप वापस लिया और उसी कर्मचारी के मामले में 27-3-81 को 505 कैपिटल ले-आउट इनका जो है, ट्रेजरी में वह नीलाम पर फिर चढ़ा है।

श्री अध्यक्ष--

जीप से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री नन्द किशोर सिंह--

जीप से इसका संबंध मान्यवर है। 1976-77 में जो लिस्ट डायरेक्टर के यहां से बनी थी वही लिस्ट ही पढ़वा दीजिए। मान्यवर, पांच लाख से ऊपर और 30 हजार की एक लिस्ट बनी थी, जिसमें में ऊपर से बर्खास्त न करके, नीचे से बर्खास्त किया गया था। मैं पूछना चाहता था कि इसका आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बताया कि 67 लोगों की सेवाएं समाप्त की गयी थीं।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक लिस्ट बनी थी जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे। एक लिस्ट बनी थी। जिसके खिलाफ 30 हजार और 5 लाख के मामले थे। 30 हजार वालों को तो निलम्बित कर दिया गया और 5 लाख वालों के खिलाफ, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध थे, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी। इसलिए इनका प्रश्न उठा कि अगर सदन के संज्ञान में यह बात आ जायेगी कि ऐसा क्यों किया गया, तो बात साफ हो जायगी।

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, केवल अभियोग लगाने से अभियोग प्रमाणित नहीं हो जाता। अभियोग जिनके खिलाफ था वह 67 कर्मचारी थे और उनको निकाल दिया गया। 67 कर्मचारियों के खिलाफ गबन के मामले थे। दूसरी सूचना जो है, वह जब पूर्ण हो जायगी और जब आप कहेंगे, तब माननीय सदन के सामने प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सहायक लेखाकार जनपद बुलन्दशहर का स्थानान्तरण

*2--श्री रियासत हुसैन--

क्या कृषि मंत्री को यह ज्ञात है कि चन्द्रपाल सिंह, सहायक लेखाकार जनपद बुलन्दशहर का स्थानान्तरण हो जाने के बाद भी उसको रिलीव नहीं किया गया जबकि इस जिले में वह पांच वर्ष से ज्यादा हो गये हैं और उनके विरुद्ध काफी शिकायतें भी हैं। यदि हां, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जी हां। श्री चन्द्रपाल सिंह, सहायक लेखाकार जनपद बुलन्दशहर को, जिनको इस जनपद में अभी 5 वर्ष नहीं हुए हैं, प्रशासकीय दृष्टिकोण से तथा उनकी पत्नी हृदय रोग की बीमारी का बुलन्दशहर में ही चिकित्सा कराने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर रिलीव नहीं किया गया और उनका स्थानान्तरण आदेश स्थगित कर दिया गया।

श्री रियासत हुसैन--

क्या जैसा माननीय मंत्री जी ने सवाल को डिनाई किया है, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि श्री चन्द्रपाल सिंह यादव ने बुलन्दशहर में कौन सी तिथि को ज्वाइन किया था ? क्या उनके खिलाफ कुछ शिकायतें भी हैं जिनकी जांच वगैरह भी की गयी थी और फिर उनको रिलीव क्यों नहीं किया गया ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

श्री चन्द्रपाल सिंह के खिलाफ गुमनाम दरख्वास्तें काफी हैं। एक दरख्वास्त जो पहले आई थी, उसकी रिपोर्ट आ गयी, उसमें जितने आरोप थे, वह नहीं सिद्ध हो पाये थे इनका ट्रांसफर हुआ था. वहां से, लेकिन वहां के अधिकारी ने यह लिखा सरकार को कि इनके खिलाफ पुलिस के मामले है तथा वे मामले कोर्ट में है, इन परिस्थितियों में इनको रोकना आवश्यक है, । दूसरी दरख्वास्त इनकी स्त्री की तरफ से आई कि वह हृदय रोग की मरीज है, इसलिए उनका स्थानान्तरण स्थगित कर दिया जाये, इसीलिए उनका स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इनका ट्रांस्फर आर्डर कौन सी तारीख को हुआ था और बुलन्दशहर में किस तारीख को इन्होंने ज्वाइन किया था ?

(राज्य मंत्री द्वारा पत्रावली से उत्तर ढूंढ़ते रहने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप इसको देख लीजिये, मैं इस प्रश्न को फिर आगे पुछवा दूंगा ।

[दिनांक 30 मार्च, 1981 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायन तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

विकास खंड बनकटा (देवरिया) का गेहूं थानाध्यक्ष बनकटा द्वारा छीनकर कथित विक्रय

*2--श्री हरिवंश सहाय--

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया विकास खण्ड बनकटा का 56 बोरी गेहूं खाद्यान्न माह दिसम्बर, 1980 में ग्राम बलिवन के मजदूरों में वितरित हेतु जा रहा था जिसे थानाध्यक्ष बनकटा ने छीनकर बेच दिया ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिवंश सहाय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर उतना ही असत्य है, जितना दिन को रात कहा जाय। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 56 क्वि0 गेहूं को थानाध्यक्ष ने पकड़ा, जो कि ग्राम बलिवन जा रहा था और वह जिलाधिकारी, देवरिया जिला विकास अधिकारी, देवरिया तथा परगनाधिकारी, सलेमपुर के हस्तक्षेप से 71/2 क्वि0 बरामद हुआ, जबकि 81/2 वि0 बेचा जा चुका था, क्या इसकी जानकारी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं दिन को रात या रात को दिन नहीं कह रहा हूं। सम्मानित सदस्य ने प्रश्न किया है माह दिसम्बर में, तो मैं कोई ऐसी घटना हमारे संज्ञान में नहीं है। नवम्बर में एक ऐसी घटना जरुर घटी है। दिसम्बर की बात पूछी जाय तो नवम्बर का उत्तर कैसे दिया जाय ? नवम्बर में 56 क्वि0 गेहूं यह बहा जा रहा था और रास्ते में ट्रैक्टर की बैयरिंग टूट गयी। वहां के थानाध्यक्ष आये, उन्होंने पाया कि बहुत गेहूं जा रहा है, उन्होंने 3/8 एसेन्शियल कामाडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत सीज कर लिया। जिलाधिकारी ने एस0 डी0 एम0 द्वारा जांच करायी और अन्त में यह गेहूं बी0 डी0 ओ0 बनकटा के सुपुर्दगी में देने के आदेश हुए। इस समय गेहूं पूरा नहीं वापस हुआ बल्कि 47 क्वि0 वापस किया गया और कुछ गेहूं वहां पर रह गया।

श्री मोहन सिंह--

कितना रह गया था ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो गेहूं वापस किया गया वह 49 क्वि0 22 कि0 ग्राम गेहूं वापस किया गया और जो वहां बाकी रह गया, वह 8 क्वि0 13 कि0 ग्राम रह गया, जिसके लिए जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन, गोरखपुर जांच कर रहा है कि कितना गेहूं आना चाहिए ?

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो गेहूं ब्लाक को दिया गया है, उसका वितरण तत्काल करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

इसके लिये, जब यह सूचना आयी कि वापस दे दिया गया है तो इसके भी आदेश दे दिये गये कि गेहूं वितरित करा दिया जाय।

विकास खण्ड ककवन, जनपद कानपुर के किसानों से सैनिक फण्ड के चन्दे की वसूली

*3--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि विकास खण्ड ककवन, जनपद कानपुर में दिसम्बर, 1980 में किसानों को छूट की खाद देते समय बिना रसीदों के ही आठ-आठ व नौ-नौ तथा दस-दस रुपये सैनिक फण्ड का चन्दा सरकारी आदेश बताकर किसानों को मजबूर करके लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार के सरकारी आदेश रहे हैं ? यदि नहीं, तो जब दिसम्बर, 1980 के अन्तिम सप्ताह में होने वाली जांच में उक्त आरोप ए0 डी0 ओ0 (एग्री0) के विरुद्ध प्रमाणित किया गया तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जी नहीं।

जी नहीं।

जांच में आरोप सिद्ध नहीं पाये गये अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, प्रश्न है कि क्या सैनिक फण्ड के नाम से रुपया लिया गया जबाव दिया है कि "जी नहीं" तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बगैर रसीद के अगर चन्दा नहीं दिया गया, जैसा कि आप कहते हैं "जी नहीं" तो क्या रसीद पर सैनिक फण्ड का चन्दा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस तरह के सरकारी आदेश थे ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, सरकारी आदेश के सम्बन्ध में पहले ही जबाव है कि "जी नहीं।" जहां तक चन्दा लेने का प्रश्न है तो चन्दा लिया गया है, सैनिक के वेलफयर के लिए, तो वह चन्दा रसीद से लिया गया है। जिलाधिकारी, कानपुर ने एग्रीकल्चर अधिकारी को लिखा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोग भूतपूर्व सैनिक और अपंग लोगों की सुविधा के लिये जो सरकारी सहायता है उसमें मदद करें और 500 रुपये जो जाता था उसमें चन्दा करके भूतपूर्व सैनिकों हेतु कलेक्शन करें, इस संबंध में सीड स्टोर इंचार्ज ने इस बात को ध्यान में रखते हुये जो रसीद बुक आयी थी, जिसमें पन्ने कम थे और 25 थे तो संभव नहीं था कि सभी का नाम उसमें आ जाय, इसलिये उसमें एक-एक पन्ने पर 6-6 और 8-8 नाम लिखते हुये एक रसीद में और बाकी बगल में नाम लिखते हुये 346 रुपयों की रसीदे काटीं। कुल 7 रसीदें बनी, इसलिये बिना रसीद के किसी से नहीं लिया गया। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि सभी ने तस्लीम किया कि हमने पैसा दिया और रसीद पर चढ़ा।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जांच किस अधिकारी ने किया है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

इसकी जांच अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, कानपुर ने किया है।

प्रदेश के कतिपय जिलों में जिला कृषि अधिकारियों द्वारा खरीदे गये थ्रेशर्स मे घोटाला

*4--श्री मोहन सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ, इलाहाबाद, मथुरा तथा देहरादून सहित प्रदेश के तेरह जिलों में कृषि अधिकारियों द्वारा 16 लाख 92 हजार रुपये के थ्रेशर खरीदे गये थे इसमें से 1,619 पावर थ्रेशर अनुपयुक्त पाये गये? इस संदर्भ में कथित घोटाले तथा लापरवाही के संबंध में 1975 से ही सतर्कता विभाग की ओर से जांच चल रही थी? यदि हां, तो सतर्कता विभाग की जांच रपट क्या है और इस संदर्भ में शासन ने किन-किन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जी हां।

जी नहीं। इन 13 जनपदों में कुल 1619 पावर थ्रेशर खरीदे गये थे जिनमें से 104 पावर थ्रेशर अनुपयुक्त पाये गये।

जी हां। जांच रिपोर्ट एक गोपनीय अभिलेख है और इसमें अंकित तथ्यों का विवरण सदन में देना जनहित में नहीं होगा। इस खरीदारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित जिला कृषि अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी--

1--श्री बी0 पी0 एस0 तोमर
2--श्री के0 एस0 पचौरी
3--श्री मदन पान्डे
4--श्री मुनेश्वर प्रसाद
5--श्री नर्वदा प्रसाद तिवारी
6--श्री एम0 एन0 राय
7--श्री बदन सिंह
8--श्री महराज सिंह तथा
9--श्री जी0 सी0 गुप्ता।

श्री मोहन सिंह--

यह 16,94,000 रुपये थ्रेशर खरीद में एक जबरदस्त गड़बड़ घोटाला हुआ है और मंत्री जी ने जनहित और गोपनीय लेख के आधार पर रिपोर्ट के तथ्यों को छिपाना चाहते हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट गोपनीय हो सकती है लेकिन जो दंड प्रस्तावित है वह गोपनीय नहीं है, शासन के संज्ञान में है, इसलिये वह सदन के सामने खुलासा किया जाना चाहिए। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो प्रस्तावित दंड है वह गोपनीय नहीं है, शासन के संज्ञान में है, इसलिये वह सदन के सामने खुलासा किया जाना चाहिये। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो प्रस्तावित दंड है उसके अनुपात में कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्तावित दंड क्या था और क्या दंड इन लोगों को शासन की ओर से दिया गया, क्योंकि कुछ की प्रोन्नति कर दी गयी है?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, इसमें दो तरह की संस्तुति दें। एक तो जांच जो हुई उसमें जो जांच रिपोर्ट है उसमें 4 आदमियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्ट दी गयी जिसमें एक तो मर गया था, बाकी 3 को दी गयी। शेष ए0 जी0 आफिस की रिपोर्ट पर उनके अभिलेख पर आया कि गड़बड़ी किया 6 आदमियों ने, इसलिए उनको चेतावनी दी गयी।

श्री मोहन सिंह--

जिनके खिलाफ गड़बड़ी आयी उनको चेतावनी दी गयी और जिनके खिलाफ कम गड़बड़ी के आरोप थे उनको प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी। तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्तावित दंड क्या है जिसको इसलिए नहीं बता रहे हैं और प्रस्तावित दंड किस-किस व्यक्ति के संदर्भ में क्या था, उसकी रोशनी में शासन ने किस-किस को क्या दंड दिया ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, यह रिपोर्ट दो मर्तबा आयी। पहली बार इन्क्वायरी हुई उसमें प्रतिकूल प्रविष्टि हुई, आडिट जब हुआ तो महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर 6 आदमियों को चेतावनी दी गई। यदि माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि डिस्पैरिटी हुई है तो लिखकर दे दें, पुनः देख लिया जायेगा।

श्री मोहन सिंह--

श्रीमन्, दो बात सामने आई। सतर्कता अधिष्ठान की रिपोर्ट आई तो उसके आधार पर 4 लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई दूसरी महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई उसमें 6 लो[illegible] गया। तो महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तो गोपनीय नहीं है उस रिपोर्ट का माननीय मंत्री जी सदन के सामने रखें?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय वह उपलब्ध नहीं है और न मांगी गयी थी ? माननीय सदस्य चाहेंगे तो उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो 16 लाख 94 हजार का स्कैन्डल है। इसमें जो विजिलेंस की रिपोर्ट आई है इससे मुतालिक डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों के अलावा उच्च अधिकारियों का इन्वालमेंट पाया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

फिर बात आ गई रिपोर्ट की। मैं माननीय सदस्यों को आपके माफ़ित बताना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट 2 विभाग के अन्दर की चीज थी। उसमें विजीलेंस की जो रिपोर्ट आई उसमें उच्च अधिकारियों की नियत पर संदेह नहीं किया गया है लेकिन अपनी राय दिया है कि यह प्रक्रिया ठीक रहेगी।

सहकारी दुग्ध संस्थाओं में घाटा

*5--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी दुग्ध केन्द्रों में किस भाव पर कितने प्रतिशत मक्खन का दूध खरीदा जाता है और कितने प्रतिशत मक्खन का दूध किस भाव पर बेचा जाता है ? क्या यह सच है कि दूध के खरीद कौर बिक्री भावों में काफी अन्तर होते हुए भी सहकारी दुग्ध संस्थान भारी घाटे पर चल रहे हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

सहकारी दुग्ध केन्द्रों पर दुग्ध के खरीद का भाव आरक्षित क्षेत्र में राज्य दुग्ध परिषद द्वारा 6.5 प्रतिशत वसा एवं 9.0 प्रतिशत वसा रहित ठोस पदार्थ के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अनारक्षित क्षेत्र में दुध क्रय का भाव विभिन्न दुग्ध संघों द्वारा अलग अलग रहता है जो आरक्षित क्षेत्र में प्रचलित भाव के अनुरूप रहता है। आरक्षित [illegible] भाव 6.5 प्रतिशत फैट और 9.0 एस0एन0एफ0 प्रतिशत वसा का जुलाई, [illegible] रहा।

[illegible] 1-7-80 से 15-7-80 तक 1.80 रुपये प्रति किलोग्राम

[illegible] 16-7-80 से 15-8-80 तक 1.85 रु0 प्रति किलोग्राम

16–8–80 से 31–12–80 तक 1.80 रुपये प्रति किलोग्राम
सहकारी डेरियों द्वारा तीन प्रकार का दूध बेचा जाता है जो निम्न है :

1—स्टैन्डाइज्ड दूध 4.5 प्रतिशत वसा 8.5 प्रतिशत वसा रहित ठोस पदार्थ
2—टोन्ड दूध 3.5 प्रतिशत वसा 8.5 प्रतिशत वसा रहित ठोस पदार्थ
3—डबल टोन्ड दूध 1.5 प्रतिशत वसा 9.0 प्रतिशत वसा रहित ठोस पदार्थ

बिक्री भाव अलग-अलग दुग्ध संघों का अलग-अलग निर्धारित होता है जो वहां की व्यवसायिक स्थिति पर निर्भर होता है। लखनऊ दुग्ध संघ में औसत बिक्री भाव जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक इस प्रकार रहे।

स्टैण्डर्ड दूध 2.85 रुपये प्रति लीटर
टोन्ड दूध 2.61 रुपये प्रति लीटर

खरीद व बिक्री भाव में अन्तर सीधे निकालना कठिन है। यह सत्य है कि अधिकतम सहकारी दुग्ध संस्थान घाटे में चल रहे हैं। इसका कारण उपार्जन लागत अधिक होना और दुग्धशाला में पूरी क्षमता का उपयोग न होना तथा दुग्ध व्यवसाय में स्पर्धा का होना आदि है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे, आप दो रुपये 85 पैसे प्रति किलो दूध बेचते हैं और एक रुपये 80 पैसे पर आप खरीदते हैं। इस तरह से एक रुपया आप यह ज्यादा लेते हैं। इसमें परसेन्ट वसा कम है तो 40 पैसे यह हो जाती है इस तरह से एक रुपये 45 पैसे प्रतिलीटर आप ज्यादा बेचते हैं लेकिन फिर भी घाटे पर चल रहे हैं। इसको ठीक करने के लिये आपने क्या कोई रूप रेखा बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, इस समय लगभग 35 परसेन्ट का अन्तर है दोनों भावों में। यह अन्तर होते हुये भी काफी घाटे पर यह चल रहे हैं। इसमें कुछ कठिनाइयां है शासन की, दूध इकट्ठा करने में हमें ज्यादा खर्च करना पड़ता है, दूध दूर से आने पर खट्टा भी हो जाता है चिलिंग प्लान्ट की पूरी क्षमता से दूध कम होने के कारण हम क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिये इनक्रीज्ड रेट पर बेचने पर भी घाटा है। इसको दूर करने के लिये हम कोआपरेटिव सेक्टर को स्टेंथेन कर रहे हैं। बहुत सी समितियां जो थीं उनका पेमेंट हुआ है उनका काम बन्द था। कानपुर को छोड़कर सब चल रही हैं। इसको भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्षमता भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कोआपरेटिव में गांव-गांव में दुग्ध समितियां हैं उनको स्ट्रेंथेन करने की योजना तथा संघों को मजबूत करने की योजना है ताकि दूध कलेक्शन को बढ़ाया जा सके। जहां से दूध लेना अनइकोनामिकल पड़ता है उसको छोड़कर, घाटे से बचने की हर सम्भव कोशिश की जा रही है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि टोंड दूध 2.61 पैसे आप देते हैं। डबुल टोंड दूध में डेढ़ प्रतिशत वसा और 9 प्रतिशत वसा रहित ठोस पदार्थ होते हैं। वह एक ही भाव पर बेचे जा रहे हैं। [illegible] दूध इसमें होता है इसमें वसा कम होती है तो क्या इसका मूल्य [illegible] बेचने की कृपा करेंगे ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, इस संबंध में विचार किया जायगा।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुये कि यह जो दुग्धशालाएं आपकी कोआपरेटिव सेक्टर में चल रही है उनमें लगभग 4 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है।

अकेले दलपतपुर में एक करोड़ 55 लाख का घाटा है। फारेन कन्ट्रीज से डिफरेंट प्रोजेक्ट भी आती है फिर भी इसमें घाटा है। तो क्या इन चीजों को देखते हुये माननीय मंत्री जी एक हाई पावर कमेटी जिसमें मिल्क कमिश्नर और उच्च अधिकारी तथा इस माननीय सदन के एक, दो माननीय सदस्य भी हों बनाने पर विचार करेंगे? यह घाटे पर क्यों चल रही हैं, घाटा कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब चीजों को देखते हुए, एक कमेटी बनाने पर विचार करेंगे?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, हमारी सेन्ट्रल की कई योजनाएं हैं, वह काफी मदद देने के लिये तैयार हैं? बात चीत हो रही है। फ्लड आदि स्कीम्स हैं, उसके अनुसार हम उनसे बात करने जा रहे हैं। वह हमको एडवाइज करेंगे और फाइनेंस करेंगे लेकिन कुछ ऐसी बातें जिनमें माननीय सदन के सदस्यों का सहयोग चाहिये। कुछ कठिनाइयां हैं, हम किसी को निकालने नहीं जा रहे हैं सब बातों पर शासन सतर्क है, दिल्ली सरकार भी मदद देने के लिये उद्धत है, और माननीय सदस्यों का भी सहयोग अपेक्षित है।

श्री रियासत हुसैन--

जागरूक तो सब हैं, सेन्ट्रल भी है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह इस माननीय सदन के सदस्यों से कुछ मदद चाहते हैं। इस मामले में तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों की जो मदद आप लेना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए कोई एक ऐसी समिति का गठन करेंगे जिसमें आपके अधिकारीगण हों और उसमें कुछ माननीय सदस्य, जिस पर विशेषरूप से विचार विमर्श हो सकें, क्योंकि इसका संबंध सीधे अर्थ व्यवस्था से भी है।

श्री निर्भय नारायण सिंह--

माननीय सदस्य ने तो केवल एक समिति ही बनाने का सुझाव दिया है, परन्तु हम, लोग इसमें घाटे की पूर्ति हेतु एवं दूध का उत्पादन बढ़ाने हेतु जो भी सम्भव होगा, वह कर रहे हैं।

प्रदेश के पास हैलीकाप्टरों की संख्या

6--श्री मित्र सेन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के पास कितने हेलीकाप्टर हैं? उनकी क्या स्थिति है? क्या यह भी सही है कि प्रदेश सरकार कोई नया हेलीकाप्टर खरीदने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रदेश सरकार के पास दो हेलीकाप्टर हैं इनमें से एक वीटी, ई0 एफ0 आई0 दिनांक 15-1-1981 से उड़ने योग्य नहीं है। दूसरा हेलीकाप्टर वीटी0--ई0 सी0 एफ0 उड़ने योग्य है। प्रदेश सरकार इस समय एक नया हेलीकाप्टर क्रय करने पर विचार नहीं कर रही है।

श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी तो अभी तक ग्राम्य विकास मंत्री थे, परन्तु अब उड्डयन मंत्री भी हो गये हैं। यह प्रश्न तो मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से किया था। खैर मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर प्रदेश सरकार के पास दो हेलीकाप्टर हैं, उसमें से एक खराब है, तो क्या उसको प्रयोग में लाने के योग्य बनाने के लिए, उसकी मरम्मत करायी जायेगी और उसमें कितना खर्च होगा और उसको कब तक उड़ने के योग्य बना दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर जो दूसरा हेलीकाप्टर मौजूदा हालत में उड़ने के योग्य नहीं है इसलिए कि उसका गेयर बाक्स खराब है, उसको ठीक करने के लिए हिन्दुस्तान एरौनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर को कहा गया था, परन्तु वहां हड़ताल चल रही थी, वरना यह गेयर बाक्स बदल दिया जाता तो उड़ने योग्य बन जाता परन्तु उम्मीद है कि एक महीने के अन्दर वह उड़ने योग्य हो जायगा।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, एक बहुत जरूरी प्रश्न है कि स्टेट में स्टेट-प्लेन्स और हेलीकाप्टर को मिलाकर कुल कितनी संख्या है और उनके उड़ाने वालों की संख्या कितनी है ?

श्री अध्यक्ष---

हेलीकाप्टर्स के बारे में तो माननीय मंत्री जी ने जानकारी दे दी और उनके उड़ाने वाला का इस प्रश्न से क्या संबंध है ?

श्री मोहन सिंह---

नहीं मान्यवर, सम्बन्ध है इसका । क्योंकि प्रदेश में इतने प्लेन्स हैं, इन सबके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री जी को अक्सर सर्विसप्लेन से जाना पड़ता है । इसलिये मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनके उड़ाने वालों की संख्या कितनी है ?

श्री अम्मार रिजवी---

प्रदेश में दो हेलीकाप्टर हैं और दो पायलेट । बाकी के लिए अलग से प्रश्न कर लें उसका उत्तर मिल जायेगा ।

श्री भीखालाल---

मान्यवर दस्यु उन्मूलन के लिए सुना गया था कि पुलिस वालों को एक हेलीकाप्टर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है, तो क्या इन दो में से कोई हेलीकाप्टर आपने उनको दिया या कोई नया हेलीकाप्टर ?

श्री अम्मार रिजवी---

इन्हीं दो हेलीकाप्टर्स में से एक हेलीकाप्टर ई0 सी0 एफ0 जो उड़ने योग्य है, वह उनको डाकुओं की मुहीम के लिए दिया गया और कोई अन्यत्र नहीं।

श्री मित्रसेन---

मान्यवर, दस्यु उन्मूलन के लिए सरकार बराबर कह रही है कि अब से हेलीकाप्टर का प्रयोग किया जायेगा क्या इसके लिए कोई नये हेलीकाप्टर खरीदने की योजना है ?

श्री अध्यक्ष---

इसके लिए बता दिया गया कि इस समय कोई नया हेलीकाप्टर खरीदने की योजना नहीं है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मान्यवर क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश के इन हेलीकाप्टरों पर डी0 एम0 और उनके परिवार के लोग शहर का भ्रमण कर रहे हैं इसका उत्तर मान्यवर, दिलवा दीजिए ?

श्री अध्यक्ष---

जब आप इन लोगों को देखें तो शिकायत इसकी करें । आप कृपया बैठें ।

बाराबंकी जिला परिषद् मुख्यालय के डाक बंगले में कमरों के निर्माण के नाम पर फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

* 7---श्री प्रदीप कुमार यादव---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद के मुख्यालय पर स्थित जिला परिषद के डाक बंगले में गत वर्ष दो नये कमरों के निर्माण कराये जाने के नाम पर फर्जी भुगतान किये जाने से सम्बन्धित कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और क्या इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां ।

प्रारम्भिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया (प्राइमाफेसी) सही प्रतीत होने पर जिला परिषद् के अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है तथा उन्हें निलम्बित कर दिया गया है ?

श्री प्रदीप कुमार यादव---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि [illegible] षद् के अभियन्ता के विरुद्ध जो सस्पेन्शन की कार्यवाही हुई है, उसके आदेश [illegible] को हुए हैं और उसकी कम्पलायन्स किस तारीख को हुई है ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, आदेश 14-2-80 को हुए थे और उन पर 25-3-80 को कार्यान्वयन हुआ।

श्री प्रदीप कुमार यादव---

लगभग डेढ़ महीने की कम्पलायन्स होने में देरी हुई है। क्या आपको इसकी जानकारी भी है कि वह अधिकारी मुसलसल दफ्तर में हाजिर रहा है और कभी छुट्टी भी नहीं ली है और इस अवधि में इसको एडवान्स रुपया भी खर्च करने को दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, इसकी जानकारी नहीं है, इसकी जांच की जायेगी और फिर माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जायेगा।

बी0 डी0 ओ0 हसनपुर, जिला मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र

*8---श्री मन्जूर अहमद (अनुपस्थित)---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26-12-80 को बी0 डी0 ओ0 हसनपुर, जिला मुरादाबाद आदि के विरुद्ध कांग्रेस कमेटी ब्लाक हसनपुर ने एक शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, की तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां।

शिकायतों की जांच कराई जा रही है ?

प्रदेश के असफल एग्रो सर्विस केन्द्रों से सम्बन्धित व्यक्तियों को राजकीय सेवा में लेने की मांग

*9---श्री मोहम्मद नबी खां (अनुपस्थित)---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने एग्रो सर्विस सेन्टर उत्तर प्रदेश में फेल हो चुके हैं ? उनसे संबंधित लोगों के जीवनयापन के संबंध में शासन क्या विचार कर रही है ? क्या इनके समस्त कर्जे माफ करके सरकार इनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर इन्हें राजकीय सेवा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)---

फेल हो चुके केन्द्रों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

शासन कोई विचार नहीं कर रहा है।

जी नहीं।

यह व्यक्तिगत उद्यमी थे और इसके प्रति शासन उत्तरदायी नहीं है।

भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों के लिए ग्राम सभाओं की आर्थिक सहायता की मांग

*10---डाक्टर विनोद कुमार तिवारी---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता देने जा रही है ? यदि हां, तो ग्राम सभाओं को इससे लाभ उठाने के लिए 5 लाख रुपया प्रति ग्राम सभा के हिसाब से आर्थिक सहायता राज्य सरकार देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 1980-81 में मजदूरी भुगतान हेतु 74,500 मै0 टन खाद्यान्न तथा 4,17,40,000 रु0 नगद अंश स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त स्थायी परिसम्पत्तियों

के निर्माण में प्रयोग में आने वाली सामग्री के क्रय हेतु 13,04,00,000 रु0 भारत सरकार ने प्रदेश को और प्रदान किया है।

इससे लाभ उठाने के लिये 5 लाख रु0 प्रति गांव सभा के हिसाब से आर्थिक सहायता देना प्रदेश के वर्तमान संसाधनों के अन्तर्गत सम्भव नहीं है।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में कितनी पिछड़ी ग्राम सभायें हैं जिन्होंने आर्थिक सहायता हेतु आवेदन दिया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह इस प्रश्न से कैसे बतायेंगे। माननीय मंत्री जी क्या आप बता सकेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जाहिर है कि कितनी पिछड़ी ग्राम सभाएं हैं, बता पाना मुश्किल है। यदि माननीय सदस्य इसकी जानकारी चाहते हैं तो इसमें सूचना की आवश्यकता होगी।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो ग्राम सभाएं आर्थिक सहायता हेतु आवेदन करेंगी, उन्हें आर्थिक सहायता देने पर विचार करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मेरिट के आधार पर जो ग्राम सभाएं आवेदन करेंगी तो उस पर जरूर विचार किया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, हमारे प्रदेश में जितनी भी ग्राम सभाएं है उतनी लगभग सभी निष्क्रिय हैं। इसके योगदान की संस्तुति करने पर क्या मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, उसका प्रारूप सम्मानित सदस्य बतला दें, तभी उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री मित्रसेन--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में कि मंत्री जी स्पष्ट उत्तर दें कि विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी क्या होगी, यह बतायें ?

श्री अम्मार रिजवी--

पहले 6 रुपया थी। अब अलग-अलग जोन्स में जो मजदूरी रखी गयी है, वही यहां भी रखी जायेगी।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि जो ग्राम सभाओं को मदद मिलती है ब्लाकों से उसमें यह हो जाता है कौन प्रधान इधर रहा है और कौन विरोध में रहा। इसके बावजूद श्रमदान का कितना वर्क होता है। कितनी ग्राम सभाएं श्रमदान करने पर तैयार हैं, उनको मदद देने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय रियासत हुसैन जी का सुझाव बहुत अच्छा है, हमें मंजूर है।

श्री मित्रसेन--

राष्ट्रीय ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत एसेन्शियल कमोडिटीज में मजदूरों को मोटा कपड़ा देने की क्या व्यवस्था करेंगे ? जैसे मजदूरी के बदले में पैसा देते है, अनाज देते हैं वैसे ही मोटा कपड़ा देने की क्या मंत्री जी व्यवस्था करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

न तो इस समय ऐसा कोई प्राविधान है और न तो जरूरत है।

प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा रोपित जोधाबाई महल, फतेहपुर सीकरी के प्रांगण से हटाया गया तुलसी का पौधा

*11—श्री बदन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक तुलसी का पौधा जोधा बाई महल, फतेहपुर सीकरी (आगरा) में दिनांक 30-10-80 को यादगारे सुलहकुल समारोह के उद्घाटन समय में रोपित किया था? क्या यह सही है कि वह पौधा उस सार्वजनिक स्थान से हटा दिया गया है? यदि हां, तो किसके आदेश से और क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

तुलसी का पौधा जोधा बाई महल के प्रांगण में रोपित नहीं किया गया था। वस्तुतः इसे प्रधान मंत्री जी द्वारा पीतल के गमले में लगाकर उक्त महल के प्रांगण के मध्य में रखा गया था जिसे सुलहकुल के उद्घाटन समारोह की समाप्ति के पश्चात् हटा दिया गया था।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक तुलसी का पौधा जोधा बाई महल . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न तो मालूम है। आप अपना प्रश्न करें।

श्री बदन सिंह—

तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस तुलसी के पौधे को हटा दिया गया है? यदि ऐसा किया गया है, तो किसके आदेश से यह हटाया गया है और उसका कारण क्या था?

श्री अध्यक्ष—

गमले में रखा था वह हटा कर अलग रख दिया गया।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, जब सोने की तलवार चोरी जा सकती है तो पीतल का गमला भी चोरी हो सकता है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो जैसा होता है वह वैसा ही सोचता है। मोहन सिंह जी जैसे हैं वैसा ही सोच रहे हैं।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, एक स्थाई पीतल का गमला है और एक पौधे को लगाने के लिए मिट्टी भरी गयी, उसको गीला किया गया और फिर उसमें पौधा लगाया गया। तो मंत्री जी का क्या विचार है, उस गमले को वहां क्यों नहीं रखा गया?

श्री अध्यक्ष—

आप उनके विचार जानना चाहेंगे या घटना? अब आप बैठें?

ब्लाक लखावटी, बुलन्दशहर के कतिपय ग्रामों में कृषकों को रासायनिक खादों पर दी गयी छूट

*12—श्री किरन पाल सिंह (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक लखावटी, स्थित ग्राम बुढ़ाना, ग्राम रसूलपुर तेलिया उर्फ मेथना व ग्राम सन्नीट के लघु व सीमान्त किसानों को रासायनिक खादों पर सरकार द्वारा घोषित छूट नहीं दी गयी? यदि हां, तो क्यों? तथा ऐसा करने वाले दोषी अधिकारी को क्या दण्ड दिया गया है?

श्री अम्मार रिजवी—

सम्बन्धित कृषकों को रासायनिक खादों पर छूट दी गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।
प्रश्न ही नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्र में कृषि उत्पादित सेब की घोषित सरकारी मूल्य पर खरीद की मांग

*13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिस प्रकार मैदानी इलाके में धान आदि की सरकारी खरीद घोषित मूल्यों पर की जाती है उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में कृषि उत्पाद सेब आदि की घोषित शासकीय मूल्य पर खरीदने के लिए योजना न बनाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

चूंकि पर्वतीय क्षेत्र में उत्पादित होने वाले कृषि उत्पाद सेब आदि फल पेरोसेबिल क्राप (शीघ्र नष्ट होने वाली) है, अतः इनकी सरकारी मूल्य घोषित करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त मूल्य पर खरीद का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि निदेशालय के ब्यूरो अनुभाग में सहायक उप निदेशक के पद पर नियुक्ति

*14—श्री छत्तर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय के ब्यूरो अनुभाग में सहायक उप निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिये कोई शर्तें एवं अर्हताएं आदि तय की गयी हैं तथा इस समय इस पद के लिए निर्धारित अर्हताओं को अनदेखी करके नियमानुसार ज्येष्ठ व्यक्ति को छोड़कर कनिष्ठ व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया है जिससे ज्येष्ठों में कुंठा व्याप्त है ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार वर्तमान पदधारक को तत्काल हटाकर नियमानुसार ज्येष्ठ व्यक्ति की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कृषि निदेशालय के ब्यूरो अनुभाग में सहायक उप निदेशक के पदनाम का कोई पद नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।
प्रश्न नहीं उठता है ।
प्रश्न नहीं उठता है ।
प्रश्न नहीं उठता है ।
प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र, जलालपुर में शीत गृह खोलने की मांग

*15—श्री प्रभु नारायण सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर का विकास क्षेत्र जलालपुर सर्वाधिक आलू उत्पादन का क्षेत्र होते हुए भी वहां कोई भी आलू शीतगृह नहीं है ? क्या यह भी सत्य है कि वाराणसी मंडल के विकास निगम द्वारा वर्ष 1977 में शीतगृह निर्माण हेतु उक्त क्षेत्र के ग्राम रेहटी में सर्वेक्षण करके ग्राम समाज की भूमि प्राप्त कर ली गई थी ? क्या इस क्षेत्र के कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखकर सरकार शीघ्र ही चयन किये गये स्थान पर शीतगृह का निर्माण करायेगी ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

जी हां ।
जी हां, परन्तु बाद में निगम ने इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया ।
वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था आलू का सर्वाधिक उत्पादन का क्षेत्र होने के कारण वहां विकास निगम द्वारा 1977 में सर्वेक्षण कराया गया था, भूमि भी प्राप्ति कर ली गई

थी उसके बाद उस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। यह स्वीकार कर लिया गया था कि आलू का सर्वाधिक उत्पादन का क्षेत्र है, शीत गृह बनाने की योजना थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह सर्वेक्षण कब कराया गया था और कब इस योजना को स्थगित कर दिया गया ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जौनपुर में जलालपुर सर्वाधिक आलू उत्पादन का क्षेत्र है, यह सत्य है। वहां पर शीत गृह बनाने का विचार किया गया था और जमीन भी ले ली गयी थी। लेकिन तत्कालीन मंत्री का विचार था कि निगम की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो रोजगार परक हो। तो उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को निरस्त कर दिया गया था ?

श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह सर्वेक्षण कब कराया गया था और कब इसको स्थगित कर दिया गया और इस सर्वेक्षण में कितना पैसा खर्च किया गया था ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

16 अगस्त, 1976 को जौनपुर में 4 हजार मीट्रिक टन की क्षमता का शीतगृह का निर्णय लिया गया था और 20-1-78 को तत्कालीन कृषि मंत्री और क्षेत्रीय विकास अधिकारी की मीटिंग हुई उसमें राय जाहिर की गई कि रोजगारपरक योजना होनी चाहिए इसलिए इसको रोक दिया गया था।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

श्रीमन्, जमीन ले ली गई गांव समाज से, वह आज तक उसी योजना के अन्तर्गत पड़ी है। शीतगृह न बनने की कोई सूचना वहां नहीं दी गई, गांव वाले आज भी आशा लगाये बैठे हैं। तो पिछली जनता सरकार, लोक दल की सरकार के काल में जो इस तरह की योजनाएं थीं और स्थगित कर दी गयी हैं, क्या यह लोक प्रिय सरकार उनको कार्यान्वित करेगी ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

यह योजना लोक दल की सरकार द्वारा ही रखी गयी थी, और उन्हीं के मंत्री द्वारा स्थगित की गई थी ? इस समय विभाग द्वारा कोई नया शीतगृह बनाने का कार्य नहीं हो रहा है।

श्री यदुनाथ--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाराणसी मंडल में भूतपूर्व न्याय मंत्री, उद्योग मंत्री राम प्रकाश गुप्त जी के दबाव से स्थगित कर दिया गया। यह जो विकास निगम द्वारा वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ आदि में शीत गृह खोलने की बात है, वह सब स्थगित कर दिया गया क्या ऐसी जानकारी है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

जिला कृषि अधिकारी, देवरिया के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताएं

*16--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, देवरिया के खिलाफ वर्ष 80-81 में महालेखाकार द्वारा जांच की गयी और उसमें लगभग 80 हजार रुपये के आरोप सिद्ध हुए हैं ? यदि हां, तो क्या जिला कृषि अधिकारी, देवरिया के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जी नहीं, महालेखाकार द्वारा कोई जांच नहीं की गई। जिला कृषि अधिकारी, देवरिया के कार्यालय के सितम्बर, 79 से अगस्त, 80 तक की अवधि के लेखा अभिलेख

का सम्प्रेक्षण महालेखाकार की आडिट पार्टी द्वारा किया गया है। जिसमें वित्तीय अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं।

सम्प्रेक्षण आपत्तियों का अंतिम निस्तारण होने पर ही क्षति की धनराशि ज्ञात हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब आडिट पार्टी ने एक निश्चित मत दिया कि इनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता है और जिसको आप प्रश्न में स्वीकार भी कर रहे है तो फिर कौन सी बाधा है जिससे आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, आडिट रिपोर्ट जो आई है उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, देवरिया को भेज दिया गया है। वह उसका उत्तर एक निश्चित समय के अन्दर आडिटर जनरल को भेजेंगे और अगर उत्तर संतोषजनक नहीं होगा तो वह शासन को लिखकर भेजेंगे। अभी इस तरह की ए0 जी0 से कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कितने रुपये की अनियमितता पाई गई ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, इसमें विभिन्न तरह की चीजें हैं जो आडिट में आई है और सबके जवाब के लिए लिखा गया है। यह 9 लाख 34 हजार 634 रु0 की वित्तीय अनियमितता पाई गई है। यह सब ए0 जी0 को भेजा गया है, जब शासन को प्राप्त होगा तब उस पर कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

जब 9 लाख 33 हजार की वित्तीय अनियमितता पाई गई और आडिट का यह नियम होता है कि उसमें जो अध्यक्ष और मैनेजर होते हैं, वह एक सीट देते हैं उसके बाद आफिस उसको रिमूव करता है तब वह स्वीकृत होता है जो जब यह स्पष्ट है कि उनके ऊपर गबन है तो मंत्री जी का क्या विचार है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, जो आडिट रिपोर्ट सामने है उसमें फैसला आडिटर जनरल करता है और उनके फैसले के अनुसार शासन कार्यवाही करता है।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि 9 लाख 33 हजार का गबन किया तो क्या उस अधिकारी को हटाकर आप जांच करायेंगे या उसको रख कर ही जांच करायेंगे ? उस को रख कर तो संभव नहीं है ? क्या माननीय मंत्री जी उसको जांच के दौरान हटायेंगे ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, जांच का प्रश्न ही नहीं है।

प्रदेश के वास्तुकला विद्यालय, लखनऊ के तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश की समाप्ति

*17--श्री राजकुमार राय (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के वास्तु कला विद्यालय, लखनऊ का तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पिछले साल से बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। इस कोर्स में वर्ष 1979 से प्रवेश बन्द कर दिया गया है। इस कोर्स के डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों को ड्राफ्टसमैन के पद ही मिल पाते थे ? उन्हें न तो उनकी सेवाओं में उन्नति के अवसर रहते थे और न ही आगे शिक्षा का अवसर प्राप्त होता था। इस कोर्स के स्थान पर 5 वर्ष के डिग्री स्तरीय कोर्स चलाने का प्रयास कई वर्षों से किया जा रहा था। वर्ष 1979 में छात्रों ने वास्तकला में डिग्री स्तरीय कोर्स हेतु लम्बी अवधि तक आन्दोलन किया तो इस सम्बन्ध में एक समिति गठित की गई। समिति ने भी तुरन्त डिग्री स्तरीय कोर्स प्रारम्भ करने की संस्तुति की। इन परिस्थितियों में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स को बन्द करके वर्ष 1980 से 5 वर्षीय डिग्री स्तरीय कोर्स प्रारम्भ किया गया है।

जनपद बदायूं में डेरी फार्म की स्थापना

*18—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दो वर्ष पूर्व सरकार द्वारा जनपद बदायूं में डेरी फार्म की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो डेरी फार्म जनपद में चालू हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकार द्वारा जनपद बदायूं में डेरी फार्म की स्थापना के सम्बन्ध में दो वर्ष पूर्व कोई निर्णय लिया प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह सूचना उन्हें मिली कि दो वर्ष पूर्व कोई डेरी फार्म की स्थापना की मन्जूरी नहीं हुई थी? मेरी जानकारी है कि दो साल पूर्व दूसरी सरकार ने सियासी प्रभाव में आकर इसका निर्णय लिया था और उसके बाद सियासी प्रभाव में इसे खत्म कर दया गया है। बदायूं में जब कि दूध उत्पादन बहुत ज्यादा है वहां दूध का उत्पादन करने वालों को बरेली जाकर दूध बेचना पड़ता है, उन्हें परेशानी है, क्या माननीय मन्त्री जी बदायूं में डेरी फार्म की स्थापना करने का कष्ट करेंगे ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, जवाब में दिया गया है कि कोई निर्णय दो साल पहले नहीं था। जहां पर दूध उत्पादन ज्यादा होता है तो अनेक जिलों में जैसे बदायूं आदि जिले भी हैं वहां पर प्लानिंग डाटा संगठित करने का प्रस्ताव था।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्योंकि बदायूं में दूध का उत्पादन अधिक है और वहां पर लोगों को जो दूध पैदा करते हैं, भैंस पालते हैं, बहुत कठिनाई है क्योंकि वे बरेली जाकर दूध बेंचते हैं, उन्हें बेहद परेशानी होती है। दूध का उत्पादन हमारे जनपद में ज्यादा है तो क्या वजह है कि आप डेरी फार्म यहां स्थापित नहीं करना चाहते हैं ? क्या इसको स्थापित करने का कष्ट करेंगे या नहीं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, अच्छे जानवर उपलब्ध होने पर लगाने के लिए सोचा जा सकता है।

संसदीय समितियों के सभापतियों के राज्य मन्त्री के समकक्ष सुविधाएं देने की मांग

*19—श्री गुलाब सेहरा—

क्या यह सही है कि कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने एक प्रशासनिक आदेश द्वारा इस बात की मान्यता प्रदान की थी कि संसदीय समितियों के सभापतियों को राज्य मन्त्री के समकक्ष माना जाय और तदनुसार सुविधाएं प्रदान की जायें ? यदि हां, तो उक्त आदेश की

सदन के पटल पर रखते हुए क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इसका वास्तव में परिपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

संसदीय समितियों के सभापतियों को राज्य मन्त्री के समकक्ष माने जाने के कोई आदेश नहीं हैं। केवल यह आदेश है कि उनको समितियों के सभापति के नाते अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में आगमनों पर, वही शिष्टाचार प्रदर्शित किया जाय जो विधान सभा के उपाध्यक्ष राज्य मन्त्रियों को अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन, माननीय गुलाब सेहरा जी नहीं हैं, क्या माननीय मन्त्री जी रामायण राय कमेटी की रिकमन्डेशन के आधार पर इस विषय पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन, इससे पहले भी एक बैठक हुई थी और उसमें इस प्रश्न पर बात हुई थी। यह प्रश्न विचारणीय है और अवश्य विचार किया जायगा ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

ग्राम पालपुर, थाना कुमारगंज में सवर्णों द्वारा हरिजनों पर प्रहार

**1--श्री राम सागर, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री मित्रसेन, श्री राम आसरे वर्मा, श्री भीखा लाल, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद फैजाबाद के थाना कुमारगंज अन्तर्गत ग्राम पालपुर में दिनांक 13 फरवरी, 1981 को हरिजनों को मजदूरी के प्रश्न पर 50-60 सवर्णों ने सुनियोजित ढंग से हमला बोलकर बुरी तरह मारा-पीटा और 3 हरिजनों के मौत के घाट उतार दिया है ? जिसकी उक्त थाने में रपट दर्ज है ? यदि हां, तो पूर्ण घटना क्या है और इस काण्ड में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13-2-81 को प्रातः श्री सन्त राम पुत्र बुधराम हरिजन, निवासी ग्राम पालपुर, थाना कुमार गंज ने लिखित तहरीर दी कि ग्राम को बीच से जाती वाली मांझागांव तुलसमपुर सड़क पर शम्भूनाथ सिंह, कृष्ण कुमार सहित 57 नामित व्यक्तियों ने बन्दूक, भाला, फरसा, कट्टे, लाठी आदि लेकर हरिजनों पर प्रहार किये जिससे दो हरिजनों की तुरन्त मृत्यु हो गयी तथा लगभग 14 को चोटें आयीं। उपरोक्त सूचना पर थाना कुमारगंज में एक अभियोग धारा 147/148/149/323/324/307/302 भा0 द0 वि0 व 27 आर्म्स ऐक्ट पंजीकृत हुआ ।

घटना की सूचना पर उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतकों की शव परीक्षा तथा घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। बाद में एक हरिजन की और मृत्यु हो गयी। विवेचना तत्परता से प्रारम्भ की गयी और 57 नामजद अभियुक्तों में से 44 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, 7 हाजिर अदालत हुए तथा 6 के विरुद्ध धारा 82/83 जा0फौ0 की कार्यवाही करके सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है। मृतकों के आश्रितों एवं अन्य पीड़ित हरिजनों को कुल 35,300 रु0 की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। ग्राम में सुरक्षा हेतु पुलिस तथा पी0 ए0 सी0 तैनात कर दी गयी है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इसमें जो 7 300 रुपए की धनराशि दी गयी है, उसे संशोधित करने की कृपा करें। उसे 35,300 रुपए की धनराशि वहां सहायता के रूप में दी जा चुकी है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस गम्भीर घटना में मन्त्री जी ने यह नहीं बताया कि हरिजनों का क्या अपराध था ? क्यों उनको प्रताड़ित किया गया और हत्या की गयी ? क्या आप इसका कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

अपराध तो वहां आपस में बढ़ता हुआ वैमनस्य है जिसकी शुरुआत जनवरी में वहां पर एक नाटक खेला गया था उससे हुई। नाटक कुछ इस तरह का था कि उसमें काफी उत्तेजना हो गयी और चूंकि उस वक्त समुचित पुलिस फोर्स होने की वजह से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई बाद में विभिन्न कारणों से--जैसे किसी के अरहर काट देना, पानी रोक देना, मजदूरी का सवाल करना आदि इस घटना के कारण थे।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, और मुख्य मन्त्री जी का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह पालपुर में पहली घटना नहीं है, चमरूपुर में भी इस तरह की घटना हो चुकी है कि हरिजनों पर हमला किया गया। क्या मन्त्री जी इस बात का पता करेंगे कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी चार आने मजदूरी दी जाती है और मजदूरी न करने पर इस तरह से हरिजनों के ऊपर हमला किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है ? क्या वे ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सरकार द्वारा जो घोषित मजदूरी है वह उनको दिलाई जाय ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय भीखा लाल जी ने जो सुझाव दिया है वह बहुत उचित है। सरकार इसके ऊपर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी कि सरकार द्वारा जो घोषित मजदूरी है वही उनको मिले।

श्री राम सागर--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पालपुर के हरिजनों ने इस संहारी घटना से पूर्व सवर्णों द्वारा चार आने मजदूरी दिये जाने पर उसके विरोध में काम पर न जाने के लिए जिला प्रशासन को कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर शासन ने क्या निरोधात्मक कार्यवाही की ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

कोई प्रार्थना-पत्र माननीय सदस्य बता रहे हैं उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है जानकारी करा कर बता दूंगा।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, इस कांड के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से सिर्फ तीन सवाल करना चाहता हूं। क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे इस घटना के बाद आपका आगमन फैजाबाद में हुआ था ? यदि हां, घटनास्थल पर हरिजनों की हमदर्दी में गये थे ? दूसरा यह कि बेहमई काण्ड जब हुआ था जिसमें 22 लोगों की हत्या कर दी गयी थी, उसमें प्रत्येक परिवार को आपकी तरफ से 10, 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक आदमी को नौकरी तथा पेंशन की व्यवस्था की थी। तो इस काण्ड में प्रभावित परिवारों को उपरोक्त सहायता न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसके बाद मेरा फैजाबाद जाना हुआ, वहां पर इस सन्दर्भ को देखकर वहां रेंज में मीटिंग करने गया था। इसके पूर्व शासन की ओर से लोग वहां जा चुके थे। तो यह बात नहीं थी कि मैं हमदर्दी प्रकट करने जाता। लेकिन हमारी हमदर्दी सदैव रही है। शासक दल की रही है, उस ओर समुचित व्यवस्था की गयी। अब

तक जो मृतक परिवार के लोग हैं उनको मुझे जानकारी मिली है कि 8, 8 हजार रु0 की सहायता पहुंच चुकी है ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि कोई नाटक जनवरी में वहां हुआ था उसके बाद ही एक दूसरे के विरुद्ध नाराजगी प्रकट होनी शुरू हो गई थी । इससे स्पष्ट है कि कोई उत्तेजनात्मक नाटक एक दूसरे के खिलाफ खेला गया होगा जिससे इतनी बड़ी घटना हुई । तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करेंगे कि नाटक के आयोजक जो थे जिनकी वजह से यह हुआ उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गयी, तो क्या उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

मान्यवर, इस ओर भी शासन का ध्यान है और माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार कोई कार्यवाही अवश्य की जायगी ।

श्री मोहन सिंह---

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में और माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाए हैं कि शासन के संज्ञान में ऐसी बात पहले से थी और शासन ने कोई निरोधात्मक कार्यवाही नहीं की कि ऐसी घटना न हो । इसकी लापरवाही के आरोप में वहां के क्षेत्राधिकारी श्री राजवंश सिंह और थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण किया गया ? जब एक लापरवाही के आरोप में एक सर्किल आफिसर का स्थानान्तरण हो गया तो फिर बाद में ठा0 राजवंश सिंह का स्थानान्तरण किन्हीं कारणों से निरस्त कर दिया गया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, वह कोई आरोप पर स्थानान्तरण नहीं हुआ था, चूंकि वहां पर एक पीस्ट एक्स्ट्रा थी इसलिए स्थानान्तरण किया था । लेकिन उनके प्रार्थना-पत्र पर कि उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक कि बच्चों के इम्तहान नहीं हो जाते हैं ।

श्री मोहन सिंह---

तब तक केस रफा-दफा हो जायगा । यह तो एक बहाना है कोई जिले से बाहर तो हो नहीं रहा था एक सर्किल से दूसरे सर्किल में हो रहा था । इसमें जिस व्यक्ति का सहयोग बताया जाता है मुकामी ठाकुरसाहब को फिर वही नियुक्त कर दिया । जब स्पष्ट है कि लापरवाही बर्ती गयी तो क्यों उसे रोक दिया गया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

शायद जो नाम मोहन सिंह जी ने बताया है सिंह के नाम में कुछ फर्क लगा । जिनके बारे में शिकायत की गयी है वह श्री हरिवंश सिंह है । और उनको वहां के 4 कानिस्टेबलों को स्थानान्तरित करके लाइन हाजिर कर दिया गया है, यह जो दूसरे हैं इनके बारे में शायद आरोप नहीं हैं ।

श्री मित्र सेन---

मान्यवर, मन्त्रीजी ने स्वीकार किया है कि वहां पर कोई नाटक खेला गया नाटक हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता राजबली जी खेलते हैं, वह नाटक प्रदेश के कोने-कोने में हुआ है, तो अगर इस नाटक से कोई उत्तेजना फैली है तो उस पर अब तक कोई प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया गया ? क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि मोती हरिजन जो विशेष रूप से घायल है, उसने डी0एम0 से इस बात की शिकायत की है कि मुझे चार आना रोज पर मजदूरी न करने के कारण मेरा सुअर कांजी हाउस में बन्द कर दिया गया और 60 रुपए का जुर्माना हुआ, इसलिए मेरा सुअर छुड़ाया जाय और मुझे मजदूरी दिलाई जाय ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

जिलाधिकारी को उन्होंने क्या प्रार्थना-पत्र दिया है, इसकी जानकारी नही है, जानकारी कराकर उस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री मोती लाल देहलवी—

इनके मारे जाने का कारण है कम मजदूरी और मन्त्री जी इस कारण को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नाटक की बात करके, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वह नाटक कौन सा था और जब मन्त्री जी उस स्थान पर गये तो क्या मन्त्री जी ने इसकी जानकारी की कि उन लोगों को मजदूरी कितनी मिलती है ?

दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना

(दर्शक-दीर्घा से एक व्यक्ति ने सीटी बजाई। पर्चे सदन में फेंके और 'भारत माता की जय' का नारा लगाया।)

(व्यवधान)

(कुछ अव्यवस्था हुई।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। सब बैठ जायं। मोती लाल जी। प्रश्नोत्तर क्रमागत

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय मोती लाल देहलवी जी ने नाटक शब्द दोहराया, मैं शब्द क्या कहूं, नाटक से ही परेशानी हो रही है। मैंने यह बात पहले ही उजागर की थी घटनास्थल पर जाने और जानकारी प्राप्त करने की। सब जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या नाटक हुआ, किसने नाटक किया आदि।

श्री मोती लाल देहलवी—

आप नाटक के बारे में नही मजदूरी के बारे में बताइए ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की गयी, जिसमें दो तरह के विवरण आए। एक तो चार आने मजदूरी असम्भव प्रतीत होती है, यह बात सच नहीं है और कुछ लोगों का कहना है कि हमको मजदूरी कम मिलती है।

श्री भीखा लाल—

बहुत से ऐसे नाटक होते हैं जो सामाजिक बुराइयों को उजागर करते हैं—जैसे छुआ-छूत, मद्य निषेध या बेगार लेना, उनको सरकार प्रोत्साहन देती है और देना चाहिए। मेरी निश्चित जानकारी के अनुसार यह नाटक छूआछूत और बेगार लेने के विरोध में था, किन्तु उसे राजनीतिक शक्ल देकर मन्त्री जी उसकी आड़ लेकर तथ्यों पर पर्दा डाला है, तो क्या मन्त्री जी उसकी गहराई से जांच करायेंगे कि इसका कारण कम मजदूरी देने की सामाजिक बुराई है और इसका नाटक या राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि नाटक को राजनीतिक ढंग से न लिया जाय तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा, लेकिन जो नाटक वहां पर खेला गया, उसको राजनीतिक रंग दिया गया था। उसमें कांग्रेस पार्टी से ऊबने की बात और किसी दल विशेष में जाने की बात कही गयी थी। यह प्रदर्शित किया गया और उसकी मंशा यदि राजनीतिक थी तो ठीक नहीं था। यह नाटक समाज की बुराइयों के खिलाफ था।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल—

जैसा कि माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि उस नाटक की मंशा यह नहीं थी बल्कि उस संस्था को चलाने के जो जिम्मेदार हैं कम मजदूरी पर काम कराने की व्यवस्था के खिलाफ नाटक था और यह नाटक इस किस्म का नहीं था कि उसको राजनीतिक रंग दिया जाय। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच गहराई से करायेंगे कि मुख्य समस्या क्या है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री प्रियदर्शी जेतली--

जहां तक ड्रामे का सवाल है, मेरी यह निश्चित सूचना है और इसको सही माना जाय। श्री राजबली यादव ने जहां भी ड्रामा खेला है, उनके खिलाफ 436 और 376 धाराओं के तहत मुकदमें कायम हुए और वे सुप्रीम कोर्ट तक से सजा पाए हैं। उनका ड्रामा और उसके टेप रिकार्ड मेरे पास हैं। इन्होंने जहां भी ड्रामे किए आतंक पैदा किया है। तो क्या इनके पहले के रिकार्ड को देखने से इस बात का प्रमाण नहीं है कि उत्तेजना पैदा करना और भ्रम पैदा करना समाज विरोधी चीजों से सम्बन्ध नहीं है, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय सदस्य और माननीय सदन की भावनाओं को देखते हुए जो उन्होंने नाटक को उत्तेजना पैदा करने की बात कही है, जांच करायेंगे और आवश्यक कार्यवाही भी करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

नाटक से उत्पन्न उत्तेजना से झगड़े की बात कही गयी है। तो जब नाटक हो रहा था और उससे उत्तेजना पैदा होने का समय था राजनीतिक रूप भी माननीय मन्त्री जी दे रहे हैं ? तो जब राजनीतिक बात होती है तो इन्टेलीजेंस की नियुक्ति की बात करते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तेजना के समय माननीय मुख्य मन्त्री जी की इन्टेलीजेंस क्या कर रही थी ? क्या यह सही नहीं है कि जिन हरिजनों की हत्या की गयी उसका मुख्य आधार उनसे बेगार लेना था। जो लोग मारे गये या झगड़ा हुआ है, वह उनके द्वारा बेगार न करने के आधार पर मारे गए हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

अगर कोई जानकारी न होती तो यह बताना सम्भव नहीं था। जहां तक दूसरे पहलू का सम्बन्ध है जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है, पूरी पूरी चीजों की विवेचना हो रही है।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार से बेहमई काण्ड में मृतकों के परिवार वालों को सहायता दी गयी उसी प्रकार से इन मृतकों के परिवार वालों को सुविधा दी जायगी? दूसरे क्या दिग विजय नाथ सिंह के यहां उसी ग्राम में एक हरिजन बन्धक के रूप में कार्य कर रहा है ? अगर यह सही है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय सदस्य की चिन्ता के साथ हम सभी लोग सम्मिलित हैं। बेहमई का जो दुखद काण्ड हुआ वहां के पीड़ित परिवारों को 5 हजार रुपए की धनराशि प्रति परिवार के हिसाब से सहायता के रूप में दी गयी। संयोग की बात है कि दो तीन बार उप मन्त्री गये और कुल मिलाकर जो मृतक परिवार हैं उनको 8 हजार रुपए तक की सहायता पहुंच चुकी है। यह शासन की नीति है अगर किसी कारण से कोई पीड़ित अथवा प्रताड़ित होता है तो उसकी सहायता शासन हर प्रकार से करता है।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

दिग विजय नाथ सिंह के यहां एक हरिजन बन्धक के रूप में कार्य कर रहा है इसका उत्तर नहीं दिया गया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यह जानकारी शासन को नहीं मिली है। माननीय सदस्य अगर जानकारी दे दें तो उसे दिखवा लूंगा।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मैं तो दे रहा हूं। हरिजनों पर अत्याचार हो रहें हैं, लेकिन आप सही रूप से उधर ध्यान नहीं देना चाहते। मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री गोपीनाथ वर्मा सदन त्याग कर चले गए।)

ग्राम राजापाकड़, थाना तुर्क पट्टी, जिला देवरिया के श्री गेंदा सिंह एवं उनके परिवार के सदस्यों का अपहरण

**2—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम राजापाकड़, थाना तुर्क पट्टी, जिला देवरिया में गत 25-2-81 को 10 बजे दिन में गेंदा सिंह एवं उनके परिवार के 5 अन्य सदस्यों का अपहरण कर लिया गया? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है? अपहरणकर्ताओं एवं पुलिस के बीच संघर्ष में कितने अपहरणकर्त्ता पकड़े गये?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25-2-81 को सुबह 8.40 बजे थाना तुर्कपट्टी पर श्री दिलीप कुमार सिंह ने सूचना दी कि श्री विनोद सिंह, कामोद सिंह, पुजारी गिरि, माधो बाबू तथा अन्य 10-20 अज्ञात व्यक्ति शस्त्रों से लैस होकर आये और वादी के चाचा सहित 5 व्यक्तियों को जीप में जबरदस्ती बैठाकर फायर करते हुए भगा ले गये। कुछ व्यक्तियों को गांव वालों ने घेर लिया। उपरोक्त सूचना पर अपराध संख्या 26/81 धारा 364 भारतीय दंड विधान पंजीकृत किया गया तथा पुलिस ने मौके पर पहुंच कर 3 व्यक्तियों को पकड़ लिया।

बाद में अभियुक्तों ने अपहृत व्यक्तियों को भी मुक्त कर दिया। विवेचना से मुकदमा धारा 364/342/392 भारतीय दण्ड विधान में परिवर्तित कर दिया गया तथा एक और संदिग्ध व्यक्ति श्री उपेन्द्र सिंह निवासी कुड़वा, दिलीप नगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विवेचना प्रचलित है।

श्री हरिवंश सहाय—

केवल तीन अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार करने की बात कही गयी है, शेष व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए कितने लोगों का नाम लिया गया है? जो उपेन्द्र सिंह गिरफ्तार किए गये हैं क्या उनकी जांघ में पुलिस की गोली लगी थी?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

तीन व्यक्तियों का मौके पर जहां अपहरण किया गया था वहां गांव वालों ने उनको घेर रखा था और जब पुलिस को सूचना मिली तो वह वहां पहुंच गयी और मौके पर उनको पकड़ लिया, दो नली बन्दूक भी उनसे बरामद हुई और गोली लगने की कोई सूचना नहीं है।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या यह सही है कि उपेन्द्र सिंह को पुलिस की गोली लगी और वह हवालात में बन्द किए गये।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

इस समय इसकी जानकारी नहीं है?

श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री जी उन तथ्यों को बताने की कृपा करेंगे जिनके कारण यह अपहरण हुआ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जायदाद में आपसी झगड़े के कारण यह हुआ है, यही कारण प्रकाश में आया है।

श्री नन्द किशोर सिंह—

यह अपहरण किस स्थान पर हुआ और किस स्थान पर उन लोगों को छोड़ा गया? पुलिस की गोली कहां पर चली?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

किस स्थान पर पकड़े गये यह जानकारी इस समय नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में गोबर गैस प्लान्ट की स्थापना तथा उन पर व्यय

1—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1980–81 में गोबर गैस प्लान्ट लगाने के लिए कुल कितना धन आवंटित किया क्या था और उसमें वर्ष 1980 तक कुल कितना धन खर्च हुआ और कुल कितने गोबर गैस प्लान्ट लगे ? क्या यह सही है कि गोबर गैस प्लान्ट की मांग कम होने के कारण उक्त स्वीकृत धन में से लाखों रुपया जांच करने के लिए खर्च करने का प्रबन्ध किया गया है ? यदि हां, तो वे निरीक्षण एजेंसियां कौन-कौन हैं और उन पर कितना खर्च उक्त मद से 31 दिसम्बर, 1980 तक किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1980–81 में जनता बायोगैस संयन्त्रों के स्थापना पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान देने की योजना है । इसके लिए शासन द्वारा 50,60,800 रु0 का आवंटन विभिन्न जनपदों को अब तक किया गया है । अनुदान के रूप में दिए गये धन के व्यय की सूचना जनपदों से अभी प्राप्त नहीं हुई है । वर्ष 1980–81 में दिसम्बर तक 1662 गोबर गैस बायोगैस प्रदेश में स्थापित हुए हैं । यह सही नहीं है कि गोबर गैस प्लान्ट की मांग कम होने के कारण लाखों रुपया जांच करने के लिए खर्च करने का प्रबन्ध किया गया है । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

विकास खण्ड मरदह, गाजीपुर में पेयजल कूपों का निर्माण

2—श्री पंचानन—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के मरदह विकास खण्ड में वर्ष 1974–75 में भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए 20 कुओं का निर्माण प्रारम्भ किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 31 हजार रुपए के व्यय के बाद 9 कुओं का निर्माण त्याग दिया गया ? यदि हां, तो इस के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1974–75 में विकास खण्ड, मरदह (गाजीपुर) में हरिजन आवास स्थल पर 20 पेयजल कूपों का निर्माण आरम्भ किया गया था, जिसमें से 8 कूपों क निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है ? शेष 12 अपूर्ण कूपों को पूर्ण न कराने के कारण सम्बन्धित ग्राम सेवकों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण करने की कार्यवाही की जा रही है ।

जिला पशुधन अधिकारी, लखनऊ द्वारा महानगर, लखनऊ में बनवाये गये भवन निर्माण के विरुद्ध जांच तथा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग

3—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला पशुधन अधिकारी, लखनऊ (श्री राधेश्याम श्रीवास्तव) ने महानगर, लखनऊ, में लगभग 3 लाख रु0 को लागत से कोठी बनवाई है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि इनके पास इतना धन कहां से आया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रश्न में सन्दर्भित अधिकारी ने 9–10 वर्ष पूर्व महानगर, लखनऊ में 17,000 रु0 की लागत से भवन का निर्माण कराया था जिसके लिए 12,000 रु0 का भवन निर्माण अग्रिम शासन से लिया था और शेष 5,000 रु0 अपने निजी श्रोतों से लगाया था ।

4—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि बादशाह बाग पशु चिकित्सालय, लखनऊ की वीर्य लाने ले जाने हेतु प्रदत्त मोटर साइकिल को उपरोक्त अधिकारी अपने निजी कार्यों में प्रयोग करते हैं ? और इस तरह अपने पद एवं सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

जिला पशुधन अधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच रिपोर्ट

5—श्रीमती गौरी देवी—

अष्टम विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अधिकारी के खिलाफ जांच किसके द्वारा कराई गयी और क्या सरकार जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत जांच उप निदेशक, सघन पशु विकास खण्ड, लखनऊ द्वारा की गयी थी। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 177 पर)

विकास क्षेत्र फतेहपुर मडांव, जनपद आजमगढ़ में श्रम के बदले खाद्यान्न योजनान्तर्गत महुई, मोहम्मदपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण

6—श्री पंचानन—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के फतेहपुर मडांव विकास क्षेत्र में महुई–मोहम्मदपुर माईनर का निर्माण काम के बदले खाद्यान्न योजना में हुआ है ? यदि हाँ, तो इसके सम्बन्ध में श्री गौरी शंकर मल्ल की कोई शिकायत जनवरी, 1980 में प्राप्त हुई है और उसकी जांच एस0डी0एम0, घोसी द्वारा 15 एवं 16 फरवरी, 1980 को हो गयी है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत महुई–मोहम्मदपुर माइनर का नहीं बल्कि महुई–मोहम्मदपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराया गया है ।

श्री गौरी शंकर मल्ल द्वारा दिए गये शिकायती-पत्र के आधार पर विकास खण्ड मधुबन के अन्तर्गत श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के कुछ कार्यों की जांच एस0डी0एम0 घोसी द्वारा कराई गयी। उनसे प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) आजमगढ़ को जांच करने का आदेश दे दिया गया है। जांच पूर्ण होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

विकास खण्ड मिलक, जिला कानपुर के भवन निर्माणार्थ स्वीकृत भूमि पर अवैध कब्जा

7—श्री जयदीप सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मिलक, जिला रामपुर के भवन निर्माणार्थ राजकीय उद्यान की भूमि का हस्तान्तरण शासनादेश संख्या 4105/बारह-(4)-167–74, दिनांक 7–9–74 के द्वारा राज्यपाल महोदय ने करने की स्वीकृति दी थी ? क्या उपरोक्त आदेश द्वारा स्थानान्तरित भूमि पर किसी व्यक्ति अथवा विभाग द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इस अवैध कब्जे को हटवाने एवं अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं।
(ग) प्रश्न नहीं उठता।
(घ) प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जनपद में रबी की फसल के लिए खादों पर छूट

8—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में रबी फसल के लिए खादों पर छूट दी गयी है? यदि हां, तो कितनी?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 178 पर)

विकास क्षेत्र बरौली अहीर, जनपद आगरा में बमरौली-खटरा से नगला-शबला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण

9—श्री विजय सिंह राना—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के विकास क्षेत्र बरौली अहीर के अन्तर्गत खाद्यान्न योजनाओं में बमरौली-खटरा से नगला-शबला तक जाने वाला जन मार्ग स्वीकृत हुआ है? यदि हां, तो इस मार्ग पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा? और यदि नहीं, तो यह कब तक स्वीकार कर लिया जायगा?

श्री अम्मार रिजवी—

दिनांक 15-11-80 को जिला चयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विकास खण्डवार दस-दस कि0मी0 सम्पर्क मार्ग प्रस्तावित किये जायं। तदनुसार बमरौली-खटरा से नगला-शबला सम्पर्क मार्ग अनुमोदित किया जा चुका है। सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।

जैसे-जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत उक्त कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध होगी, ऐसे मार्गों पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

आगरा जनपद की आगरा तहसील में स्वीकृत जन मार्गों का निर्माण

10—श्री विजय सिंह राना—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की आगरा तहसील के अन्तर्गत 1978-79 और 1979-80 में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कितने जन-मार्ग स्वीकृत हैं और उनमें से कितने मार्गों पर कार्य पूरा हो चुका है और कितनों पर कार्य होना शेष है? तथा यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

आगरा जनपद की आगरा तहसील के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 में 3 तथा वर्ष 1979-80 में 26 कुल 29 जन मार्गों का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। इसमें से वर्ष 1979-80 में स्वीकृत 25 जन मार्गों का निर्माण हो चुका है और केवल 4 मार्गों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना शेष है। इन 4 मार्गों में दो मार्ग विवादग्रस्त हैं, शेष दो पर कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 1978-79 में स्वीकृत सभी मार्गों पर कार्य पूर्ण हो चुका है।

विकास खण्ड राजगढ़, मिर्जापुर में ब्लास्टिंग द्वारा कुओं को गहरा करने तथा पेयजल योजनान्तर्गत कतिपय ग्रामों में कूप निर्माण

11—श्री रामचरण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ में पचासों कुएं ऐसे हैं जिसमें पत्थर पड़ गया है और ब्लास्टिंग कराने के बाद भी पीने भर

के लिए पर्याप्त पानी नहीं निकला ? यदि हां, तो पेयजल की व्यवस्था हेतु उन कुओं को और गहरा कराने तथा अन्दर से पत्थर निकालने की कोई योजना है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1979-80 में पड़े भीषण सूखे के समय विकास खण्ड राजगढ़ में न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर किये गये सर्वेक्षण के आधार पर 86 कूप ऐसे पाये गये जिनमें पत्थर पड़ जाने के कारण पानी सूख गया था। इन कूपों को लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से ब्लास्टिंग द्वारा गहरा कराया गया। फलस्वरूप 84 कूपों में 0.45 मीटर से 4 मीटर तक जल उपलब्ध हुआ। कूपों की ब्लास्टिंग द्वारा गहरा कराने के लिए लघु सिंचाई के माध्यम से प्रति दिन 20 रु0 की दर से भुगतान करने पर ब्लास्टिंग सुविधा उपलब्ध है। ऐसे कूप जो सिंचाई के उपयोग में आते हैं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा करने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

12--श्री राम चरण सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि राजगढ़ विकास खण्ड के हरिजनों के लिए पेयजल की व्यवस्था हेतु ब्लाक के माध्यम से कुएं बनवाये गये थे ? यदि हां, तो उन को अधूरा क्यों छोड़ दिया गया जैसे ग्राम गोल्हनपुर, बड़ा गांव, रामपुर ढबही, दुलहाडौल इत्यादि ? क्या सरकार आने वाली गर्मी को ध्यान में रखकर इन कुओं की जल्द से जल्द कोई व्यवस्था पूरा एवं गहरा कराने एवं पत्थर निकालने की करेगी ? उन कुओं की संख्या कितनी और कहां-कहां है ?

श्री अम्मार रिजवी--

विकास खण्ड राजगढ़ में हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 से अब तक कुल 61 कूप स्वीकृत हुए हैं जिनमें से 44 कूपों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 12 कूपों पर 90 प्रतिशत 3 कूपों पर 50 प्रतिशत एवं 2 कूपों पर 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कूपों में पत्थर पड़ जाने एवं सीमेंट की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण निर्माण की गति मन्द रही है। ग्राम गोलहनपुर एवं दुल्हापुर के कूपों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है किन्तु गहराई कम होने के कारण गर्मियों में पानी सूख जाता है। ग्राम रमईपुर ढवई का कूप वर्ष 1979-80 में स्वीकृत किया गया था। इसके लिए 6 हजार रुपए स्वीकृत किया गया था। 10 फीट खुदाई के पश्चात पत्थर पड़ गया। अतः कूप की ब्लास्टिंग धनराशि जमा की जा चुकी है। कूप का ब्लास्ट कार्य अप्रैल, 1981 तक पूर्ण हो जायगा।

ग्राम बड़ा गांव में हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत कोई कूप न स्वीकृत ही है एवं न ही निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत राहत कार्य हेतु आवंटित धनराशि से इन कूपों को गहरा कराने के लिए जिलाधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं।

विकास खण्ड मार्टिनगंज, मण्डल सिकरौर के ग्राम सेवक का स्थानान्तरण

13--श्री लालसा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्त्ता के विधान सभा क्षेत्र सरायमीर, जिला आजमगढ़, विकास खण्ड मार्टिनगंज के अन्तर्गत मण्डल सिकरौर के एक ग्राम सेवक का स्थानान्तरण माह सितम्बर से दिसम्बर, 1980 के बीच दो बार शासन द्वारा गम्भीर शिकायतों के आधार पर किया गया था ? यदि हां, तो पुनः उसे क्यों रोक दिया गया ? सरकार क्या उक्त कर्मचारी के विरुद्ध अविलम्ब उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

विकास खण्ड मार्टिनगंज के ग्रामसेवक श्री हरिद्वार सिंह का स्थानान्तरण दो बार नहीं बल्कि एक बार शासन द्वारा जनपद के किसी अन्य विकास खण्ड में किए जाने के आदेश माह सितम्बर, 1980 में दिए गये थे किन्तु जिला विकास अधिकारी ने सूचित किया कि इनके

बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा इनका कार्य सन्तोषजनक बताते हुए शिक्षा सत्र तक उन्हें वहां रहने की संस्तुति की। तदनुसार वर्तमान शिक्षा सत्र तक श्री सिंह को विकास खण्ड मार्टिनगंज में कार्यरत रहने की अनुमति प्रदान कर दी गयी। किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित प्रतीत नहीं होती है।

अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद में दी गयी आर्थिक सहायता

14—श्री जितेन्द्र पाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद में कितने व्यक्तियों को क्या-क्या आर्थिक सहायता दी गयी? जिन ग्रामों के व्यक्तियों को सहायता नहीं दी गयी वह कब तक दी जायगी?

श्री अम्मार रिजवी—

अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तियों को नगद धनराशि के बजाय 5000 रुपए तक की स्वीकृत वस्तुएं क्रय करा कर दी जाती हैं। इस आधार पर जनपद मुरादाबाद में कुल 3205 अन्त्योदय परिवारों को कुल 1,06,82,640 रुपए 85 पैसे से निम्न वस्तुओं के क्रय के लिए ऋण अनुदान की सहायता दी गयी :—

वस्तुएं/कार्य	परिवारों की संख्या	धनराशि
		रु0
1—डनलप भैंसा गाड़ी	2322	86,65,360.50
2—घोड़ा तांगा	413	13,39,617.85
3—बकरी पालन	135	1,80,181.50
4—सुअर पालन	102	1,69,975.00
5—सिलाई मशीन	53	33,131.00
6—रिक्शा	79	1,00,792.00
7—दुधारू पशु	93	1,67,350.00
8—पम्पिंग सेट	3	14,960.00
9—फुट ठेला	1	1,000.00
10—बैलों की जोड़ी	1	2,500.00
11—बुनाई मशीन	1	1,998.00
12—वेल्डिंग मशीन	1	4,500.00
13—घोड़ा व घोड़ी	1	1,275.00
योग ..	3205	1,06,82,640.85

जनपद को उपलब्ध करायी गयी धनराशि को लाभार्थियों के उपयोगार्थ व्यय किया जा चुका है। भविष्य में प्राप्त होने वाले आय-व्ययक से शेष परिवारों को भी लाभान्वित किया जायेगा।

फर्रुखाबाद जनपद के ब्लाक कन्नौज तथा जलालाबाद में पेयजल कूप का निर्माण

15—श्री बिहारी लाल दोहरे—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि मार्च, 1977–78 से जून, 1980 तक पेयजल कूप ब्लाक कन्नौज, ब्लाक जलालाबाद, तहसील कन्नौज, जनपद फर्रुखाबाद में निर्मित कराये गये थे? क्या यह सही है कि जिनका भुगतान कर दिया गया परन्तु वे अभी तक पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुए? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

उक्त वर्षों में फरुखाबाद जनपद के ब्लाक कन्नौज तथा ब्लाक जलालाबाद में क्रमशः 56 तथा 49 कुल 105 पेयजल कूप निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इनमें क्रमशः 54 तथा 39 कुल 93 कूपों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष 12 कूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन पर आंशिक भुगतान किया गया है। इन कूपों का निर्माण कार्य समय से पूर्ण न करने के कारण दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

मिर्रीकलां, से ग्राम शम्भू खेड़ा, जिला उन्नाव तक रोड का निर्माण

16—श्री रियासत हुसैन—

विधान सभा के सत्र 1978 के 7वें सोमवार (8 मई, 1978) के लिए निर्धारित श्री मोहन सिंह द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सख्या 5 के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मिर्रीकलां से ग्राम्य शम्भूखेड़ा (पोस्ट मिर्रीकलां, तहसील पुरवा ब्लाक अलोहा, जिला उन्नाव) तक बनायी जाने वाली डेढ़ किलोमीटर लम्बी लिंक रोड का निर्माण पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन दोषी है एवं निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

ग्राम मिर्री कलां-शम्भूखेड़ा सम्पर्क मार्ग (लिंक रोड) दयालखेड़ा ग्राम के किसानों ने खेतों में से होकर बनाने का विरोध दयालखेड़ा गांव वालों ने किया। अतः इसे नहीं बनवाया जा सका।

इसके लिए कोई दोषी नहीं है।

भूमि मिलने पर निर्माण सम्भव है।

फैजाबाद जनपद में हरिजन कालोनी का निर्माण

17—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री गोरे लाल शाक्य—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1979–80 में फैजाबाद जनपद को हरिजन कालोनीज बनाने के लिए कितना धन मिला था ? कितनी कालोनीज कहां-कहां कितनी जगह में बनी हैं ? क्या यह सही है कि अधिकांश बनी हरिजन कालोनीज गिर गयी हैं या रहने के काबिल नहीं रह गयी हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद फैजाबाद की हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 से वर्ष 1979-80 में हरिजन कालोनीज बनाने के लिए 54,000.00 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी तथा ग्राम विकास विभाग द्वारा श्रमिकों एवं निर्बल वर्ग के परिवारों के लिए 11,26,400.00 रुपए का आवंटन किया गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार 5 विकास खण्डों में 48 भवन मौके पर निरीक्षण के समय क्षतिग्रस्त पाये गये जिनकी मरम्मत कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारियों को निदेशित कर दिया गया है तथा उदासीनता बरतने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

कितनी कालोनीज कहां-कहां कितनी जगह बनी हैं तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है, के सम्बन्ध में सूचना अभी प्रतीक्षित है।

कृषि अधिकारी, देवरिया द्वारा राजकीय कोषागार से आहरित कर ठेकेदारों के नाम बंधित पास बुकों में जमा किए गये रुपए

18—श्री रुद्रप्रताप सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, देवरिया द्वार वर्ष 1977–78, 1978–79 और 1979–80 में रु0 82,818.26 कोषागार से आहरण करके

ठेकेदारों के नाम बंधित पास-बुकों में रखा गया है और इतने दिनों के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य पूरे नहीं कराये गये तथा शासन के पैसों को ठेकेदारों के नाम जमा करके ब्याज का अनुचित लाभ करवाया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच करके ऐसे अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ।

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला कृषि अधिकारी, देवरिया द्वारा वर्ष 1977–78, 1978–79 और 1979–80 में रु0 2,50,580.00 राजकीय कोषागार से आहरित करके केवल रु0 2,28,847.83 ठेकेदारों के नाम बंधित पास-बुकों में जमा कर दिया गया था। निर्माण सम्बन्धी सामग्री समय पर उपलब्ध न होने के कारण कुछ कार्य अवशेष रह गया। ठेकेदारों के नाम जमा धनराशि पर ब्याज का लाभ उन्हें न देने के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब अन्य कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिलाधिकारी, जालौन द्वारा जालौन जनपद से प्रकाशित पत्रों के लिए कागज का कोटा दिए जाने हेतु भारत सरकार से संस्तुति

19—श्री शंकर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद से प्रकाशित होने वाले किस-किस पत्र को गत पांच वर्षों में क्रमशः कितना-कितना कागज का कोटा दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, जालौन ने भारत सरकार को संस्तुति की थी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिला अधिकारी, जालौन ने गत पांच वर्षों में, उस जनपद से प्रकाशित होने वाले किसी भी पत्र के लिए कागज के कोटे की भारत सरकार से कोई संस्तुति नहीं की ।

डी0पी0 नवानी, खण्ड विकास अधिकारी पुरवा सहारनपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

20—श्रीमती विमला राकेश—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0पी0 नवानी, विकास खण्ड अधिकारी, ब्लाक पुरवा का सहारनपुर के भ्रष्टचार के विरुद्ध जनपद के विधायकों तथा ग्राम प्रधानों एवं क्षत्रीय जनता की 6 से 7 माह पूर्व लिखित शिकायतें उन्हें मिली हैं ? यदि हां, तो माह अगस्त, सन् 1980 में उनका स्थानान्तरण आदेश क्यों रोक दिया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

स्थानान्तरण आदेश जनहित में रोका गया ।

देवरिया जिले के अन्तर्गत ब्लाक सेवरही बदुघुही के बी0डी0ओ0 की नियुक्ति

21—श्री धूप राय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत ब्लाक सेवरही बदुघुही में गत 6 मार्च से कोई बी0डी0ओ0 नहीं है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ? तथा बी0डी0ओ0 की कब तक नियुक्ति कर दी जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। इन विकास खण्डों मे 6 माह से नियमित विकास खण्ड अधिकारी नहीं है। इन विकास खण्डों का कार्य समीपवर्ती खण्ड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को सौंप दिया गया हैं ।

आयुक्त, गोरखपुर मण्डल को इन विकास खण्डों में स्थानापन्न प्रबन्ध कर तैनाती हेतु निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाए जाने का प्रयास

[12 बजकर 21 मिनट पर]

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, प्रश्नों के बारे में, आप सुन लें, कृपया. . . . .

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बारे मे यहां व्यवस्था नहीं उठती, अभी कोई और बिजनेस आया नहीं है, नियम 301 की सूचनाए मैं ले रहा हूं। प्रश्नों के बारे में आप लिखकर मेरे पास भेज दे।

प्रदेश की खाण्डसारी इकाइयों से दिसम्बर व जनवरी की लेवी चीनी की वसूली से खाण्डसारी उद्योग में संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामकृष्ण माहेश्वरी—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने दिनांक 31 जनवरी, 1981 से खाण्डसारी पर 50 प्रतिशत लेवी 320 रुपए प्रति कुन्तल की दर से लेने का निश्चय किया था उसके पश्चात् 30 जनवरी, 1981 तक खाण्डसारी निर्माताओं के पास पिछले बचे शेष खाण्डसारी स्टाक पर भी 50 प्रतिशत सरकार को देना प्रारम्भ कर दिया है।

हाल ही में सरकार द्वारा माह दिसम्बर, 1980 व जनवरी, 1981 के सम्पूर्ण खाण्डसारी उत्पादन पर भी 50 प्रतिशत लेवी देने के आदेश जारी किये गये हैं, अधिकांश उत्पादक अपना उत्पादन बेच कर ही गन्ना क्रय करते हैं, दिसम्बर व जनवरी की खाण्डसारी, उत्पादकों द्वारा बेची जा चुकी है। अतः यह गम्भीर प्रश्न खड़ा हो गया है कि इन महीनों की लेवी, उत्पादक किस प्रकार व कहां से दें, यह एक लघु एवं कुटीर उद्योग है जिसमें लगे लाखों निर्माता व श्रमिक अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, इस आदेश से इस उद्योग में लगे लोग बहुत बड़े संकट में फंस गये हैं तथा इस उद्योग के नष्ट एवं समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी एवं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए वह इस लघु एवं कुटीर उद्योग को नष्ट होने से बचायें तथा इन दो महीनों की खाण्डसारी न लेने के आदेश अधिकारियों को तुरन्त जारी करने की कृपा करने का कष्ट करें।

ग्राम लौंग कलां, जिला इलाहाबाद में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में लौंग खुर्द के श्री बीरबल को पुलिस द्वारा गायब कर देने के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं शासन का ध्यान दिनांक 6–7 फरवरी, 81 को लौंग कलां के हरविलास के यहां पड़ी डकैती के सिलसिले में पास ही के ग्राम लौंग खुर्द के दो भाइयों जीवन लाल तथा बीरबल को पुलिस पकड़ ले गयी थी। एक भाई जीवन का तो चालान करके जेल भेज दिया गया था दूसरा भाई आज तक गायब है। उनके पिता ने दूसरे दिन तार द्वारा स्थानीय एस0एस0पी0 को सूचित कर दिया था जिसकी कापी† संलग्न है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को भी रजिस्ट्री पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया था। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मुझे मालूम हुआ है कि थाने द्वारा फर्जी लोगों को नामजद कर लिया गया था और रिपोर्ट भी फर्जी बनाई गयी थी। अन्य किसी से एफ0 आई0आर0 लिखवा कर हर विलास जिसके यहां डकैती पड़ी थी बेहोशी की हालत में उसका

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापी नहीं गयी।

अंगठा निशान लगा लिया गया था। अतः उपरोक्त अतिमहत्वपूर्ण लोक महत्व के इस गम्भीर विषय पर ध्यान आकर्षित करने एवं [illegible] इस काण्ड से गांव में भयभीत लोगों को राहत दिलाने की कार्यवाही की जाय।

पश्चिमी जिलों में हाई कोर्ट खण्डपीठ की स्थापना के सम्बन्ध में मुरादाबाद बार एसोसिएशन के श्री कल्याण सिंह व अकील अहमद चौधरी एडवोकेट द्वारा आत्म दाह की धमकी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मुरादाबाद बार एसोसिएशन ने दिनांक 25-3-81 को एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह पास किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ स्थापित करने की तरन्त घोषणा की जाय, उसी प्रस्ताव में उन्होंने यह भी पारित किया है कि यदि खण्डपीठ की घोषणा अविलम्ब न हुई तो श्री कल्याण सिंह त्यागी तथा अकील अहमद चौधरी, एडवोकेट आत्मदाह भी करेंगें। मुरादाबाद तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस सम्बन्ध में जो संघर्ष समिति बनाई गयी है उसके द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अदालतें विशेष रूप से मुरादाबाद की अदालतें बिल्कुल बन्द पड़ी हैं। जिससे जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है जिससे जनता का मकदमों से सम्बन्ध है, वह बहुत बड़े पैमाने पर परेशान हैं और दिनांक 25-3-81 के इस प्रस्ताव के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मुरादाबाद में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है। श्री कल्याण सिंह त्यागी तथा श्री अकील अहमद चौधरी मुरादाबाद बार के लीडिंग एडवोकेट भी हैं और राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और इसी कारण से मुरादाबाद बार एसोसिएशन के द्वारा इस प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात् हर वर्ग की जनता में अविश्वास, असन्तोष की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

बरहज, जिला देवरिया में अवर अभियन्ता श्री यू0एन0 सिंह पर श्री राम सिंह व कुछ अराजक तत्वों द्वारा हमले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी—

मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सुनिश्चित सूचना लाना चाहता हूं। जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

गत 1 मार्च, 1981 को बरहज (देवरिया) में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री यू0 एन0 सिंह के ऊपर माननीय विधायक श्री मोहन सिंह के सगे छोटे भाई श्री राम सिंह तथा कुछ अराजकतत्वों द्वारा किये गये प्राणघातक हमले के कारण सम्पूर्ण जनपद में कार्यरत विद्युत कर्मचारियों में उक्त घटना को लेकर भय एवं असन्तोष का वातावरण व्याप्त है। श्री यू0 एन0 सिंह ने एक बार जब श्री मोहन सिंह के घर और नलकूप की बिजली काटनी चाही तो उन्हें काफी अपमानित किया गया यही नहीं उन्होंने जब उन्हीं के दल के एक व्यक्ति का कनेक्शन विद्युत बिल न जमा करने के कारण काटना चाहा तो उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी गयी। इस आशय की एक रिपोर्ट श्री यू0 एन0 सिंह ने 24 फरवरी, 1981 को बरहज थाने में दर्ज कराई किन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसी का यह परिणाम निकला। 1 मार्च, 1981 को जब श्री यू0 एन0 सिंह अपने विभागीय कार्य मे मोटर साइकिल द्वारा कहीं जा रहे थे श्रीराम सिंह अपने कुछ साथियों के साथ खींच लिया और डंडों से उनकी पिटाई की। इस घटना की रिपोर्ट श्री यू0 एन0 सिंह ने उसी दिन बरहज थाने में दर्ज करा दी और अपनी सुरक्षा की मांग की, किन्तु स्थानीय प्रशासन ने इस सम्बन्ध में कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डा0 विनोद कुमार तिवारी]

ध्यान नहीं दिया। श्री मोहन सिंह के परिवार के ऊपर विद्युत् विभाग का लगभग 15 हजार रुपया विद्युत् बिल के रूप में बकाया है।

[* * *]

विद्युत् विभाग का कोई भी व्यक्ति उनके तथा उनसे सम्बन्धित लोगों के कनेक्शन भारी बकाये के बावजूद भी काटने से डर रहा है। विद्युत कर्मियों के कथनानुसार श्री मोहन सिंह, विधायक के भय से स्थानीय प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। उक्त घटना के विरोध में बरहज में तीन दिन तक विद्युत् आपूर्ति भी बन्द रही।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब श्री यू0 एन0 सिंह के जान माल की रक्षा तथा अपराधियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय।

(सचिव, विधान सभा के पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री झिलमिट राम—

मान्यवर, इसमें गुण्डा शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर इस तरह से हुआ, तो तो [* * *] मान्यवर, आपको इसमें व्यवस्था देना होगा।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह उचित होगा कि इसमें माननीय मोहन सिंह को सुन लें, वह खड़े भी हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इधर मैं घर गया नहीं, ये क्या सूचना दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम . . . .

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी—

मान्यवर, एक नई परम्परा न कायम करें। माननीय मोहन सिंह को बोलने की अनुमति न दें।

श्री अध्यक्ष—

वह अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, क्या इस पर चर्चा हो सकती है, जो व्यक्तिगत उनको बोलने की अनुमति दे रहे हैं?

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, चूंकि मैं इधर घर गया नहीं, इसलिए इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि सचमुच मेरे भाई ने किसी को मारा है तो इसका खेद है, जैसे ही मुझे जानकारी होगी मैं तुरन्त खेद प्रकाश करूंगा। यदि ऐसी कोई बात है तो शासन निष्पक्ष जांच कराये और कोई अवरोध या प्रतिरोध नहीं पैदा किया जायगा।

उ0 प्र0 उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1981

[12 बज कर 31 मिनट]

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1981 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट (***) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1981, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

विद्युत् मन्त्री, श्री ब्रह्म दत्त के विरुद्ध उठाए गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[12 बजकर 32 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री दिवाकर विक्रम तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ सदस्यगण, विधान सभा ने दिनांक 19 मार्च, 1981 को माननीय विद्युत् मन्त्री श्री ब्रह्म दत्त के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान की एक सूचना इस आधार पर दी थी कि दिनांक 5 फरवरी, 1981 को माननीय विद्युत् मन्त्री ने ग्राम परशुरामपुर, जिला बस्ती में कुछ अराजक तत्वों द्वारा पुलिस की साजिश से भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री सुखपाल पाण्डेय को जान से मारने की कोशिश तथा रात भर श्री पाण्डेय एवं उनके शैडो को कमरे में बन्द होने के लिए मजबूर करने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री की ओर से नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य देते हुए यह कहा कि—

"श्री सुखपाल पाण्डेय ने इस सम्बन्ध में कोई अभियोग अंकित नहीं कराया है ।"

माननीय सदस्यों की शिकायत में कहा गया है कि इसी वक्तव्य के संदर्भ में श्री रियासत हुसैन के एक पूरक प्रश्न—

"जो रिपोर्ट शैडो ने लिखाई है उसको पढ़कर सुनायेंगे" के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि—

"सुखपाल पाण्डेय की मेरे पास रिपोर्ट है और शेष नारायण सिंह की रिपोर्ट है और शैडो की कोई रिपोर्ट नहीं है ।"

उक्त माननीय सदस्यगण का कहना है कि माननीय मन्त्री ने अपने मूल वक्तव्य में जो यह कहा था कि श्री सुखपाल पाण्डेय ने कोई अभियोग अंकित नहीं कराया और श्री शेष नारायण सिंह ने 15 जनवरी, 1981 को थाना परशुरामपुर में एक मुकदमा अपराध संख्या 11 भां0 द0 वि0 की धारा 143/342/449 बनाम श्री सुखपाल पाण्डेय दर्ज कराया है, इससे परस्पर विरोधी सूचना तथा वक्तव्य हो जाता है तथा इस प्रकार माननीय मन्त्री ने मुकदमा कायम करने की बात को जानबूझकर छिपाने तथा सदन को गुमराह करने की कार्यवाही की है ।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय विद्युत मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी । माननीय मन्त्री ने अपने पत्र दिनांक 23 मार्च, 1981 द्वारा मुझे सूचित किया है कि जहां तक श्री सुखपाल पांडेय द्वारा घटना के सम्बन्ध में अभियोग अंकित न कराने का प्रश्न है यह सूचना जिले से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है । अपने स्पष्टीकरण में विद्युत मंत्री ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में उनके द्वारा सदन में कही गयी बातों का आशय प्रथम सूचना रिपोर्ट से नहीं था बल्कि घटना के सम्बन्ध में जो विवरण श्री सुखपाल पाण्डेय के सहयोगियों तथा शेष नारायण सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिया गया था, उससे था । उनका आगे यह भी कहना है कि उक्त बिन्दु इस बात से और भी स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपने वक्तव्य के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में शैडो के बयान को लेकर सदन के पटल पर रखने का आश्वासन भी दिया है ।

माननीय शिकायतकर्त्ता सदस्यों ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि माननीय विद्युत मन्त्री ने जानबूझकर तथ्यों को छिपाने या सदन को गुमराह करने का प्रयत्न किया है ।

उपर्युक्त परिस्थितियों में मैं इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्रीमती गौरी देवी द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की सूचना के लिए जाने की मांग

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर आइटम नं0 6 पर श्रीमती गौरी देवी की विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर आज की तारीख निश्चित की थी ताकि उस पर चर्चा हो सके, वह कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी कोई सूचना नहीं आयी। सूचना के लिये कहा गया था, मैं चाहूंगा कि शासन उसकी सूचना दे।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

सदन के समक्ष कह रहा हूं कि शासन उसकी सूचना दे। पहले भी कहा था, उसकी सूचना आ जानी चाहिये।

राजभवन, लखनऊ से बेशकीमती ऐतिहासिक तलवार चोरी हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

[12 बजकर 35 मिनट]

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

सन् 1955 में जब सऊदी अरब के सम्राट भारतवर्ष आये थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री के0 एम0 मुन्शी को एक तलवार उपहार स्वरूप दी थी। यह तलवार इस्पात की बनी थी, परन्तु उसकी मियान और मूठ जो लकड़ी की थी, के ऊपर सोने का पत्तर चढ़ा हुआ था। यह तलवार सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्यपाल के सुरक्षित कमरों में एक शीशे के केस में रखी रहती थी।

2—दिनांक 18 मार्च, 1981 को प्रातः ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने सूचना दी कि यह तलवार केस से गायब है। राज्यपाल के सचिव ने तुरन्त इसकी सूचना पुलिस महानिरीक्षक को दी। पुलिस महानिरीक्षक तथा कुछ अन्य अधिकारी तुरन्त ही राज भवन पहुंच गये तथा वहां के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पूछतांछ की तथा घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस महानिरीक्षक के आदेशानुसार इस मामले की जांच अपराध शाखा ने तत्काल प्रारम्भ कर दी।

3—प्रारम्भिक जांच से उक्त तलवार का चोरी जाना ही प्रतीत हुआ। अतः दिनांक 22 मार्च, 1981 को इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना हजरतगंज, लखनऊ में अभियोग संख्या 470 के अन्तर्गत धारा 380 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराई गई। अभियोग की विवेचना अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।

4—इस सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1981 को विभिन्न व्यक्तियों, जिनमें राज भवन के कर्मचारी भी थे, से गहराई से पूछतांछ की गयी। राजभवन के एक कर्मचारी परमेश्वरी उर्फ मुन्ना ने तलवार की चोरी करना स्वीकार किया जिसे तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन अभियुक्त परमेश्वरी ने स्वतंत्र साक्षियों के सामने अपने निशानदेही पर राजभवन के परिसर से तलवार की मियान व मूंठ पर से उतारे सोने के पत्तर के कुछ अंश व राजभवन की छत से तलवार और उसकी म्यान की लकड़ी का अधिकांश, जिसके कुछ भाग पर सोने का पत्तर भी मौजूद था, बरामद कराई। इसी अभियुक्त ने दिनांक 25 मार्च, 1981 को तलवार की म्यान की लकड़ी का अवशेष भाग एवं उस पर से उतारे गये कुछ और सोने का पत्तर बरामद कराये। उसने यह भी बतलाया कि सोने के पत्तर के कुछ टुकड़े उसने अपने एक साथी राम किशुन निवासी, लखनऊ को दिये थे जिससे सम्पर्क करके उसकी तलाशी ली गई और तलवार की म्यान से उतारे दो सोने के पत्तर बरामद किये गये। रामकिशुन ने बरामदशुदा सोने के टुकड़ों को परमेश्वरी से प्राप्त करना स्वीकार किया और यह भी बतलाया कि सोने के पत्तर के कुछ अंश, जो उसने

परमेश्वरी उर्फ मुन्ना से प्राप्त किये थे, अपने एक अन्य साथी को दे दिये हैं। राम किशुन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथी की तलाश की जा रही है।

5—राजभवन के अधिकारियों ने इस तलवार को एक फोटो अपराध शाखा को दी थी। बरामद किये गये सोने के पत्तरों के ऊपर नक्काशी की मिलान तलवार की फोटो से की गयी जो फोटो के अनुरूप है सोने के पत्तरों को देखकर राजभवन के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उसे चोरी गई तलवार का होना सत्यापित किया है। अभी तक कोई साक्ष्य इस प्रकार का उपलब्ध नहीं हुआ कि तलवार की म्यान या मूठ में कोई हीरे जवाहरात आदि भी जड़े हुए थे। अब तक बरामद किये गये सोने के पत्तर का वजन 404 ग्राम है जो तलवार की म्यान व मूठ पर मढ़े सोने का अधिकांश भाग है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इस पर प्रश्न नहीं उठते हैं। इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था और वह हो गया।

श्री त्रिवेनी—

इसमें कोई वादविवाद नहीं होगा और न कोई प्रश्न पूछा जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ—

स्पष्टीकरण के लिये अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष—

उस दिन ही मैंने जब इसको स्वीकार किया था तो केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था और वह हो गया है।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

स्पष्टीकरण के लिये मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल हमारे इस पूरे प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हैं।

श्री मोहन सिंह—

हम लोग जानते हैं।

श्री अध्यक्ष—

उसी को याद दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से संविधान के अन्तर्गत कोई भी किसी प्रकार की बहस राज्यपाल के सम्बन्ध में या उनके आचरण के सम्बन्ध में नहीं हो सकती है।

श्री नन्द किशोर सिंह—

उनके सम्बन्ध में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह हम लोगों की मर्यादा का प्रश्न है सब की मर्यादा का प्रश्न है कि सबसे बड़े अधिकारी राज्यपाल के सम्बन्ध में कोई भी आरोप या प्रत्यारोप न करें। चोरी के सम्बन्ध में 1, 2 प्रश्न करना चाहते ह, तो कर लें।

श्री मोहन सिंह—

एक तो यह बात अखबार में आई कि यह तलवार कुछ हजार रुपये की है।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, आप स्पष्ट व्यवस्था दे चुके हैं कि इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—

मैंने निश्चित रूप से यह व्यवस्था दे दी है कि राज्यपाल के सम्बन्ध में उनके आचरण के सम्बन्ध में कतई कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। मैंने माननीय सदस्य को इजाजत दी है मात्र इस चोरी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का प्रश्न पूछेंगे। अगर राज्यपाल के सम्बन्ध मे प्रश्न पूछेंगे तो मैं पूछने नहीं दूंगा।

*श्री मोहन सिंह—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से साफ है कि सोने के पत्तर मूठ और म्यान पर लगे थे। इससे सिद्ध होता है कि उसकी कीमत हजार में तो हो नहीं सकती लाखों में है। मैं जानना चाहता हूं कि 18 मार्च को सूचना दी गई, 18 से पहले उसकी चोरी हो सकती है तो किन परिस्थितियों में 22 मार्च को एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई? मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि.....

(घोर व्यवधान) [× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं।

(शोर)

आप लोग कृपया बैठ जायं।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि एक सम्मानित संसद सदस्य के बारे में यह प्रश्न उठाया गया है, जो यहां पर मौजूद नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिये।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के बारे में कुछ नहीं कहा है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री यदुनाथ—

मान्यवर, एक मिनट मुझे दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

मैं कहना चाहता हूं कि यह दूसरे सदन की एक सदस्य हैं। दूसरे सदन का सदस्य जो यहां उपस्थित नहीं है, उसके संबंध में आरोपात्मक ढंग से नहीं कहना चाहिये। कृपा करके ऐसा न करें। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

(शोर)

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

इसको कार्यवाही से निकाल दीजिये।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, यह कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिये।

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[××××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री त्रिवेनी—

श्रीमन्, इसको कार्यवाही से निकाल दीजिये।

(शोर)

श्री कुबेर भण्डारी—

[× × × ×]

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं लिखा जायगा।

श्री मोती लाल देहलवी—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जायं।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, आपने आदेश दिया कि राज्यपाल से संबंधित प्रश्न न हो।

श्री अध्यक्ष—

मोतीलाल जी, आप बैठ जायं।

श्री कुबेर भण्डारी—

[× × × ×]

श्री मोती लाल देहलवी—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं यह नहीं लिखा जायगा।

(शोर)

श्री मोती लाल देहलवी—

अध्यक्ष महोदय, हम राज्यपाल के संबंध में प्रश्न नहीं करना चाहते थे। लेकिन अगर उनके परिवार के लोग इसमें शामिल हैं तो हमको मौका मिलना चाहिये। हम लोग सदन से त्याग करते हैं।

(श्री मोती लाल देहलवी लोक दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री कुबेर भण्डारी—

[× × ×]

मैं भी सदन से त्याग करता हूं।

(श्री कुबेर भण्डारी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री खैरुल बशर—

तलवार की नोंक से घायल होकर बौखला गये हैं।

लखनऊ में एक ही दिन में तीन व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या 8 (ख) के सम्बन्ध में जो लखनऊ शहर में हुयी हत्याओं के बारे में है, माननीय मंत्री जी, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी जी ने इस पर समय मांगा है, और आज शाम तक वक्तव्य वह दे देंगे।

नोट—[× × ×]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (12 बजकर 51 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

आज कार्य-स्थगन की 3 सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं, लेकिन वह सभी अस्वीकृत हुयीं। जिसमें से पहली है, श्री मित्रसेन यादव जी की, जो रायबरेली स्टेट स्पिनिंग मिल के सभी कर्मचारियों द्वारा मिल में हो रहे लाखों रुपये के घोटाले, मजदूरों के अवैध निलम्बन, मिल मजदूरों की पिटाई, अधिकारियों के तानाशाहीपूर्ण रवैये तथा उन्हें 16 प्रतिशत बोनस तथा ओवर टाइम का पैसा न मिलने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल के सम्बन्ध में है। और दूसरी श्री शंकर सिंह एवं श्री दलगंजन सिंह की है जो दिनांक 29-3-81 को जनपद जालौन की उरई पुलिस लाइन्स में दस्यु दल द्वारा मारे गये पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने हेतु आयोजित शोक सभा में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा "दैनिक आज" तथा "दैनिक जागरण" के सम्वाददाताओं को अपमानित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत बन्द करने की धमकी देने के सम्बन्ध में है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, रायबरेली स्टेट स्पिनिंग मिल में जबर्दस्त घोटाले का मामला है, और यह मान्यवर, देश की प्रधान मंत्री का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है, ऐसे स्थान पर यह (शोर) श्रीमन् . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप थे ही नहीं।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक निवेदन सुन लें। मान्यवर, हमारे मित्र, श्री शंकर सिंह जी की काय स्थगन की सूचना पर आज वक्तव्य आना है। उसमें मुझे आग्रह करना है कि चूंकि यह मामला पत्रकारों से सम्बन्धित है, इन लोगों ने सही खबरें छापीं, जिसकी वजह से वहां के एस0पी0 महोदय इन लोगों से बहुत नाराज हैं, और इनको अपमानित भी किया। इस लिए मेरा निवेदन है कि इस घटना की सूचना भी आप वायरलेस, टेलीफोन या अन्य किसी भी साधन से मंगाकर शाम के वक्तव्य के समय समाहित कर लें, जिससे सारी स्थिति सामने आ सके।

श्री अध्यक्ष—

कापी उनको भेज दी गयी है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, वह कापी तो भेज दी गयी, लेकिन जो बात श्री मोहन सिंह जी ने कही, मैं उस बात की पुष्टि करते हुये यह कहना चाहता हूं कि आप मान्यवर, स्वयं इसका आश्वासन दिलवा दें कि वह सूचना भी शाम तक अवश्य आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी, कार्य-स्थगन के सम्बन्ध में जो बातें आयी हैं (शोर) उसी से संबंधित आज एक वक्तव्य नियम 51 में जालौन के संबंध में होने वाला है।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, कार्य-स्थगन का प्रस्ताव हमारा है, इसलिए इस सम्बन्ध में दो मिनट का समय हमें दे दें। जो बात माननीय मोहन सिंह जी ने कही है, वह इससे बिल्कुल सम्बन्धित नहीं हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं, आपके इस मामले को नियम 51 में ले लिया है, उसी समय आप जो कहना चाहें, कहिएगा, कृपया बैठ जायं।

श्री शंकर सिंह—

(शोर)

श्री शंकर सिंह—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

(श्री शंकर सिंह आगे आकर सदन में प्रतिवेदकों की मेज के सामने बैठ गये और श्री दल गंजन सिंह अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलते रहे।)

1981–82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–67 विद्युत् विभाग, अनुदान संख्या 103–विद्युत विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 125–विद्युत् विभाग–ऋण और अग्रिम (12 बजकर 56 मिनट)

वित्त एवं विद्युत मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, में आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67—विद्युत विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 103—विद्युत विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 125—विद्युत विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,16,09,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(नियोजन मंत्री द्वारा अनुदान प्रस्तुत करते समय विरोधी पक्ष की ओर से श्री दलगंजन सिंह, श्री मोती लाल देहलवी तथा श्री मोहन सिंह बराबर शोर करते रहे।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, एक व्यवस्था चाहता हूं। एक ओर माननीय मंत्री जी बजट पर बोल रहे हैं, दूसरी ओर सदन में हाहाकार मचा हुआ है, यह सदन कैसे चलायेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—(****) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप अपने स्थान पर कृपया बैठें।

(श्री अध्यक्ष के खड़े होने पर श्री शंकर सिंह अपने स्थान पर वापस चले गये।)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपने जालौन के संबंध में पहले वक्तव्य के लिए मांग की थी। मैंने वक्तव्य के लिये शासन से कहा। कम से कम समय में मैंने वक्तव्य के लिये उसे स्वीकार किया।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, यह अधिकारों का.....

श्री अध्यक्ष—

और आज आपने जिस घटना के संबंध में बताया, वह किस तरह से हुई? जिस तरह से भी हुई और जिस तरह से अखबारों में आयी, उसमें उठाया गया कि किसी एस0 पी0 महोदय ने पत्रकारों के संबंध में कुछ कहा सुना। उस संबंध में भी मैं वही कहने जा रहा था कि इस कार्य-स्थगन की सूचना में जो बात लिखी हुई है, वह मंत्री जी के पास भेज दी गयी है और यथासम्भव उसके संबंध में जितनी जानकारी प्राप्त हो सके आज सदन को दे दें।

श्री शंकर सिंह—

एक मिनट सुन लें, मेरा यह मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैं कतई नहीं सुनूंगा, आप बैठें।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, एक मिनट सुन लीजिये।

श्री मित्रसेन—

रायबरेली में स्टेट स्पिनिंग मिल में हड़ताल चल रही है और दफा 144 लगी हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं किसी को नहीं सुनूंगा। मा0 वित्त मंत्री.....

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन—

6 आदमी गिरफ्तार किये गये। पूर्ण रूप से हड़ताल चल रही है। इतने महत्वपूर्ण विषय को आप को स्वीकार करना चाहिये।

(व्यवधान)

1981–82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 67–विद्युत् विभाग, अनुदान संख्या–103 विद्युत विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 125–विद्युत् विभाग–ऋण और अग्रिम (क्रमागत)

[12 बजकर 59 मिनट]

*वित्त एवं विद्युत मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैंने यह तीनों अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत किये। मुझे यह आभास है कि सब से महत्वपूर्ण मामला किसी देश और प्रदेश के लिये विद्युत होती है। इसके महत्व को देखते हुए समझते हुए मैं यह चेष्टा करुंगा कि इस प्रदेश में विद्युत परिषद के संबंध में कुछ मुख्य बातें इस माननीय सदन के समक्ष रखूंगा। मैंने एक पुस्तिका उपलब्ध करायी है माननीय सदस्यों को और उसमें वस्तु स्थिति रखने की चेष्टा की है लेकिन फिर भी कुछ चीजें है जिनकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस समय हमारे प्रदेश में विद्युत के क्षेत्र में 3 हजार मेगावाट का लक्ष्य है जिसमें से 2273 उपलब्ध है और शेष 727 की कमी है लेकिन पंचवर्षीय योजना के अन्त में 85 के वर्ष में 4750 मेगावाट के मांग की उम्मीद है क्योंकि खेती और उद्योग आदि में मांग बढ़ रही है और 90 के अन्त तक 8600 मेगावाट हो जायेगी। इसलिए आवश्यक है कि विद्युत् की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए हम तीन तरह से प्रयास करें और अपने मुख्य मंत्री के नेतृत्व में हमारे शासन ने तीन तरह से रणनीति अपनायी है। पहली तो यह कि हम पहले स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करें और दूसरे जो योजनायें चल रही है उनको शीघ्र पूरा करें और तीसरा जो यह है कि भविष्य के लिए जो नयी योजनाएं स्वीकृत कराये, उन पर काम जल्द शुरू करवायें। इस संबंध में इस वर्ष हमने 144 मेगावाट की चिल्ला, ओबरा में 12 वीं मशीन को चालू करने का भी निश्चय किया गया है।

यह भी सूचित करना है कि 344 मेगावाट की क्षमता की एक योजना स्वीकार कर ली गयी है। दो सौ मेगावाट की स्क्रूटिनाइज्ड हो गयी है और 28 मार्च को इस प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन, जो आज तक कभी नहीं हुआ, 29.7 मिलियन हो जायेगा। इस के अलावा लोहारी नागपाला जल विद्युत योजना है और मनेरी-भाली दो बड़ी महत्वपूर्ण योजनायें है। इसके लिए भी सेन्ट्रल एलेक्ट्रिसिटी अथारिटी ने चलाने की अनुमति दे दी है। इस समय जो हमारी सबसे बड़ी योजना हाइडिल की है 17 सौ मेगावाट की 80 तक पूरी हो जायेगी। परीछा, टाण्डा, आनपारा आदि 85 तक पूरी हो जायेगी। इनकी स्थापित क्षमता 5179 होगी। 85 में आवश्यकता 4750 की होगी। इसको हम बहुत कठिनाई से पूरा कर सकेंगे और अगर हम इनका अधिकतम उपयोग न करें। इसके अलावा मनेरीभाली दो, खारा, श्रीनगर, कोटेश्वर बांध, किशाऊबांध आदि नयी योजनायें हैं। यह भी हमारा विचार है कि इस प्रदेश के हर अंचल में बड़े अच्छे तापीय विद्युत गृह स्थापित करें। एक हजार मेगावाट के स्थापित करने भी जा रहे हैं। ऊंचाहार, रायबरेली, रोजा शाहजहांपुर, जवाहरपुर एटा, दोहरीघाट आजमगढ़ में एक तरह से हैं। परीक्षा एक्सटेंशन और नरोरा बुलन्दशहर के बाद जो हमारा एटामिक स्टेशन है। इस तरह से 81 के अन्त तक में 3 हजार और 85 के अन्त में 5 हजार तथा 90 तक लगभग 14 हजार की क्षमता हो जायेगी। 1990 तक हमारा जो कार्यक्रम है लगभग 14000 मेगावाट पैदा कर लेंगे और हमारा दावा है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश विद्युत बाहर भेजने वाला हो जायेगा, दूसरे प्रदेशों को भेजने वाला होगा। मान्यवर, जिस वक्त हमारी सरकार बनी थी––

श्री मसरूर जाफरी––

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिस बच्चे को वहां रखा है, वह भी तो बताइये।

श्री ब्रह्म दत्त––

जहां इनको रखा है, वह भी बताऊंगा। सब बताऊंगा। धैर्य रखिए।

श्री रियासत हुसैन––

जैसा आपने बताया कि हमारा उत्पादन 1990 तक इतना हो जाएगा, क्या कोई आंकड़े हैं कि उस समय तक रिक्वायरमेन्ट कितना हो जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त––

1990 में हमारी जो रिक्वायरमेन्ट होगी वह 8600 मेगावाट होगी। यह जो पुस्तिका है इसके 10वें पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है। मैंने जो अन्दाजा लगाया है वह 14 हजार मेगावाट के करीब क्षमता होगी। इसके अलावा हम प्रयत्नशील है कि सिंगरौली में एक हजार मेगावाट एक्स्ट्रा इसके अलावा है। मान्यवर, इसके लिए हमने यह सोचा है कि 33 फीसदी योजना का खर्च विद्युत के ऊपर आने वाला हो। इसके

श्री ब्रह्म दत्त--

अलावा शारदा वैली नेशनल कारपोरेशन ले ले और हमें इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है कि शारदा वैली की पूरी योजना नेशनल कारपोरेशन लेने जा रही है।

(श्री मसरूर जाफरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

जब तक यह बैठेंगे नहीं, आप कैसे बोलेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय सदस्य यदि सुन लें तो ज्यादा अच्छा होगा। मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक योजना शुरू की है जो आयोग के सामने है और उसमें हमें सफलता मिल रही है। केन्द्रीय क्षेत्र में योजनायें चल रही हैं। नरोरा का पावर हाउस, सिंगरौली का सुपर थर्मल, मध्य प्रदेश और बिहार में (नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है) इनमें से हमको हिस्सा मिले। सिंगरौली ने 850 मेगावाट हिस्सा देना स्वीकार किया है। हमें उम्मीद है कि हिमांचल प्रदेश में जो योजना है उसमें भी हमको शेयर मिलेगा। इस तरह से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसमें जो कमी है वह भी दर्शायी गयी है और उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं अभी यह कह देना चाहता हूं कि हमने इस साल का उत्पादन क्षमता का लक्ष्य पूरा किया। हमने जो मशीनों की मरम्मत कराई उनकी वजह से हमारे ताप विद्युत गृह की इस समय 28 मार्च के दिन हमने 29.7 मिलियन यूनिट्स, 2 करोड़ 97 लाख यूनिट्स का उत्पादन, जो इस प्रदेश के इतिहास में एक रिकार्ड है। यहां जुलाई 1980 में यह उत्पादन 14.8 मिलियन यूनिट था। अगस्त में 13.8 मि0यू0 अक्तूबर में 14.3 मि0यू0, नवम्बर में 17.4 मि0यू0, दिसम्बर में 20.4 मि0यू0, जनवरी, 81 में 21.1 मि0यू0, फरवरी 81 में 22.4 मि0यू0 और मार्च 81 में 22.5 मिलियन यूनिट रहा। इस प्रकार 14.7 से बढ़कर 22.5 तक यह पहुंचा है और मैं यह आशा करता हूं कि 14.7 से बढ़कर 22.5 तक यह पहुंचा है और इसके आगे मैंने जैसा आपसे निवेदन किया भविष्य में और बढ़ने की सम्भावना है और मैं यह आशा करता हूं कि हमें समय पर अच्छा कोयला मिलेगा और हमारे इन्जीनियर तथा कर्मचारी तत्परता से काम करेंगे और हमारे माननीय जन प्रतिनिधि सुझाव देंगे और नियंत्रण रखेंगे तो हम इससे टारगेट को पूरा कर सकेंगे।

हमारे माननीय विधायक अपने-अपने जिलों में जायेंगे तो वह एक कमेटी होगी, हमारे सब माननीय सदस्य उसमें होंगे और यह भी हमने उसमें व्यवस्था की है कि उन्हीं माननीयों में से एक माननीय सदस्य उसको प्रिसाइड करेंगे और हमने जिलाधिकारी के लिए, विद्युत अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वह उन मीटिंगों में अवश्य जायं ताकि इसकी स्थिति की सूचना हमें अपने माननीय विधायकों से मिल सके। इसी प्रकार से जो ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी सूचना भी अप्रैल के महीने में हमारे माननीय विधायकों को उपलब्ध करा दी जाय। मान्यवर, इस प्रदेश में एक शीर्षक संस्था विद्युत परामर्शदात्री काउन्सिल का भी निर्माण किया गया है जिसका यह काम होगा कि वह हमें विद्युत के संबंध में परामर्श देगी। इस में उद्योग विभाग से, कृषि विभाग से, सिंचाई विभाग से, इसके अलावा मरचेन्ट्स आफ चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से हमने नुमाइन्दे लिये हैं। एक माननीय सदस्य लोक सभा से लिया है, एक माननीय सदस्य राज्य सभा से लिया है। एक माननीय सदस्य को हमने विधान परिषद् से भी लिया है और इस सदन के माननीय सदस्य श्री संजय सिंह को लिया है। इस प्रकार चार बड़े सदनों का प्रतिनिधित्व इस कमेटी में किया है। इसके अलावा .....(व्यवधान).....पांच साल तक इसी दल को कायम रहना है। आप जिला स्तर पर काम करें..... (तालियां)..... (शोर).....

श्री मसरूर जाफरी––

माया में छपा कि आप के चेले ने दस लाख रुपये प्रमोशन में लिये हैं.....

श्री अध्यक्ष––

(व्यवधान)

कृपया आप बैठें.....

एक सदस्य––

बार-बार अवरोध पैदा किया जा रहा है.....

श्री ब्रह्म दत्त––

मेरे से सम्बंधित किसी व्यक्ति या मेरे परिवार के सदस्य ने अगर एक भी रुपया लेने की किसी को जानकारी हो तो मैं इस सदन से त्याग पत्र दे दूंगा। चालीस साल का जीवन मेरा है मामूली नहीं है। मैंनें सत्ता का लोभ नहीं किया। गभीर विषय की ओर जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य चले जायं, उनको मौका है, मुख्य मंत्री जी को लिख कर दे सकते हैं। मेरा माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन है कि अगर इस सम्बन्ध में आरोप मेरे परिवार से संबधित या मेरे से संबंधित किसी व्यक्ति से हो तो मुझ से कहें और अगर प्राइमाकेसी पायेंगे तो म इस सदन और सरकार से त्याग पत्र दे दूंगा। मेरा सौभाग्य है कि आज बहुत से चेले मेरे उधर बैठे हैं। वे भी मेरे चेले रहे हैं। मुझ से अच्छी तरह से परिचित हैं कि किस तरह का मेरा आचरण और मेरी कार्य पद्धति रही है।

मान्यवर, एक बात और आज कहना चाहूंगा। हमें एक बात की और तुलना करनी पड़ती है। हमारे यहां पिछले वर्ष विद्युत की उपलब्धता क्या रही, विद्युत की कटौती क्या रही ? मान्यवर, 1979–80 का वर्ष सूखे का वर्ष था, बड़ा संकट था। इसलिए हमारा जो औद्योगिक उत्पादन था उस पर लगभग 66 2/3 की कटौती रही और इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई, हमारे पावर हाउसेज की मरम्मत हुई, कटौती 33 फीसदी से ज्यादा नहीं है। सीमेन्ट, वनस्पति, उर्वरक, उपयोगी दवाओं, ऐसे उद्योगों को हमने कटौती से मुक्त रखा है। पिछले वर्ष कुछ ज्यादा बिजली हम ग्रामीण क्षेत्रों को भी दे सके। पिछले वर्ष नवम्बर में आम तौर पर जो औसत आया था उसमें साढ़ चार घण्टे तक और उसके बाद दिसम्बर में साढ़ें तीन घण्टे था, जनवरी में 6 घण्टे, फरवरी, मार्च, में साढ़े पांच और 7 घण्टे था।

हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 घण्टे और आठ घण्टे बिजली पहुंचाई जाय। 6 घण्टे दो जून दिन में और 8 घण्टे दो जून रात में। यह बदलता रहता है, कभी दिन में ज्यादा होता है कभी रात में ज्यादा हो जाता है। व्यवधान होता है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने और हम ने इस बात का विचार किया। शक्ति भवन में किसान सेल की स्थापना की जहां पर दो मंत्री एक विद्युत विभाग से संबंधित और एक कृषि विभाग से संबंधित तथा एक उपमंत्री जी किसानसल की देखभाल कर रहे हैं। उसमें शिकायतों को एडमिट किया जाता है। उससे भी अच्छे परिणाम निकल रहे हैं।

मैं, मान्यवर, और निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, किसी भी चीजें को तुलनात्मक दृष्टि से लिया जाना चाहिए। 77–78, 78–79, 80–81 की कुछ बातों की तुलना करना चाहूंगा। निजी नलकूपों की बहुत महत्व है। 77–78 में जब पिछली सरकार का वर्ष था 30,000 नलकूपों को उर्जित करने का लक्ष्य था जिनमें से 29 24886 उर्जित किये गये। अगले साल लक्ष्य 40,000 था जिसमें हजार उर्जित किये गये, 79–80 में लक्ष्य 50,000 था, उर्जित किये गये 36000। 80–81 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है 37470 का और मार्च तक हम उम्मीद करते ह यह लक्ष्य पूरा हो जायगा। 37000 तक हम उपलब्ध करा लेंगे।

[श्री ब्रह्म दत्त]

ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में 77–78 में लक्ष्य था, 5,000 गांवों को बिजली देने का, 1928 गांवों को बिजली दी गयी। उसके अगले साल लक्ष्य 4870 का था और बिजली दी गयी थी 1272 गांवों को। 79–80 में लक्ष्य था 4,900 गांवों का बिजली गयी थी 2279 गांवों को। इस साल हम ने लक्ष्य निर्धारित किया है 4380 गांवों का और 2196 गांवों को बिजली दी जा चुकी है। इसमें भी हमारी उपलब्धि आगे जा रही है।

हरिजन बस्ती के बारे में विस्तार से कहना चाहूंगा। 5250 हरिजन बस्तियों को बिजली देने का 77–78 में लक्ष्य था इनमें से 1791 को बिजली दी गई। उसके अगले साल 4170 बस्तियों को बिजली देने का लक्ष्य था जिनमें से 1457 को बिजली दी गई। 79–80 में 3945 बस्तियों को देने का लक्ष्य था जिनमें से 1561 को बिजली दी गई। हमने इस साल लक्ष्य निर्धारित किया है 2735 बस्तियों को जिनमें से 1600 का लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं।

हमने केन्द्र सरकार से धन प्राप्त करने की कोशिश की है और अपने यहां जो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन मिनिस्टर मैकनामारा आये हैं उनसे भी हमारे राज्यपाल महोदय की मुलाकात हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में भी हम ने मिस्टर मैकनामारा से बातचीत की। हमने उनसे निवेदन किया कि हमको वर्ल्ड बैंक से आनपाड़ा "ब" 1000 मेगावाट, ऊंचाहार–420 मेगावाट, रोसा—4630 मेगावाट, जवाहरलू—630 मेगावाट, आनापाड़ा सी—1500 मेगावाट–4180 मेगावाट बिजली की लिए लगभग 4000 करोड़ रुपये की एड मिले। उन्होंने हमारी बातें समझीं और हमको कुछ अच्छे सुझाव दिये। वह ग्रामीण विद्युतीकरण इलाके को देखने भी गये। समाचार पत्रों में भी हमने पढ़ा है कि वह उत्तर प्रदेश की प्रगति से काफी प्रभावित हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन प्रेस्टीजियस प्रोजक्ट्स में वर्ल्ड बैंक से हमें काफी मदद मिलेगी। हमारी जो कल्फ कन्ट्रीज है, कुवैत है, जापान है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो योजनायें हैं उनको कामर्शियल क्रेडिट यदि वे उपलब्ध करायेंगे तो हम उसका स्वागत करते हैं। मान्यवर, हमें ज्ञात है कि कृषि और औद्योगिक विकास के लिये बिजली की बहुत आवश्यकता है। हमें यह भी ज्ञात है हमारे यहां जो नलकूप लगे हैं उनके लिये पर्याप्त बिजली नहीं दी जा रही है। बिजली उपलब्ध नहीं है इसके लिये चेष्टा हम कर रहे हैं।

मान्यवर, अब मैं कुछ अन्य बातें सदन के सामने रख देना चाहता हूं। सबसे आवश्यक है कि कृषि उद्योग में लगे हुये जो लोग हैं वे सन्तुष्ट रहेंगे तभी वे मन लगाकर काम कर सकेंगे। हमने इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। मैं उनका संक्षेप में विवरण देना चाहता हूं। दिनांक 1–4–74 से समस्त भूतपूर्व लाइसेंसधारी कर्मचारियों को वेतन निर्धारण का लाभ एवं अधिग्रहण को तिथि से उन्हें अवशेष का भुगतान, दिनांक 1–4–76 के बाद तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर कर्मचारियों का स्थायी करण। एच0 एम0 ओ0 के पैरा 197 में वर्णित सभी श्रेणी के कर्मचारियों को निःशुल्क आवास के बदले आवास भत्ता। परिषद् के 7 जोनों में पी0 ए0 (मिनिस्टीरियल) के पदों के सृजन एवं नियुक्ति। सहायक सुपरवाइजरों को बिना परीक्षा लिये अवर अभियन्ता बनाया जाना। आई0 टी0 आई0 उत्तीर्ण ड्राफ्ट्समैनों को डिप्लोमाधारी ड्राफ्ट्समैनों की भांति वेतनमान दिया जाना। वर्ष 78–79 तथा 1981 की हड़ताल अवधि का वेतन का भुगतान।

वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की भांति 1–4–69 से अवशेषों का भुगतान; मृतक परिषदीय कर्मचारियों के आश्रितों को उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान। अभियन्ता अधिकारियों को दिनांक 1–4–69 से वेतन विसंगतियों का निराकरण। मान्यवर, हमारे विद्युत परिषद् के लोगों ने यह अनुरोध किया था कि हमारा मामला वेतन आयोग में न भेजा जाय, सरकार स्वयं ही हमारे मसले को देखे। इस

लिये हमने निर्णय लिया है कि मई के महीने तक हम उनका पुनः निर्धारण वेतन के सम्बन्ध में कर देंगे। इस तरह से जो असन्तोष उन लोगों में हैं, वह दूर हो जायेगा।

मान्यवर, एक-दो बातें और निवेदन करना चाहूंगा। लेनिन ने कहा था कि कृषि को इक्वेट किया जा सकता है विद्युतीकरण से। अगर हमें खेती से उन्नति करनी है, ट्यूबवेल, पम्प कैनाल से पानी निकलवाना है जन सुविधा देनी है तो विद्युत् के उत्पादन को बढ़ाना होगा। हमें इसके लिये अच्छी तरह से सोच समझ कर नजर रखनी पड़ेगी कि जो हमारे कार्यक्रम हैं, वह ठीक हों, विभिन्न स्तरों पर जो समितियां बनी हैं उनमें हमारे विधायक और संसद सदस्य हमें पूरा सहयोग दें और देखें कि किस योजना में क्या प्रगति हो रही है, किस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें क्या दिक्कत सामने आ रही है ?

अब मैं बकाये के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, बकाये की स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बकाये रह जाती हैं (व्यवधान)। फर्जी रूप से बकाये की जो शिकायतें आयेंगी, उन पर जांच की जायेगी, गलत बिल जाते हैं, गलत वसूली होती है, उनकी जांच की जायेगी। उसमें आपके सहयोग की नितान्त आवश्यकता है। यदि ये चीजें हमारे नोटिस में आयेंगी तो उनकी जांच करके उनको पूरा किया जायेगा।

श्री कुबेर भण्डारी—

मीटर भी गड़बड़ चलते हैं।

श्री ब्रह्म दत्त—

अगर ट्यूबवेल में मीटर लग जायेगा तो बड़ा भारी नुकसान हो जायेगा। इसमें हम 15 रु0 हार्स पावर का फिक्स लेते हैं उसमें अगर हिसाब लगाया जाय तो दूसरों को जिस रेट पर हम बिजली देते हैं उस हिसाब से इसमें फिर डेढ़ गुना देना पड़ेगा। तो अगर मीटर लगाया जायेगा तो बड़ा भारी अन्याय हो जायेगा।

रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन में बहुत बड़ी हानि विद्युत परिषद् को होती है लेकिन वह एक सामाजिक उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हानि सहन करनी होगी। मैं सुझाव इस माननीय सदन के सामने और जिस मंत्रिमंडल का मैं सदस्य हूं उसके सामने भी रखने वाला हूं कि उस सोशल आब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो हानि होती है उसका एक अंश हमें लेना चाहिये।

अन्त में एक बात में हमारे जो ताप विद्युत् गृह हैं उसके बारे में कहना चाहूंगा जो खास तौर से मैदानी इलाकों में विशेषकर मिर्जापुर जिले में बड़ी संख्या में केन्द्रित होने वाले हैं। आगे आने वाले समय में 15 से 20 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला अकेला मिर्जापुर जिला होगा। हमारा मिर्जापुर का यह इलाका जर्मनी का जैसे रूर का इलाका था वैसा ही बन जायेगा लेकिन उसके विकास करने की जरूरत है दूसरे क्षेत्रों में भी हमारे थरमल के यूनिट होंगे।

पहाड़ों में 5 और 6 हजारफुट के जो इलाके है वहां के लिए भी हमारी स्कीम है और जो 6 हजार फीट से ऊपर के इलाके हैं जैसे माननीय जसवंत सिंह जी का और नेगी जी का इलाका है जो विकसित नहीं किया गया है उसमें भी करीब-करीब 34 माइक्रो हाईडिल स्कीम बनाने की बात है जिसकी स्कीम हमने भेजी है और इसमें जोर से स्वीकृति मिल रही है। वर्ल्ड बैंक के लोगों के सामने भी यह बात है। वहां ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा में माईक्रो हाइडिल जनरेशन और ट्रांसमिशन लाइन बिछाना दोनों काम शामिल कर रखे हैं। उस इलाके में ईंधन की बहुत कमी है, पेड़ हम काटने नहीं देते हैं और कोई दूसरा साधन वहां नहीं है इसलिए माइक्रो हाइडिल की व्यवस्था हम कर रहे हैं इसलिए बिजली के विकास में ऐसा नहीं है कि किसी अंग के लिए हमारा ध्यान न हो।

[श्री ब्रह्म दत्त]

दो बात आखिर में कहना चाहता हूं। जब किसी इलाके के लिए विद्युतीकरण की योजना बनती है तो उस इलाके की शकल कैसे बदल जाती है उसके लिए मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। मेरा गांव जहां 800 लोग रहते थे; जहां 1965 में यमुना परियोजना का पहला चरण पूरा हुआ था जो एक छोटी योजना थी उससे आज वह इलाका देहरादून का बहुत उन्नत इलाका है। मैं बताना चाहता हूं कि जहां-जहां योजनाएं चलेंगी, वहां सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे, अस्पताल बनेंगे। तो इसका लाभ वहां के ग्रामवासियों को भी हम उपलब्ध करायेंगे यह हम व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को रोजगार मिलेगा और ज्यादा सुविधायें मिलेंगी।

लेकिन एक बात का जरूर हमें ध्यान रखना होगा कि यह बड़ा भारी कार्यक्रम है इसमें बहुत रुपया लगने वाला है इस पर जबरदस्त नजर रखने की बात है। जो कमियां हैं जो भ्रष्टाचार है उससे मैं वाकिफ हूं इसलिए माननीय सदन के सभी सदस्यों को सहयोग इस काम में करना पड़ेगा। जैसा कि हम कर रहे हैं हर उत्पादन केन्द्र की, हर योजना की मोनेटरिंग आयेगी, जिसको हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है और मैं स्वयं देख रहा हूं, मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे माननीय सदस्य भी अपने-अपने क्षेत्र में चलने वाली योजनाओं का चाहे बड़ी हों या छोटी, चाहे ग्रामीण योजना हों या दूसरी उनके संबंध में अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें अवगत करायेंगे इस समय भी जो सुझाव होंगे उन पर भी हम विचार करेंगे। तो जिस तरह से हम गंभीर और टेकनिकल विषय पर हम चल रहे हैं उसके लिए ठोस सुझाव उपलब्ध करायेंगे। मैं आशा करता हूं कि इसी तरह के टेकनिकल और ठोस सुझाव हमें प्राप्त होंगे उसके लिए मैं अग्रिम आभार प्रकट करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67—विद्युत विभाग की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय:

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 103—विद्युत विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 125—विद्युत विभाग—ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, विद्युत मंत्री जी ने जो अभी अपना भाषण दिया है, मैं उनसे अपेक्षा करता था कि वह कुछ निश्चयात्मक सुझाव या निश्चयात्मक बात करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश जो इस देश में बिजली उत्पादन में 13वें नम्बर का प्रदेश हो गया है वह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, लेकिन मुझे अफसोस इससे निराशा हुई है। यह सही है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए के आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए विद्युत सबसे अधिक शक्तिशाली यन्त्र है। इस अभाव में कोई समाज, कोई देश या कोई क्षेत्र प्रगति नहीं कर सकता है, प्रदेश का नक्शा देखें। जब यहां से अंग्रेज चले गये थे तो यह प्रदेश ऊपर से विकास की श्रृंखला में पांचवें नम्बर पर था और इनकी कांग्रेस पार्टी के शासन काल में 31-32 वर्षों में यह नीचे से दूसरे नम्बर पर पहुंच गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा, जिससे पता चलेगा कि जो भी घोषणायें आप ने की हैं, उनमें कितना खोखलापन है, व्यवहारिकता और व्यवहारिकता की धरती पर आप उतरे ही नहीं हैं, केवल हवा में उड़ रहे हैं । जैसा कि अब तक हवा में उड़ते रहे हैं ।

(इस समय 1 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भीखालाल पीठासीन हुए ।)

मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं, उससें पता चल जाएगा कि यह जो दो ढाई साल इधर के बैठने वाले लोगों को सरकार चलाने का मौका मिला और उसमें हमारी क्या उपलब्धि थी । उससे यह अन्दाजा लग जाएगा कि इनके और हमारे काम करने के तरीके और काम करने में कितना अन्तर था और यहां बैठने वाले लोगों में उस समय प्रदेश को आगे ले जाने की कितनी प्रवल इच्छा थी और उधर शासन पक्ष में आज उसका कितना अभाव ह और रहा है ।

विद्युत परिषद् के सम्बन्ध में मैं एक बात कहूंगा कि सबसे खर्चीला इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, सबसे कम इसका उत्पादन है और प्रदेश में फी व्यक्ति बिजली की खपत सबसे कम है । 1976–77 में उत्तर प्रदेश में जब कि यह 72.2 था, हमने अपने समय में बढ़ाकर उसे 86.8 कर दिया था । इस अवधि में पंजाब में 243, गुजरात में 181 और महाराष्ट्र में 174.1 और इस देश की एवरेज फीगर 108.1 है । अब देखना है कि इस पर कितना खर्च हो रहा है, आप अपने बजट का 35 प्रतिशत खर्च करेंगे, तो वह कहां जा रहा है, विदित है कि सारे का सारा पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग पर खर्च हो रहा है। आप देखें कि हम पिछड़े से पिछड़े प्रदेशों से एवरेज में कितना पीछे हैं । यह लम्बे-चौड़े आंकड़े हैं । मैं तो दूसरी फीगर दे रहा था जब वर्ष 1975–76 में जब आपने सरकार छोड़ी या जनता ने आपको निकाला उस समय 900 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता थी। वर्ष 1976–77 में 1000 हुयी और एक साल में बढ़ा कर इसकी 1400 मेगावाट कर दिया था। यह इस बात का सबूत है कि जनता सरकार ने कितनी तेजी से काम किया था । भयंकर सूखे के समय रिहन्द के पानी की लेविल 809 फुट थी जिसको बढ़ाकर 889 फुट किया गया था । उससे जो विद्युत संचित की उसको हमनें अपने किसानों को दिया । वर्ष 1976 में जब सारे कनेक्शन्स काट दिये गये थे तो ऐसा लगता था कि इस प्रदेश में एक भी इकाई नहीं लग पायेगी । सारी इन्डस्ट्रीज पैरेलाइज हो गयी थी चाहे वे रोलिंग मिल्स हों, चाहे रोलिंग मिल्स हों चाहे फर्टीलाइजर के कारखाने हों और चाहे सीमेन्ट के कारखाने हों चाहे शुगर इन्डस्ट्रीज हो सारे उद्योग धन्धे उस अवधि में समाप्त हो गये जिसे ये अनुशासन पर्व कहते हैं । अनुशासन के इस पर्व में इस प्रदेश के उद्योग हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो गये थे । विद्युत का उत्पादन भी शून्य पर चला गया था ।

कांग्रेस की सरकार आयी लेकिन ये किसानों को बिजली नहीं दे पाये । अगर दी भी जाती है तो रात के अंधेरे में उन्हें बिजली दी जाती थी क्योंकि उस समय जो सेठ साहूकार और उनकी नौकरशाही थी उनको रात में हीटर्स की आवश्यकता होती थी । और जो हमारे किसान हैं वे मेड़ पर खड़े थे ठण्ड से ठिठुर रहा था इस आशा भरी नजर से कि शायद बिजली का करेन्ट आ जाय लेकिन रात-रात भर खड़े रहने के बावजूद भी बिजली का करेन्ट नहीं आता था । जनता सरकार ने इस भयंकर सूखे के दौरान भी 5–6 घंटे नहीं 18 घंटे बिजली किसानों को दी और 18 घंटे ही नहीं 22–22, 24–24 घंटे बिजली दी जबकि ऐतिहासिक सूखा प्रदेश में पड़ा था और पानी के दर्शन नहीं हो रहे थे । प्रदेश में उस क्राइसिस के समय में जबकि सूखे का जमाना था और यहां के इन्स्टाल्ड कैपेसिटी 2614 थी, उसको बढ़ाकर 2982 कर दिया था। यह हमारा काम करने का तरीका था और इतना ही नहीं इन्स्टाल्ड कैपेसिटी की क्या बात करते हैं हमारे प्रदेश में उत्तर में हिमालय की शाश्वत धाराएं और दक्षिण में खनिज जहां पर थर्मल पावर

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]
पैदा हो सकती हैं। हमारे यहां पर 44 प्रतिशत इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है जबकि यह महाराष्ट्र में जो कि सूखे का क्षेत्र है और प्राकृतिक सम्पदाओं की भी कमी है वहां पर 54 प्रतिशत इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है। इससे बढ़कर और कोई अकर्मयता की बात नहीं हो सकती है।

जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण की बात है इनके जमाने में केवल 1236 गांवों में बिजली दी गयी थी। केवल 34 प्रतिशत गांवों में आज तक बिजली दी गयी है। और मंत्री जी सही कहते हैं कि बिना विद्युत के प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। इस प्रदेश में 1 लाख 12 हजार गांव हैं 27 साल में जिस गति से प्रदेश का विद्युतीकरण किया गया उस गति से हिसाब लगाया जाय तो 40 साल पूरे विद्युतीकरण में लगेंगे लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने जिस गति से प्रदेश में विद्युतीकरण किया था और जो उसकी योजना थी उसके अनुसार 8 साल में प्रदेश के सारे गांवों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम पूरा कर दिया जाता जिसका कि हमने वायदा किया था। इसी तरह पहले 11,853 ट्यूबवेल काम करते थे और जब हमको मौका मिला तो हमने उनको 23963 में तब्दील कर दिया। इसी तरह से दूसरे मामले थे उनमें भी हमने तरक्की की थी।

मैं आपका ध्यान विद्युत परिषद् की ओर भी ले जाना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि विद्युत परिषद् एक सफेद हाथी है। अंग्रेजी का एक सेन्टेन्स मैं पढ़ना चाहता हूं कि इंडिया टुडे में छपा है होपलेसली करप्ट इट्स लोसेज आर दि हाइएस्ट इन दि कन्ट्री, इट्स रेट्स सेकेन्ड हाइएस्ट एन्ड इट्स बैक रिकार्ड ओवर दि लास्ट ट्वन्टी इयर्स इज, टू पुट इट वाइडली डिसमल। 20 वर्ष में विद्युत परिषद् का जो रिकार्ड है वह डिसमल है। उसमें सबसे अधिक खर्चा, सबसे कम उत्पादन और दूसरे प्रदेशों के मुकाबले सबसे ज्यादा लास है। 20 प्रतिशत बिजली का आज भी लास हो रहा है।

श्री ब्रह्म दत्त—
अब 18 प्रतिशत पर आ गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—
अच्छी बात है लेकिन यह लास क्यों हो रहा है, कहां जा रहा है? माननीय मंत्री जी ने बतलाया—एक टेक्निकल, दूसरे चोरी। टेक्निकल लास बहुत ही कम है और असली लास मंत्री जी छिपा रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के द्वारा बिजली की चोरी हो रही है। लखनऊ शहर में छापे मारे गये और 38 गजटेड आफिसर्स पकड़े गये। आपने उन पर क्या कार्यवाही की?

श्री ब्रह्म दत्त—
सबके खिलाफ कार्यवाही की और सब पर मुकदमे चल रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—
पिछले एस0ए0स0पी0 बाराबंकी के खिलाफ बिजली की चोरी का मामला था। मेरे जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अभियन्ता है उनके खिलाफ भी बिजली की चोरी का मामला था। मैंने एक पत्र में पढ़ा कि अकेले गाजियाबाद में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजली की चोरी हो रही है। इस पर माननीय मंत्री जी प्रकाश डालेंगे। इस विद्युत् परिषद् में 1970 में केवल 45 करोड़ का घाटा था और यह 1977 में बढ़ कर 157 करोड़ हो गया। यह क्यों हो गया? इसका उत्तर माननीय मन्त्री जी देने की कृपा करें।

यह बताया गया कि इन्स्टाल्ड कैपेसिटी का हम 40 प्रतिशत ही उपयोग कर रहे हैं जबकि भारतवर्ष में इसका औसत 45 है और महाराष्ट्र आदि में तो यह 53 प्रतिशत है। यह भी बतायें कि यह क्यों है?

विद्युत् परिषद् में मान्यवर, जो ट्रांसफारमरों की खरीद होती है इसमें बड़ा लम्बा चौड़ा घोटाला है। मैंने इस सम्बन्ध में सन् 74 में भी एक प्रश्न उठाया था कि इसकी मानीटियरिंग नहीं होती है, इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि कितने ट्रांसफार्मर खरीदे गए, कितने आइडिल पड़े हुए हैं, कितने खराब हो गय हैं आदि। कितने चोरी गये इसका भी हिसाब नहीं रखा जाता। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यही भ्रष्टाचार की बुनियाद है। इसका कोई रिकार्ड विद्युत् परिषद् में नहीं रखा जाता। इसकी मन्त्री जी कृपया जांच करवा लें। अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो तो आप इसकी जांच करायें और यह भी देखें कि यह घाटा 45 करोड़ से 157 करोड़ पर कैसे पहुंच गया।

एक और मामला अभी प्रकाश में आया था 40 हजार की फर्नेस आयल की चोरी का, यह कैसे हुआ, जबकि जेनरेशन कम हुआ ? माननीय मुख्य मन्त्री जी इसकी जांच करवा रहे ह। मैं कहता हूं कि जब यह स्पष्ट मामला चोरी का सामने आया है तो मन्त्री जी कृपया बतलायें कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी पाया गया और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

जनता शासन में भी यह विद्युत् परिषद् भ्रष्टाचार का अड्डा था, मगर उस समय जो केसेज पकड़े जाते थे उन पर शीघ्र कार्यवाही की जाती थी। जनता शासन काल में 120 लोग जो पकड़े गये थे, उनके खिलाफ केसेज इस्टैब्लिश हो गए थे, पर एक भी आदमी के खिलाफ इस सरकार ने आने पर कोई मैटीरियल कार्यवाही नहीं की गयी। एक अधिकारी के खिलाफ तो 70 लाख की चोरी का मामला इस्टैब्लिश हो गया था, मगर पता चला कि दो साल में दो बार उसको प्रोमोट किया गया और अब तो 350 करोड़ की एक योजना का इंचार्ज बना दिया गया है।

(व्यवधान)

मान्यवर, भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद, आदि चाहे उसे उधर के लोग करें, या इधर के लोग करें, यह बुरी बात है और प्रदेश की जनता कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। अगर इस तरह से हम इस मामले को घर बैठे टालते रहें, तो मैं आपसे कहता हूं कि इसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा था कि–

"आई एम एवेयर आफ दिस डेलीकेट प्राबलम दि यू0 पी0 एस0 ई0 बी0 डज नौट हैव प्रौपर इन्वेन्टरी कन्ट्रोल सिस्टम एण्ड इस्टेबलिशड नौमिनीज आफ परचेजेज" मैंने कहा कि कितना सामान खरीदते हैं, किस स्थान से खरीदते हैं, इसका कोई भी तो आपके पास हिसाब होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता––

जो आपने अंग्रेजी में पढ़ा है, उसका हिन्दी अनुवाद कर दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

मान्यवर, मेरी इस डेलीगेट विषय में जानकारी है, उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत् परिषद् के पास सामान को खरीदने का, इसको रखने का, कोई स्पष्ट मापदण्ड नहीं है।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, अभी तो हमें बहुत बोलना है।

श्री अधिष्ठाता––

लाल बत्ती इसलिए कि 25 मिनट आप बोल चुके हैं। दो मिनट और बोल लीजिए..

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

मान्यवर, हिण्डालको के कनेक्शन को काटने के लिए आदेश हो गये। लेकिन फिर भी हिण्डलाको का कनेक्शन नहीं काटा। हिण्डालको ने अभी यहां पर एक सेमिनार किया

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

था, माननीय मुख्य मन्त्री जी भी वहां पर पहुंचे, तब उन्होंने सोचा कि हम गलत पहुंच गये, तब उन्होंने सफाई दी कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं। मान्यवर, हिण्डालको के पेरोल पर बैठने वाले उधर के लोग हैं.....

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हिण्डालको के पेरोल पर हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, एग्रीमेन्ट समाप्त हो गये, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस दर पर बिजली दी जाय और मान्यवर, किसानों को 48 पैसे में बिजली दी जा रही है और हिण्डलको को कम में दी जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? शिवराज सिंह समिति की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में अपने आप में यह बात आई है कि किस तरह से वहां पर हिण्डलाको में लोगी के साथ धोखा दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

आपको रिप्लाई का मौका मिलेगा। अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, दो मिनट। मान्यवर, 17 लाख रुपया देवरिया में दिखा दिया गया, और फिर कहा कि वहां पर आंधी आयी उड़ गया। सच्चाई है कि वहां पर आंधी आई नहीं थी। यह है 1977-78 की बात। इसी वर्ष में 12 लाख रुपया का जांच का मामला चल रहा है। 17 लाख के अलावा यह है। कनेक्शन का जहां तक सवाल है, देहातों में, अभी हमारे माननीय यादव जी ने बताया कि बाराबंकी में रुदौली कस्बे में जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन , उनके बिलों में काफी गड़बड़ी है, जिसके दुरुस्त करने के लिए चेयरमैन ने निश्चित तौर पर आदेश दे दिया। लेकिन बाराबंकी का इक्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है, वह इनके आदेश का निरन्तर उल्लंघन करता जा रहा है और बाराबंकी जिले में 33 लाख रुपए का परिषद् का बकाया है। वहां के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर की हठधर्मी की वजह से यह जो सम्बन्धित बिल हैं, वह नहीं दुरुस्त हो रहे हैं। कारण क्या है कि वह करेक्ट नहीं करा रहे हैं कि अगर वह नवम्बर के पहले का बिल करेक्ट करा देंगे, तो उपभोक्ता से वह सरचार्ज नहीं ले पावेंगे।

इसलिए वह जो है यह टाल-मटोल कर रहे हैं और हालत यहां तक है कि धमकी दे रहे हैं कि हम बाई फोर्स कनेक्शन पुलिस के माध्यम से कटवा देंगे। तो वहां पर जनता त्रस्त और आतंकित है। ऐसी हालत में तुरन्त रुदौली, जिला बाराबंकी के बिल का सुधार कराया जाय। 20 लाख रुपए का कोयला अकेले गोरखपुर में बेचा गया है जिसकी इंक्वायरी माननीय मन्त्री जी अभी तक नहीं हो रही है। इन शब्दों के साथ मैंने जो तथ्य रखा है, मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इन तथ्यों को छिपाएं नहीं, स्पष्ट उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण दे दूं। माननीय ओझा जी ने कहा मैंने किसी अपने रिश्तेदार को प्रमोट कर दिया है। मुझे आप केवल अवगत करा दें और मेरा कहीं उसमें हाथ दिखा दें। बगैर इंक्वायरी के मैं रिजाइन कर दूंगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत् विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। आज प्रदेश की प्रगति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता विद्युत् शक्ति की है और उस शक्ति को हमारे विद्युत् मन्त्री जी ने जिस शक्ति के साथ पेश किया, वह सराहनीय है। श्री ओझा जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव को जिस कमजोर तरीके से रखा,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वे उसे स्वयं वापस ले लेंगे। मान्यवर, आप लाल बत्ती कुछ जल्दी जला देते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले अपने जिले की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा विद्युत् विभाग में ऐसा सदैव देखा गया है कि जो भी नई प्रस्तावित योजना होती है, उसको लागू करने में वे इतनी देरी करते हैं कि जब तक एक अंग लागू करते हैं, दूसरा अंग खत्म हो जाता है और विद्युत् विभाग का लाखों रुपया बेकार चला जाता है। आज से 8 साल पहले हमारे जिले में हरिहरपुर गांव में विद्युत् सब-स्टेशन बनाने के लिए लाइन खींच दी गयी, लाखों रुपए का तार लगा दिया गया लेकिन सब-स्टेशन नहीं बना और सारा तार चोरी चला गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको गम्भीरता से देखें।

मान्यवर, वायर-कटिंग विद्युत् विभाग के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है और विद्युत विभाग के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि तार चोरी को रोक सकें। विद्युत् विभाग के छोटे कर्मचारी भी उसमें शामिल होते हैं। इस बात पर बड़ा खेद होता है कि पुलिस जो तार रिकवर करती है, विद्युत् विभाग वापस नहीं लेता है। हरदोई में इस समय वायर-कटिंग रिकार्ड पर है। तारों और ट्रांसफार्मरों की चोरी का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर रहा हूं।

वर्ष 1978–79 में 267393 रुपए का तार चोरी हुआ तथा 77180 रुपए के ट्रांसफार्मरों की चोरी हुई।

वर्ष 1979–80 में 338915 रुपए के तार व 93350 रुपए के ट्रांसफार्मर की चोरी हुई।

वर्ष 1980–81 में 31 जनवरी, 1981 तक 106528 रुपए के तार व 132100 रुपए के ट्रांसफार्मर की चोरी हुई।

मेरा माननीय मन्त्री जी को सुझाव है कि विद्युत् चोरी के लिए एक अलग से सेल बनायें और इमरजेंसी में जिस प्रकार आदेश हुए थे कि बिजली चोरी करने वाले को देखते ही गोली मार देंगे, उसी प्रकार फिर से आदेश दिया जाय। चोरी कम हो जायगी और ग्राम स्तर पर सिंचाई के लिए विद्युत् पहुंच सकेगी।

वर्ष 1974 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले दो ब्लाक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लिए गये थे। सुरसा तक लाईन खिच गयी, जोकि कुछ दिनों में कट भी गयी और आज तक लाइन पूरी नहीं हुई। अहरौरी क्षेत्र अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ है। केन्द्र से जो पैसा आया था वह दूसरी योजनाओं में खत्म कर दिया गया है। मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि मन्त्री जी इसे देखें और इसे कार्यान्वित करायें और उक्त दोनों ब्लाकों को विद्युतीकरण योजना में लें।

[2 बजे से]

मान्यवर, हमारे यहां अतरौली में एक सब-स्टेशन बन रहा था लेकिन लाईन खींची गयी और बाद में कट गयी। मुझे ताज्जुब है कि पिछले 3 सालों से तार कटा है और इसके लिए मन्त्री जी को लिखकर दिया उन्होंने आश्वासन भी दिया परन्तु तार आज तक नहीं पहुंचा। तीन साल से बिजली नहीं है वहां। मान्यवर, अखबारों में हमने पढ़ा कि केन्द्र ने चेतावनी दिया कि ग्रामीण विद्युत् योजना को उत्तर प्रदेश में यदि ठीक से नहीं लागू किया गया तो उसको हम वापस ले लेंगे। इसलिए मन्त्री जी आदेश दें कि भलीभांति योजना को विद्युत् विभाग लागू करे और ग्रामीण अंचल हमारे प्रदेश के विद्युत् से वंचित न हो पाएं।

मान्यवर, शहर में एक भी ट्रांसफार्मर नहीं गया है जिससे यदि कोई भी शहर में ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो शहर का वह हिस्सा 1–2 दिन तक अन्धकार में डूबा रहता है। हरदोई में जो मांग की गयी है मान्यवर, मन्त्री जी उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराएं।

[श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल]

हरदोई में 50 साल पुरानी लाइन है उसको ठीक कराया जाना चाहिए। विद्युत् मांग को देखते हुए विद्युत् मन्त्री ने जो महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है उसको प्रदेश का जन-जन हृदय से स्वीकार करेगा। मन्त्री जी ने आज ही के दिन घोषणा की कि 144 मेगावाट और 200 मेगावाट की चिल्ला और ओबरा की योजना शुरू की जा रही है और अनेक योजनायें शुरू होने वाली हैं। इसी प्रकार 3 हजार मेगावाट नेशनल थरमल पावर की विद्युत् योजना और 2 हजार मेगावाट की सिगरौली में योजना प्रदेश सरकार ने स्वीकृत कर रखी है और 282 मेगावाट की लोहार नागपाल गढ़वाल में विद्युत् योजना शुरू होने वाली है।

मान्यवर, विश्व बैंक से चार तापीय और चार जल विद्युत् योजनाओं की प्रदेश सरकार ने मांग किया है। साथ ही साथ सिंचाई विभाग ने घोषणा किया था कि सिंचाई विभाग में तमाम बांध बनाकर बिजली पैदा करने की योजना है। मन्त्री जी ने यह भी घोषणा किया कि जो तीन हजार मेगावाट की प्रदेश में मांग है उसमें 2,273 मेगावाट उपलब्ध है जो 1990 में 8600 मेगावाट बिजली की मांग होगी लेकिन हमारे पास 14 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा जिससे यह प्रदेश बिजली के मामले में महत्वपूर्ण प्रदेश होगा।

मान्यवर, श्री ओझा ने विद्युत् के लास के बारे में कहा कि इस समय वह लास ज्यादा हो गया है। तो मैं उनको आंकड़े से बताना चाहता हूं कि वर्ष 1976-77 में 23.70 प्रतिशत 1977-78 में 19.86 प्रतिशत और इस समय 18.78 प्रतिशत लास है। लेकिन मैं मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में निजी क्षेत्र में विद्युत् का उत्पादन होता है और वितरण सरकार करती है, तो यदि मन्त्री जी यह अधिकार आपके अंकुश में न रहें तो इसको महाराष्ट्र की तरह आप भी निजी क्षेत्र में दे दें। साथ ही साथ जिस जिले में जितनी बिजली जाती है, लास छोड़कर, बाकी विद्युत् यूनिट में रिकवर होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में सुझाव है कि हर जिले में एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और सहायक अभियन्ता के अन्तर्गत एक विभाग खोल दिया जाय जिसकी जिम्मेदारी उनको दी जाय कि जिले में जितनी बिजली की सप्लाई होगी, लास छोड़कर, बाकी यूनिट को वह रिकवर करके दे दें।

मान्यवर, आपके विभाग में स्टोर सर्किल डिवीजन होता है। उसको अलग से सर्किल बना दिया है जिसकी जिम्मेदारी पर कोई अंकुश आपका नहीं रह गया है। मैं तो कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के स्टोर्स की चेकिंग करायें तो करोड़ों रुपए का गोलमाल निकलेगा। इसलिए जितने स्टोर्स हैं उनको जिले के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के सर्किल के अन्दर कर दें इससे चोरी रुक जायगी। मान्यवर, मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली बनारसी दास सरकार ने 43 करोड़ रुपए के ट्रांसफार्मर खरीदने के आदेश दिए थे, उन कम्पनियों को भी आदेश दिए थे जो विद्युत् विभाग में खराब ट्रांसफार्मर सप्लाई करने के कारण उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, वह तो चले गए। इसमें प्रश्न किया था तो मन्त्री जी ने स्वीकार किया था कि इसमें करोड़ों रुपए का गोलमाल है।

1975 में पब्लिक अन्डर टेकिंग कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि 35 इंजीनियरों पर 35 करोड़ रुपए के गोलमाल का आरोप था। विजीलेन्स ने 1980 में 35 इजीनियरों के खिलाफ चार्जशीट को दाखिल कर दिया, लेकिन आपने आज तक उस पर कार्यवाही नहीं किया। खेद है कि उसमें से कुछ इंजीनियर इस प्रदेश में चेंयरमैन होकर रिटायर हो गये, कुछ महत्वपूर्ण पदों पर हैं। मैं निवेदन करूंगा मन्त्री जी से कि उनकी तरफ तुरन्त ही ध्यान दें और उनको सस्पेंड करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और ओझा जी से निवेदन करूंगा कि जो कमजोर कटौती का प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया है, वापस लें।

श्री यदुनाथ—

मान्यवर, विद्युत् बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय विद्युत् मन्त्री जी ने जो प्रगतिशील कार्यक्रम को रखा है, मेरे साथ मीसा

में नजरबन्द रहे, अच्छी तरीके से जानकारी से बजट को रखा है, इसलिए उनको भी सोचता हूं, जो कम बेसी है उसमें कुछ सुझाव दे दूं और कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलूं। तमसो मा ज्योतिर्गमय तो लिखा दिया गया। लेकिन वास्तव में जब तक गांव-गांव में बिजली नहीं जायेगी, समाजवाद कैसे आयेगा। ट्रेजरी बेंच के लोग तो समाजवाद में विश्वास रखते हैं।

श्री मोहन सिंह––

लेनिन को कोट कर दिया।

श्री यदुनाथ––

लेनिन को कोट कर दिया, मोहन सिंह को कोट कर दिया दोनों एक ही चीज हैं। लेनिन ने कहा था कि गांव में बिजली आ जाय तो समाजवाद आ जायेगा। माननीय मन्त्री जी ने तापीय विगद्युत् योजनाओं सिरौली और ओबरा, पनकी, हरदुआगंज के बारे में कहा लेकिन जल विद्युत कैसे कम हो जाती है ? इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। इस बार तो जल वृष्टि अधिक हुई थी। बांध काफी बन गये हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो आपके कवाल टाउन्स हैं (बड़े-बड़े शहर) वे सब नदियों के किनारे बसे हैं। उन शहरों में भी आंख मिचौली होती रहती है। गंगा, जमुना नदियों के किनारे ये शहर बसे हैं, उनके किनारे जल विद्युत् को पैदा करने का तरीका आप क्यों नहीं अपनाते ? जल विद्युत् का तरीका नहीं आता है, तो फारेन एक्सपर्ट की आवश्यकता हो उनकी राय ले लीजिए। नदियों से जल विद्युत पैदा करने का अपना सुझाव है। लाइन लासेज के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन, यह दो प्रकार का है। लाईन लासेस के कारण हमारा इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड घाटे में जा रहा है। आप बिजली पानी से पैदा कर रहे हैं, कोयले से पैदा कर रहे हैं, एटामिक एनर्जी से पैदा कर रहे हैं, एटामिक इनर्जी में तो आप कोई विकास कर नहीं पाए, क्योंकि यूरेनियम की कमी पूरा नहीं कर पाए। नरोरा में यह बुलन्दशहर में पड़ता है।

श्री नरेश अग्रवाल ने जैसा बताया कि पी0यू0सी0 कमेटी की रिपोर्ट आई इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के बहुत से इंजीनियरों के खिलाफ किन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ट्रांसफार्मरों की चोरी आए दिन होती रहती है। फीडरों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल, कामन रूरल है, अगला टाउन्स फीडर दिया है उसे जगह-जगह देहातों में लगा दिया गया है। आप आसानी से इंडस्ट्री फीडर को अलग कर सकते हैं, रूरल फीडर को अलग कर सकते हैं, आप इनको अलग कर दीजिए। शाहपुरी विरला का जैसे है, सी0 बी0 गुप्ता ने कहा मैं बिजली पैदा करता हूं तुम कारखाना लगाओ मैं 2 पैसे यूनिट में बिजली दूंगा, लेकिन मान्यवर, ऐसा है जितनी ज्यादा बिजली खराब की जाती है उतना वाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है। मिर्जापुर और साहूपुरी में बहुत अधिक बिजली कन्ज्यूम की जाती है। हमारे इंजीनियर्स कहते हैं कि जितनी बिजली साहूपुरी में एक दिन में खर्च होती है उतनी बिजली पूरे बनारस जिले में रोशनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए और अन्य उद्योगों को दी जा सकती है। साहूपुरी में खाद का कारखाना, साहू जैन का है। इसी प्रकार से रेनुकूट में जो कारखाना है उसको आप बहुत सस्ते दर पर बिजली देते हैं। जितनी बिजली अकेले उसको दी जाती है उतनी बिजली पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त होगी।

रेनुकूट को बिजली का भी बकाया है। अगर किसान अपना पैसा जमा नहीं करता है तो उसका कनेक्शन आप काट देते हैं। मान्यवर, जौनपुर में बाढ़ की वजह से इन्होंने बिजली नहीं दी। अगर बिजली दी जाती तो खतरा था कि लोग मर जाते। लेकिन फिर भी जौनपुर जनपद में बिजली के बिलों को वसूली हो रही है। इसके अलावा बाढ़ से प्रभावित और जो क्षेत्र हैं वहां बिजली टेक्निकल कारणों से नहीं दी गयी लेकिन बिलों की वसूली हो रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह वसूली क्यों हो रही है ? कनेक्शन आपने काटा है फिर भी वसूली आप कर रहे हैं। मन्त्री जी जा रहे हैं, मेरी बात सुन

[श्री यदुनाथ]
नहीं पायेंगे। देहात में आज भी बिजली के खम्भे हैं, वह लकड़ी के हैं। वहां सीमेंट के भी खम्भे लगाए जाते हैं। लेकिन इन खम्भों में सीमेंट और लोहा कम होता है बालू अधिक होती है। नतीजा यह होता है कि भसभसा कर बरसात में गिर जाते हैं। लकड़ी के खम्भों की जो हालत है उसको आप जानते हैं।

इनसे न जाने कितनी मौतें होती हैं। कई बार विधान सभा में प्रश्न किए जाते हैं, आप जो मर जाते हैं उनको मुआवजा भी नहीं दे पाते हैं। अन्त में मैं कुछ सुझाव दूंगा। लाइन लासेज को कम किया जाय। 33 के0 वी0, 400 के0 वी0 130 के0वी0 की लाइनों को अलग-अलग किया जाय। स्टोर एच0सी0एन0 के अन्डर में हो। देहातों को बिजली देने का जो आपका शेड्यूल है, उसके अनुसार बिजली नहीं दे पाते हैं। आजकल कटाई और मड़ाई का मौसम है। मौसम भी खराब चल रहा है। इसलिए देहातों को कम से कम 15, 16 घंटे बिजली दें जिससे मढ़ाई आदि अच्छी तरह से की जा सके। देहातों को कम से कम 15, 16 घंटे बिजली इस महीने दे ही दें। इसके अलावा इंजीनियरिंग एकाउन्ट और जो आपरेटिंग स्टाफ है, इनको अलग-अलग रखा जाय। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय विद्युत् मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। जैसा अभी कहा गया किसी देश या प्रदेश की प्रगति के लिए आज विद्युत् की जितनी आवश्यकता है उतनी किसी और चीज की नहीं है। चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे कृषि का विकास हो, चाहे सामान्य जन जीवन हो, आज का सारा आर्थिक ढांचा बिजली से जुड़ा हुआ है और इसी से किसी प्रदेश और देश की प्रगति को आंका जाता है कि वहां कितनी बिजली का उत्पादन हुआ और कितनी विद्युत् की वहां मांग है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, चाहे इस पक्ष में बैठने वाले हों और चाहे उस पक्ष के हों, कि इस प्रदेश के विकास के लिए विद्युत् विकास की महती आवश्यकता है। विद्युत् उत्पादन इतनी तीव्र गति से हो रहा है, मान्यवर, श्री ओझा जी का भाषण मैंने बड़े ध्यान से सुना, जो उन्होंने अपने कटौती प्रस्ताव के समर्थन में दिया और इस पर उन्होंने चर्चा भी की और कहा कि जनता पार्टी के शासन काल में विद्युत् परिषद् में बड़ा अच्छा काम हुआ। मान्यवर, इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने कहां से यह आंकलन किया और इन्होंने कुछ उपलब्धियां भी बताई थीं, उस जमाने की तो मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है कि इस प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा जमाना भी आया था कि विद्युत् विभाग भ्रष्टाचार विभाग कहा जाने लगा था।

इनके शासन काल में विद्युत् की कटौती 66 1/3 प्रतिशत थी तो और अब मान्यवर, सहज ही अन्दाज लगाया जा सकता है कि इतनी भारी कटौती के बाद विकास की गति क्या रही होगी और इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी और जहां तक इस सरकार का प्रश्न है कि पिछले 10 महीनों में जो सराहनीय प्रयास मा0 विश्वनाथ प्रताप सिंह और मा0 विद्युत् मन्त्री जी के रहे जिससे विद्युत परिषद् को जो सफलता प्राप्त हुई है, वह हमारे और प्रदेश की जनता से छिपी नहीं है। इनके शासन काल में जो 66 प्रतिशत कटौती थी, वह अब 33 प्रतिशत ही रह गयी और इसके अलावा औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए इस शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में और उद्योग वालों को उन्हें ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाय और अब केवल 5 घंटे की कटौती रखी गयी, जिससे औद्योगिक विकास को गति प्राप्त होगी। इसी तरह से टेक्सटाइल, जूट स्पिनिंग और रेयान मिल्स वालों की सिर्फ 25 प्रतिशत कटौती रह गयी, बाकी सारी कटौती हटा दी गयी। फर्टिलाइजर, चीनी, सीमेंट, वनस्पति आदि का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, इसको ध्यान में रखते हुए उनको बिजली कटौती से मुक्त किया गया है जिससे मान्यवर, सहज ही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि अब कितनी अधिक प्रगति प्राप्त हुई है, जो बहुत सराहनीय

है और इसके लिए मा0 मुख्य मन्त्री जी और मा0 विद्युत् मन्त्री बधाई के पात्र हैं कि इतने अल्प समय में इतनी अधिक प्राप्ति हुई। और मान्यवर, अगर देखा जाय जो 4 माह के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युत् की प्रगति हुई है, उसकी तुलना अगर पिछले शासनकाल से की जाये तो सहज ही अन्दाजा हो जायेगा कि कितनी अधिक सफलता प्राप्त हुई है, तो उससे मा0 ओझा जी का तर्क अपने आप विफल हो जायगा।

मान्यवर, नवम्बर, 1980 में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति दिन साढ़े सात घंटा बिजली दी गयी और गत वर्ष प्रति दिन साढ़े 4 घंटा दी गयी और दिसम्बर, 80 से 8 घंटे प्रति दिन विद्युत ग्रामीण क्षेत्र को दी गयी और जबकि गत वर्ष साढ़े तीन घंटे ही दी गयी। जनवरी, 1981 में 8 3/4 घंटे बिजली प्रति दिन ग्रामीण क्षेत्र को दी गयी और जबकि गत वर्ष 6 घंटे प्रति दिन दी गयी। मान्यवर, इसी तरह से आप देखें तो आप को स्वयं अन्दाजा लग जायेगा कि सारे प्रयास प्रदेश के विकास के लिए इसी शासनकाल में हुए हैं और भ्रष्टाचार की जो बात कही गयी तो इससे कैसे निपटा जाय, इसको किन-किन तरीकों से दूर किया जाये, ऐसे सुझाव किसी ने नहीं दिए। और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जनता शासन में हुआ था पावर सेक्शन के मामले में। लेकिन इसको दूर करने के लिए यह सरकार प्रयत्नशील है। नीति बनाई गयी है और इसके लिए एक कमेटी बनाई गयी है, जो प्रायरिटी तय की गयी है कि किसको कितना दिया जाये। उस हिसाब से पावर सेक्शन करेगी। तो भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, अब मैं एक-दो निवेदन और करना चाहूंगा। माननीय मन्त्री जी से जोकि एक सक्रिय मन्त्री हैं जिन्होंने कर्मठता के साथ पूरा प्रयास किया है विद्युत् की दिशा में गति लाने के लिए, तो यह विद्युत् परिषद् द्वारा जो सामान जगह-जगह ले जाया जाता है, उसमें डेमरेज पर खर्च होने वाला लाखों रुपया जो दिया जाता है, इसको रोकने की जरूरत है? दूसरे विद्युत् परियोजनाओं, निर्माण कार्यों के करने में अरबों रुपए लगाने पड़ते हैं। तो उस पर जो ब्याज देना पड़ता है की रकम विद्युत विभाग के घाटे का कारण है।

मान्यवर, हरदोई जिले में सवाजपुर एक जगह है जहां का पावर हाउस बन चुका है। बस ट्रांसफार्मर लगना शेष है। उसे मान्यवर, ट्रांसफार्मर लगवा कर चालू करवा दीजिए जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राजेपुर विकास खण्ड गंगा और रामगंगा के बीच का एक पिछड़ा हुआ इलाका है, उसके विकास के लिए वहां विद्युत् देना बहुत आवश्यक है। जिला बदायूं में एक जगह कलान से बिजली आती है। मान्यवर, फर्रुखाबाद से यह विकास खण्ड 8–9 किलोमीटर दूर है परन्तु यहां बिजली 80-90 किलोमीटर दूर से आती है जिसके कारण से वहां ग्रामों को बिजली ठीक से नहीं मिल पाती है। उनको जिनको एक–दो घंटे से अधिक की बिजली नहीं मिल पाती है मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से और विद्युत परिषद् के अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि विकास खण्ड राजेपुर की बिजली का कनेक्शन फर्रुखाबाद से कर दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय ओझा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसमें कोई ठोस बातें नहीं हैं और वे उसे वापस ले लेंगे।

श्री राम सागर––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं कि आपने बिजली के मामले में मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं माननीय ओझा जी की तरफ से जो बिजली की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं आपके माध्यम से उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बिजली विभाग के लिए कहता हूं कि यह एक बहुत बड़ा फ्राड विभाग है जिसे मैं माननीय मन्त्री जी को और इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता

[श्री राम सागर]

हूं। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक सब-स्टेशन देवीगंज है वहां के जूनियर इंजीनियर श्री के0के0 मिश्रा ह। उस सब-स्टेशन पर बिजली का काफी सामान पड़ा हुआ था, लाखों रुपए का तो मान्यवर, श्री के0के0 मिश्रा ने उस क्षेत्र में घूम-घूम कर इस बात का प्रचार किया कि मेरे माध्यम से, जो लोग मुझसे मिलेंगे, उनको बिना किसी नियम के देखे हुए बिजली लाईन दे दूंगा।

मान्यवर, लाईन ही नहीं बल्कि यह कहा कि वह उनको पूरी सुविधा देंगे और बहुत जल्दी बिजली दिलायेंगे और यह भी कहा कि बिजली का कनेक्शन लगने में काफी समय लगता है, बड़ी दौड़-धूप करनी पड़ती है, काफी लम्बी प्रोसीडिंग होती है, मेरे माध्यम से जो बिजली चाहेगा, उसे बहुत जल्दी बिजली मिल जायेगी।

मान्यवर, इस प्रचार के बाद के0के0 मिश्रा ने तमाम काश्तकारों से बिजली का कनेक्शन देने के नाम पर काफी रुपया वसूल किया और बिना विभाग में लिखा पढ़ी किए, जिन लोगों ने दफ्तर में प्रार्थना-पत्र भी नहीं दिया था, उनके यहां उस सब-स्टेशन पर पड़ा हुआ सामान भेज दिया और लाखों रुपया कमाया और यह सामान जो है एक किठैया नामक स्थान पर पड़ा हुआ हैं। एक ब्लाक सिधौरा में मीरापुर गांव में यह सामान पड़ा हुआ है, जिसमें ट्रांसफार्मर हैं, खंभे हैं, तार हैं, बोल्ट हैं, मान्यवर, कई लाखों का वह सामान है। यह काश्तकार समझते रहे कि बिजली का कनेक्शन देंगे लेकिन मान्यवर, साफ फ्राड था। अन्त में उन्हें कनेक्शन नहीं मिल पाया और के0के0 मिश्रा जी ने जो सामान डलवा दिया था तो जब उन लोगों ने कहा कि हमने रुपया दे दिया है, पढ़े-लिखे नहीं थे, अपनी अशिक्षा के कारण इस तरह से विभागीय लोगों ने उनकी आंखों में धूल झोंक कर रुपया वसूला था। तो के0 के0 मिश्रा जी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की और जब मामला मेरे प्रकाश में आया तो मैंने जिले के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिल कर कहा मान्यवर, वह भी उसमें रुपया ले चुके थे इसलिए उन्होंने भी अपनी असमर्थता बताई। मैं यहां शक्ति भवन में संयुक्त सचिव हैं, उनसे मिला और पूरा मामला बताया तो उन्होंने कहा कि आप तो विधायक हैं, आप इस मामले में क्यों पड़ रहे हैं, यह तो बिजली विभाग है। इसमें यह छोटी-मोटी चीजें चला ही करती हैं। लाखों रुपयों का फ्राड इस तरह से हुआ। उसके बाद विद्युत मन्त्री से मिला और उनको लिखित रूप में दिया।

उन्होंने नव वर्ष की बधाई में पत्र लिखा था कि आप को एक चीज और कहना चाहता हूं कि जिस मामले को आपने लिखा है उसकी जांच कराऊंगा लेकिन मान्यवर, आज तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है और सारा का सारा वहीं पड़ा हुआ है। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बिजली विभाग में इस तरह के तमाम फ्राड हो रहे हैं। इन सब की तरफ माननीय मन्त्री जी ने कोई बात यहां नहीं कही। अतः मैं यह चाहता हूं कि इस की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। यही नहीं बल्कि हमारे जिले में जो बिजली का बिल है, यह कुतवा वसूल किया जाता है। हर विभाग में लिखा पढ़ी होती है, उसके हिसाब से वसूल किया जाता है लेकिन इसमें कुतवा वसूला जाता है साल भर जितनी जलायें, अन्दाजन बिल भेज दिया जाता है।

इस तरह से तमाम लोगों को दस-दस पांच-पांच हजार रुपए असेसमेंट के हो जाते हैं और बाद में उनका उत्पीड़न किया जाता है। शासन ने घोषणा की है कि जो बाढ़, अतिवृष्टि, ओला से पीड़ित लोग हैं, उनके कनेक्शन हैं, जो सूखे से प्रभावित हैं, उन्हें उत्पीड़ित नहीं किया जायेगा लेकिन हमारे यहां मान्यवर, एक गांव है टेड़वा। वहाँ के एक प्रधान हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं, एक हजार रुपया बाकी था, उन्हें मुल्जिम की तरह से पकड़ कर ले जाया गया और बन्द कर दिया गया। मान्यवर, इस वर्ष यह जो सीजन चल रहा है इसमें अनिश्चितता है। रात में रोज गड़गड़ाहत होती है। किसान का गल्ला, फसल लगभग तैयार है, पता नहीं किस समय ओलावृष्टि हो जाय और जितनी फसल है नष्ट हो

जाये । बिजली निश्चित रूप से आती नहीं, तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जब बिजली की अनिश्चितता फैली हुई है, उस को दूर कर बिजली उपलब्ध करायें ताकि फसल समय से तैयार होकर उनके घरों में पहुंच जाये । इन शब्दों के साथ मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं जो ओझा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री मान पाल सिंह एडवोकेट––

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय विद्युत् मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं । किसी देश और प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए विद्युत् इस समय सबसे अधिक आवश्यकता की वस्तु हो गयी है । इससे इंकार नहीं किया जा सकता । प्रदेश में इस समय 24 सौ मेगावाट प्रतिदिन के मुकाबले सिर्फ 16–17 सौ मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। और जब स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई उस समय 265.5 मेगावाट बिजली बनती थी, जो इस समय 3253 मेगावाट के खरीब है और करीब 344 मेगावाट बढ़ने का लक्ष्य भी है । समय थोड़ा होने के कारण इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इस समय 10 हार्स, साढ़े सात हार्स और 5 हार्स पावर तक के केबिल लगाए जा रहे हैं । देहात में ट्रांसफार्मर पर वे 6 एम0एम0 की है. वह इतनी पतली है कि बहुत जल्दी जल जाता है और उससे काश्तकार की मोटर फुंक जाती है । उसकी बाइण्डिग करवाने में उसको 3 दिन लगते हैं और 400 रुपया खर्च होता है और ट्रांसफार्मर भी फुंक जाता है। 50–60 रु0 की मुश्किल से कीमत होगी, इसकी क्वालिटी इतनी गिरा दी गयी है कि वह इतनी जल्दी जल जाती है इस ओर मा0 मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो केबिल हैं वह लोड के हिसाब से लगाए जायें जिससे कि रोजाना की जो समस्यायें हैं किसानों के सामने वह समाप्त हो जायं। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि शासन की यह नीति है कि उत्पादन बढ़ाया जाय ।

किसान के पास आज खेती है, आप स्वयं में भी किसान हैं और जानते हैं कि अधिकतर किसानों के पास जब 6–6 महीने के बाद फसल आती है तब उसके पास पैसा होता है जभी वह उस पैसे से सारा काम अपना करता है तो माहवारी बिल उसके लिए देना मुश्किल हो जाता है और बिजली विभाग उसका कनेक्शन काट देता है तो मैं मन्त्री जी से मांग करता हूं कि उसके नान पेमेन्ट के कारण उसका कनेक्शन न काटा जाय। आप उसकी फसल कुर्क करा लें, नीलामी करा लें तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि इसका प्रभाव किसानों की पेइंग कैपिसिटी उनकी उत्पादन क्षमता पर पड़ता है और किसानों की फसल सूख जाती है। इससे सिर्फ एक ही किसान को नुकसान नहीं होता बल्कि सैकड़ों बीघा और जो किसानों की जमीन होती है, वह भी सूखती है और सब किसान त्रस्त हो जाते हैं। रुपया वसूल करने का साधन भू-राजस्व के बकाए की तरह है। भू-राजस्व से बकाए की वसूली कराते हैं उसके लिए यही अच्छा रहेगा कि फसल कुर्क कर लें, जमीन कुर्क कर लें लेकिन उसका डिस-कनेक्शन न करें, इस तरह से वह आपको बिल भी दे सकेगा और किसान की भी हालत अच्छी रहेगी।

दूसरे मान्यवर, एक और लाभ होगा कि भ्रष्टाचार कम होगा, जो अमीन बार-बार उसके दरवाजे पर घूमते हैं और वह रुपया लेकर चले जाते हैं, इस तरह से भ्रष्टाचार में भी कमी आयेगी मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 3 बेकार सब-स्टेशन हैं। दिवारी, भोलपुरा आदि। यहां पर आये दिन किसानों के मोटर फुंक जाते हैं, मैं चाहूंगा कि भोलपुरा में सब-स्टेशन बना दिया जाय। एक बेलरामपुर नवीनी पर सब-स्टेशन बना दिया जाय। यहां बहुत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमान पाल सिंह एडवोकेट]
लम्बी लाईन है जो लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती और बहुत नुकसान होता है। एक और सुझाव मैं देना चाहता हूं कि हाइडिल विजिलेंस में इतना कम स्टाफ है, इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए और प्रत्येक जिले में और हर एक थाने में इसका स्टाफ होना चाहिए। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हर साल से रेलवे को डेमरेज देना पड़ता है, उसमें भी निगरानी करने की जरूरत है। अधिकारियों की लापरवाही से नुकसान होता है।

मान्यवर, हमारा जनपद विशेष रूप से पिछड़ी अपराध ग्रस्त है और यह कलंक सा हम लोगों के माथे पर है। वहां पूरी जनता हर समय घबराई रहती है। जिन गांवों में बिजली है उनको भी कोई लाभ नहीं मिलता है तो कम से कम बिजली की व्यवस्था तो ठीक ही होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री मित्रसेन--

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव मा0 ओझा जी ने प्रस्तुत किया है उसी के सम्बन्ध में मैं भी कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मा0 मन्त्री जी का दोष नहीं है, उस कुर्सी का दोष है, उधर जो बैठते हैं उनके चश्मे ही बदल जाते हैं, अगर मा0 मन्त्री जी इधर आ जायं तो शायद उनको भी ऐसा ही दिखाई देने लगे। अभी सुबह प्रश्नों के दौरान मन्त्री जी ने स्वीकार किया था कि तापीय विद्युत् उत्पादन सिर्फ 44 परसेन्ट है और जल विद्युत् उत्पादन 35 परसेन्ट। इसके बाद भी यह पानी पी-पीकर तारीफ करते हुए थके नहीं, कि हमारी योजना, हमारा विद्युत विभाग बराबर तरक्की में लगा हुआ है। श्रीमन्, विद्युत विभाग और विद्युत परिषद् और योजना इनकी पूंजीपतियों के लिए हैं, किसानों के लिए नहीं। आप जितना परसेन्ट पर बिरला और टाटा को बिजली देते हैं उससे बहुत अधिक किसानों को देते हैं। आपका 17 और 19 प्रति यूनिट का उत्पादन है तो बिरला और टाटा को आप 15 पैसे ही देंगे और किसानों को 48 पैसे देते हैं। यह इनकी तारीफ है जो किसान प्रिय सरकार है। यह किसानों के सबसे बड़े हमदर्द और किसानों की रेली करने वाले हैं। श्रीमन्, दूसरी तरफ एक चीज अगर हम देखें तो सरकार की देख-रेख में जो विद्युत उत्पादन है, जो हमारी विद्युत् उत्पादन की फैक्टरियां हैं उनका उत्पादन और प्राइवेट सेक्टर्स में जो विद्युत् उत्पादन है उसमें जमीन और आसमान का अन्तर है। आप का विभाग ऐसा है कि अगर किसी दुकान से बगैर किसी किस्म का सौदा लिए हुए वापस होने लगे तो उससे बिल चार्ज कर लिया जाय।

(इस समय 2 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

. . . .चूंकि आपकी दुकान है, बिजली नहीं ली जाती, लाइन कट जाती है, तब भी बिजली का बिल जाता रहता है।

मान्यवर, इस बाढ़ में काश्तकारों को हर चीज पर राहत दी गयी, लगान पर राहत दी गयी, सिंचाई पर राहत दी गयी लेकिन इस बिजली विभाग का बिजली का बिल जाता ही रहा जबकि उसका खेत डूब रहा था, मकान डूब रहा था, लेकिन बिजली के चार्जेज जाते रहे, कोई बिजली का बटन दबाने नहीं गया। बाढ़ राहत के लिए करोड़ों रुपए बांट रहे हैं लेकिन बिजली के बिलों की वसूली कर रहे हैं। किसान की मदद करने वाली सरकार, मन्त्री जो हैं। मैं चाहता हूं कि चार महीने तक किसान को बिजली नहीं मिली, उनको छूट न देने का क्या कारण है? दूसरी तरफ सरकार ने एक फारमूला, एक एग्रीमेन्ट बनाया है, एक तरफा एग्रीमेन्ट, कि हम से 15 रुपया प्रति हार्स पावर का एग्रीमेन्ट करेगी और हमको महीने में 5 हार्स पावर की बिजली देगी। बिजली देने के घंटों की कोई गारन्टी नहीं है। किसानों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली मिलनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिससे उत्पादन पर कोई लाभ हो लेकिन लागत मूल्य पर भी बिजली देने के लिए यह सरकार तैयार नहीं है। एक तरफा गारन्टी करती है। पूंजीपतियों से कोई गारन्टी नहीं करती। हर विभाग उनका पोषक है।

श्रीमन्, अभी तक स्कीम चलाई गयी थी आर0ई0एस0 रूलर इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम। उसके अन्तर्गत टाइम निर्धारित है। इनके विभाग ने यह स्कीम खत्म कर दी। इस स्कीम में लाइन नहीं मिल सकी है। हमने पैसा समय पर जमा कर दिया, सर्वे समय पर हो गया, समय पर सिक्यूरिटी जमा कर दी लेकिन काश्तकार के यहां बिजली नहीं पहुंच सकी। फैजाबाद मण्डल में हजारों काश्तकार परेशान हैं। उन्होंने आर0ई0एस0 स्कीम के अन्तर्गत समय के अन्दर पैसा जमा कर दिये लेकिन इनके विभाग ने कह दिया कि यह स्कीम खत्म हो गयी है बिजली नहीं मिलेगी। कर्मचारी तरह-तरह की बातें करके पैसा वसूल कर रहे हैं और इस स्कीम को खत्म करने के कारण काश्तकारों को बिजली नहीं मिल रही है। इस पर माननीय मन्त्री जी ध्यान दें।

एक चीज और है मान्यवर। चाहे ट्रांसफार्मर हो, तार हो, तार का कटिंग हो, किसी भी मंटीरियल का मामला हो, उसकी इस विभाग में गम्भीर रूप से चोरी होती है। इस चोरी में लुके-छिपे इस विभाग के सारे अधिकारी, कर्मचारी शामिल रहते हैं। इस तरफ अगर ध्यान दिया जाता और इस चोरी में कोई पकड़ होती और हमारे प्रदेश की बिजली की इससे जो उपलब्धता होती उससे लोग और लाभान्वित हो सकते थे।

इस दिशा में हमारी सरकार काफी असफल है और बिलकुल उदासीन है। कोई भी सक्रिय कदम इस दिशा में नहीं उठाया जा रहा है कि बिजली के चोरों को पकड़ा जा सके? सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी, नेतागण चोरी करेंगें तो सामान्य जनता क्या सोचेंगी? अभी विधान सभा में आपने सुना होगा 38–38 अधिकारियों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। हमारे गांवों में एक पुड़िया गांजा किसी से यदि पकड़ लिया जाता तो पुलिस हथकड़ी पहना कर सड़कों पर घुमाती जाती। ये बिजली की चोरी करने वालों को हथकड़ी तो कहां पुलिस वहां पहुंच भी नहीं पाती। माननीय मन्त्री जी के कागजों में आ गया कि उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

इस प्रदेश और देश के अन्दर बड़े-बड़े नेता और अधिकारी चोरी करेंगे और राज भवन में चोरी होगी तो आप बतावें कि सामान्य जनता की इस सरकार पर क्या आस्था, विश्वास होगा। जनता की उम्मीद और विश्वास इस प्रकार उठता है तो देश के अन्दर जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है, जो हमारे वोट की प्रणाली है उससे भी विश्वास हटता जा रहा है। माननीय मन्त्री जी ऐसे मन्त्रि परिषद् में बैठे हैं जिसमें जनता को विश्वास नहीं रह गया है। इनका बजट इस प्रदेश की तरक्की के लिए नहीं बल्कि उससे कुछ लोगों की जेबें भरेंगी तथा हो सकता है कि उसमें कुछ माननीय मन्त्री जी के भी पल्ले पड़े।

इन शब्दों के साथ मैं ओझा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो बरसात के बिजली के बिल हैं जिस समय किसानों ने बिजली का कोई उपयोग नहीं किया, उस समय के लिए उनको बिजली के बिलों का भुगतान नहीं करना चाहिए और जबसे उनकी लाइन पर बिजली नहीं जाती, कनेक्शन कट जाता है तबसे उन के बिजली के चार्जेज बन्द कर देने चाहिए। और दूसरी तरफ जो काश्तकार लोगों को बिजली दी जाती है वह कम रेट पर दी जानी चाहिए। पूंजीपतियों से कम रेट पर उनको बिजली मिलनी चाहिए। माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान देंगे। उत्पादन लागत से ज्यादा, मुनाफे की लागत पर, किसानों को बिजली नहीं दी जानी चाहिए। को बिजली दी जाती है उससे कम पर किसानों को मिलनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियोजन एवं विद्युत् मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, विद्युत् एक ऐसा विभाग है जो प्रदेश की आर्थिक, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज विश्व की प्रगति विद्युत् से ही सम्भव है। हमारे यहां कृषि है, ग्रामीण उद्योग धन्धे हैं, छोटे-छोटे कारखाने हैं, बड़े-बड़े कारखाने हैं जोकि बिजली पर ही मुनस्सर हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं कि विद्युत् मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है और सन् 1990 तक का उसमें एक खाका दिया है उससे स्पष्ट होता है कि हम 90 तक 14 हजार मेगावाट बिजली पैदा कर पायेंगे। आज हमारी क्षमता 3200 मेगावाट की है। 2200 और कुछ हम आज दे रहे हैं परन्तु हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखना है और यह बड़ी खुशी की बात है कि 344 मेगावाट की हम बहुत जल्दी ही शुरुआत करने जा रहे हैं और 200 मेगावाट ओवर में करने जा रहे हैं। इसके लिए भी हम आपको बधाई देते हैं।

मान्यवर, बिजली एक ऐसा विभाग है जिसमें इजीनियरों की तनख्वाह दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है मगर छोटे कर्मचारियों की और भी माननीय मन्त्री जी और बड़े अधिकारी ध्यान देने की कृपा करें। मान्यवर, आपसे आग्रह करूंगा कि आप बड़े अधिकारियों को चेतावनी देदें कि अगर वे इतने समय के अन्दर जो हमारी क्षमता है जिसको हम आज दे सकते हैं, अगर वे न दे सकें तो उनको तनख्वाह से नहीं बल्कि नौकरी से अलग भिजवाने की कृपा करें। हमारे मन्त्री जी ने जो तीन निर्णय लिए हैं कि क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जायगा, उसकी केपेसिटी अधिक बढ़ाई जायगी और भविष्य में इसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जायेगा, इनके लिए उन्होंने योजना बनाई है। यह बहुत अच्छी बात है। हम सन् 85 तक 5179 मेगावाट तक बिजली प्राप्त कर सकेंगे जिसमें से 1700 मेगावाट हाइडिल की तरफ से होगा जबकि हमारी मांग सन् 85 तक 4250 मेगावाट होगी। मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। किन्तु इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 1980 के जुलाई में हमारा 14.7 मिलियन यूनिट उत्पादन था और आज हमारा टारगेट 29.7 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया। इसके लिए निश्चय ही मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा मैं मन्त्री जी से एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि वे कृपया अपने विभाग की ओर विशेष ध्यान दें।

इस विभाग में बड़ी गड़बड़ियां हैं.....

(व्यवधान)

ओझा जी इतना सफल होते हुए भी आपने इतना कमजोर कटौती का प्रस्ताव रखा है, यह आपका दोष नहीं है। आप विरोध करना नहीं चाहते बल्कि चूंकि आप विरोध पक्ष में हैं, कटौती का प्रस्ताव रखना है इसलिए आपके उसको रखा है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, एक चीज और कहना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं इस बारे में कुछ कहूं, आपको और पूरे सदन को अपने जनपद की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे यहां प्रतापगढ़ में जब मैं अपने विद्युत् अभियन्ता से कहा हूं कि वहां अभी लाइन नहीं गयी तो वह कहता है कि तारों की कमी है। इसलिए इस ओर आप सख्ती से ध्यान दें। डेढ़ वर्ष से 3 सरकारी ट्यूबवेल जो इनरजाइज हो चुके हैं, उनको विद्युत अभी तक नहीं दी गयी है। इस विभाग द्वारा पिछले 77 में अमारे प्रतापगढ़ के लिए यह आदेश दिए गये थे कि हर हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किया जायेगा। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जनपद में हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण करने का आदेश दिया। गौरा और शिवगढ़ ब्लाक के पूर्व विद्युतीकरण की बात आपके पास आई है उसको कनेक्शन देकर वहां बिजली लगवाने की कृपा करें।

आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि यहां पर ट्रांसफार्मर की चोरी की बड़ी शिकायत है। चोरी करने वाले और चोरी कराने वाले उसमें टैक्निकल लोगों के अलावा कोई तीसरा आदमी शिरकत नहीं कर सकता है। यहां जो रिपेयरिंग की आपकी फर्म है, मुझे कहने में संकोच नहीं होगा आपके चेयरमैन महोदय के कोई लड़के हैं, वह इसके डाइरेक्टर हैं, उनके दामाद की कानपुर में कोई फर्म है उसे तीन वर्षों में ट्रांसफार्मर की जगह 7 का भुगतान करोड़ों किया गया है। अगर इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो श्रीमन, ऐसे चेयरमैन को इस प्रदेश के विद्युत् विभाग का अध्यक्ष रहने का कोई अधिकार नहीं है।....

(व्यवधान)

आप शान्ति से सुनें, हमें नहीं हमारे मन्त्री जी को बधाई दीजिए जिन्होंने इतना क्रांतिकारी बजट प्रस्तुत किया है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में एक पोल फैक्ट्री थी, जो तीन साल से बन्द कर दी गयी है वहां के कर्मचारी रिट्रेन्च कर दिए गये हैं, आपने कहा कि तीन साल तक जो लोग कार्य कर चुके हैं उनकी मुश्तकिली के आदेश दे रहे हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इसलिए आप नैनी की पोल फैक्ट्री के जो रिट्रेंच कर्मचारी हैं उनके लिए भी आदेश देने की कृपा करें और उनको काम देने की कृपा करें....

(व्यवधान)

अगर दे दिया है तो मैं आपका आभारी हूं।

यह सही है कि आप सीमेंट, डाल्डा, फर्टिलाइजर जैसी चीजों के लिए कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार ने तो 66 प्रतिशत कटौती कर दी थी, मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं उन्होंने केवल कुछ कारखानों के लिए 33 परसेंट और कुछ के लिए 25 परसेंट कटौती की है, मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने अधिकारियों से सख्ती से कह दें कि वह दो तीन महीने के अन्दर उनके यहां पूरा उत्पादन विद्युत् का होना चाहिए, अगर उसे पूरा नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें। मुझे आधा मिनट और दे दें। मैं कहना चाहता हूं कि आपके इस विभाग में बहुत सी ऐसी बातें हैं जहां आप समझ लीजिए कि बिजली कनेक्शन नहीं हैं, लाइन नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है उनके यहां मशीनें चल रही हैं, ट्यूबवेल कट रहे हैं। उसको देखने की बात है।

स्टोर के सम्बन्ध में मैं निश्चय ही आपसे आग्रह करूंगा कि स्टोरों में बहुत घपला है

(व्यवधान)

मैं आपके घपले की बात नहीं कर रहा हूं मन्त्री जी का उसमें कोई दोष नहीं है लेकिन इस ओर ध्यान देने की बात है जो नहीं दिया जा रहा है। आप एक भी स्टोर चेक कर लें उसमें लाखों नहीं करोड़ों का घपला नहीं मिला तो मैं इस सदन की सदस्यता से त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूं। माननीय मन्त्री जी ने जो क्रांतिकारी बिजली का बजट पेश किया है.....

(व्यवधान)

आप हंस क्या रहे हैं 10 वर्ष बाद आपको मालूम हो जायगा आप कहेंगे हमारी नेता श्रीमती गांधी ने इतना बिजली उत्पादन कर दिया, उतने उद्योग लगा दिए, इतनी कृषि में प्रगति कर दी उस वक्त आप प्रेम से हंसेंगे। मैं पुनः इस बजट का समर्थन करते हुए आग्रह करूंगा ओझा जी से कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री कुबेर भण्डारी––

मान्यवर, आज बिजली विभाग का बजट यहां पेश हुआ है लेकिन आज इसकी चकाचौंध केवल शहरों में ही दिखाई देती है, गांवों का वही हाल है जो पहले था। मैं मन्त्री जी से कहता हूं कि इसमें हजारों का घोटाला है। इतना बड़ा जालिम विभाग कोई दूसरा नहीं होगा। अभी एक सूचना हमारे माननीय सदस्य पढ़े हैं आज एक सूचना माननीय सदस्य

[श्री कुबेर भंडारी]
ने पढ़ी है कि भाई मोहन सिंह के भाई से विभागीय लोगों की मारपीट हो गयी है। आप 74 वाला बयान याद कीजिए, बरहज से सुरेन्द्र मिश्र एम0एल0ए0 हैं, उनके साथ देवरिया में डटकर बिजली के कर्मचारियों से मारपीट हुई, जिसके विरोध में वह 10 दिन तक कचहरी में अनशन पर बैठे थे। वहां उनको देखकर लोग हंसते थे कि यह क्या कांग्रेस के विधायक हैं जो पीटे गये हैं? आज आप पता लगावें जो आप ने लोगों को कनेक्शन दिया हुआ है, उन्हें वह कटवाकर बैठे हैं, तब भी वसूली की जा रही है। और जो लोग बिल का भुगतान कर दिए हैं। यदि आप कांग्रेस के लोग किसानों से हमदर्दी रखते हैं और आप अपनी सरकार को किसानों की सरकार कहते हैं तो आप हिण्डालको को कैसे बिजली 10 पैसे में देते हैं और किसानों को आप कितने में देते हैं, जबकि आप उनकी रैली कराते हैं, यह आप खुद बतावें। मन्त्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी छवि को नर्वदेश्वर शुक्ल काफी जोरों से बिगाड़ रहे हैं। उनके इलाके में बिजली नहीं है, लेकिन उनका घर बिजली से चमक रहा है, [illegible] से वक्त चौंध मची है। आपके अधिकारी उनके यहां जाकर उनकी दरबारगीरी करते हैं. . . .

श्री ब्रह्म दत्त—

आप चाहते हैं कि हम बिजली बस्ती में न दें?

श्री कुबेर भण्डारी—

मैं केवल यह कह रहा हूं कि वहां 10 मील के इलाके में बिजली नहीं है, किन्तु उनके घर पर बिजली है। पत्रिका में छपा है कि वह अपनी प्रेमिका के लिए एक मकान खरीदे हैं। तो आप उनके तमाम गलत कामों को और भ्रष्टाचार को रोकिए। नहीं तो उनके कारनामों से वास्तव में आपकी छवि धूमिल होगी। आप एक क्रांतिकारी रहे हैं और आपने कहा है कि हम क्रांति कर रहे हैं तो हमें भय हो रहा है कि कहीं आप इसके कारण से इस्तीफा न दे दें, क्योंकि आपने कहा है कि नहीं होगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। मेरा अनुरोध है कि आप नर्वदेश्वर शुक्ल के कामों पर कड़ी नजर रखें। आज हां परचा आया है और मुझे मालूम है कि आपके दल के एम0एल0ए0 ने उसको छपवाकर भिजवाया है। आप इसकी जांच करवायें और यह भी देखें कि उन्होंने वहां कितना गलत काम किया है और आप उनके भ्रष्टाचार को रोकें। आपकी सरकार टाटा और बिड़ला को 2 पैसे में बिजली देती है और इस रेट को जनता पार्टी ने अपने शासन काल में बढ़ाया था। यह रैली करने वाली सरकार इस पर ध्यान दे। चुनाव में आप पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं। बड़े-बड़े कारखानों पर करोड़ों रुपया का भारी टैक्स बकाया है, वहां पर आप कुर्की आदि कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके अधिकारी किसानों को इतना उजाड़ रहे हैं, जिस की कोई सीमा नहीं। जहां पर तीन ट्यूबवेल हैं, वहां बिजली काटी गयी, ट्रांसफार्मर खुद गये। आपका विभाग सबसे ज्यादा जालिम है। आपके विभाग के तमाम इंजीनियर्स लूट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लूट करके वे अपना घर भर रहे हैं। आप उनकी सम्पत्ति का पता लगावें, जांच करवायें और उसे जब्त करें तो आपको काफी पैसा मिल जायेगा और गरीबों पर तमाम टैक्स लगाने की जरूरत नहीं रह जायेगी।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने विद्युत् के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और विद्युत् मन्त्री जी किसानों के रहनुमा, सादगी के प्रतीक और सच्चाई के सागर ब्रह्मदत्त जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए विरोध पक्ष के सम्मानित सदस्य द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। मान्यवर. कुछ कहने के पूर्व मुझे एक शेर याद आ गया जिसे मैं कहे देता हूं:

ऐ इंन्क्लाबे दहर मिटाता है क्या मुझे,
नक्शे हजार मिट गये तब बना हूं मैं।

मान्यवर, विरोध पक्ष के माननीय सदस्य यहां पर भाषण देने के लिए, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए हम यहां पर आये हैं। मैं अपने विरोध पक्ष के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर आपका सम्मान है तो दूसरों के पास भी सम्मान है। अगर आप उनके सम्मान की रक्षा नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी आपके सम्मान की रक्षा नहीं करेंगे।

मैं अपने सम्मानित सदस्यों से बहुत ईमानदारी और नेकनीयति से कहना चाहूंगा। मैं इस बुकलेट पर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि यह तो हर माननीय सदस्य को वितरित की गयी है। निश्चित रुप से आपका विरोध करने का कर्त्तव्य है। लेकिन हम जो सत्यता के मार्ग पर चलते हैं अगर हमारी सत्यता को स्वीकार करें तो कोई बुराई नहीं है। हमने बिजली में क्या नहीं किया ? जिन घरों में मिट्टी का चिराग जलता था हमने 30 वर्षों में किसानों को वे चीजें दी जो दुर्लभ थीं और हमने उनको बिजली दी मान्यवर, अभी हमारे भाई माननीय ओझा जी ने आंकड़े पढ़े कि जनता पार्टी ने बिजली में कितनी प्रगति हुई। लेकिन मेरा कहना तो यह है कि गत 3 वर्षों में हमारे भूतपूर्व विद्युत मंत्री, माननीय रवीन्द्र किशोर शाही ने विद्युत को बेच दिया, नीलाम कर दिया। अगर सत्यता और ईमानदारी है तो ठीक, लेकिन अगर मुझे बेइमानी है तो मुझे यह भी कहने में तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिये कि मुझे में भी यह कमी है। उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। अभी दुबे भाई बोल रहे थे बिजली के विषय में कि बिजली में कितना भ्रष्टाचार है। अगर इन 3 वर्षों में यह मानते हैं कि बिजली में भष्टाचार व्याप्त हुआ है, वे भ्रष्ट हैं, तो उसकी मूल जड़ में बैठे हुए हैं श्री रवीन्द्र किशोर शाही। अब जिसके हाथ में आपने बिजली की बागडोर सौंपी है वे विधान सभा में ही नहीं इस प्रदेश और देश के किसानों के नेता है और वे अधिकारियों को ठीक करना जानते हैं। वे किसानों के बीच रहने वाले है, उनके दर्द से वाकिफ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मौजूदा स्थिति में आपने सिंग्रोली में बड़े-बड़े प्लान्ट लगाकर बिजली में उत्पादन बढ़ाने की योजना शुरू की है। आज हरिजनों और विद्युत की समस्याएं बड़ी जटिल हैं लेकिन उनका समाधान बड़ी ही निपुणता से करते जा रहे हैं। हरिजनों का एक सेल। विद्युत विभाग में इन्जीनियर्स और ओवरसियर में एक ग्रेडेशन बना हुआ है लेकिन पदोन्नति में करने में जो नियमानुसार आयेगा करेंगे। हमने शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड को भी लिया है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते है कि उस मायने में किसी भी तरह से पीछे हैं। अब मैं आपका ध्यान देवरिया जनपद के पडरौना क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, किसानों को बिजली आप देते हैं तो कभी-कभी देखने में यह आया है कि बिजली चार घंटे रहती है। उनके यहां ट्यूबवेल पर मीटर की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से आपने घरों में मीटर दिया है उसी तरह से पम्पिंग सेट्स तथा ट्यूबवेल पर मीटर लगायें और जितने घंटे बिजली आप देते है उतनी ही उनसे चार्ज कीजिये। ऐसा न होने पर किसानों को नुकसान होगा। पडरौना में थर्मल प्लान्ट लगाने की योजना है। पडरौना उत्तरांचल क्षेत्र में पड़ता है और कप्तानगंज तक वह कवर करता है। वहां पर एक थर्मल प्लान्ट लगाने से इस उत्तरांचल क्षेत्र की बिजली की समस्याओं को सुलझाया जा सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[समय 3 बजकर 1 मिनट]

श्री जयदीप सिंह––

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री महोदय जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि यह कोई राजनीतिक भाषण नहीं है। जो हमारी उपलब्धियां होने जा रही हैं उन पर मैं यह घोषणा कर रहा हूं। उन्होंने यह बताया कि जल विद्युत की उपलब्धता 20 मेगावाट है लेकिन 20 वर्ष के लिये आपने सिर्फ दो हजार मेगावाट का लक्ष्य रखा है जिसका उपयोग आप 100 वर्ष तक भी नहीं कर सकेंगे। यह आपकी प्लानिंग है ?

[श्री जयदीप सिंह]

यह जो पुस्तिका दी गयी है इसके आधार पर मैं चन्द बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछली दफा दूसरी स्टेट्स से जो कम्पेरीजन रखा गया था उसको इस बार किताब से गायब करने का क्या कारण है। हमारे प्रदेश में जहां तक लोड फैक्टर की बात है तापीय बिजली के सम्बन्ध में जहां 79–80 में वह 47.9 प्रतिशत था वहां वह 80–81 में गिर कर 38.2 प्रतिशत रह गया जो कि आप पृष्ठ 11 पर देख सकते हैं और अप्रैल से जनवरी, 81 तक की अवधि में यह गिरावट आई है। इस तरह से यह गिरावट आई है।

लिहाजा यह जो आपका कहना है कि बहुत अधिक उपलब्धि कर ली है यह सरासर असत्य है। इसके अलावा जो विद्युत योजनायें है उनके बारे में दो एक बातें हमारी नोटिस में आई जिनको मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। लाइन हानि का जहां तक सवाल है दो तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं। आप देखें कि 73–74 में एक वर्ष में 28 प्रतिशत से 74–75 में यह लाइन हानि 22 प्रतिशत रह गयी। यह वह साल है जब निजी ट्यूबवेलों के लिये फ्लेट रेट रखा गया था और इस प्रकार राज्य विद्युत परिषद् को इस नीति के अन्तर्गत विद्युत की चोरी करके उसे औद्योगिक इकाइयों को दिया गया क्योंकि नलकूपों पर कोई मीटर नहीं रखा गया है। नलकूपों के लिये जो रूरल फीडर है उन पर आप अवर मीटर लगायें ताकि पता चल सके कि रूरल फीडर में कितनी देर बिजली गयी।

समय पर जब हम शिकायत करते हैं तो हमें रजिस्टर दिखा देते हैं कि देखिये इसमें रात को 10 बजे से 6 बजे तक बिजली गयी है, जबकि बिजली जाती नहीं है। इस लिये आप हर रूरल फीडर पर एक मीटर लगवा दें जिससे पता चल सके कि गांव में कितनी बिजली गयी है।

ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के लक्ष्य की पूर्ति के संबंध में भी इस पुस्तिका के पृष्ठ 20 पर कुछ आंकड़े दिये हुये हैं जिनके अनुसार आपको पता चलेगा कि केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की परिभाषानुसार 50 प्रतिशत, एल0 टी0 मेन्स द्वारा 33 प्रतिशत, हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण 50 प्रतिशत, निजी नलकूप तथा पम्पसेटों का ऊर्जन 60 प्रतिशत और राजकीय नलकूपों का ऊर्जन में 40 प्रतिशत तक ही लक्ष्य की पूर्ति हो पायी है। यह लक्ष्य जो आपका है यह पिछले वर्ष की प्राप्ति का है यह कोई बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। आप इससे जो अपनी योजना की वाहि वाहि करना चाहते है वह होने वाली नहीं है।

पम्पिंग सेटों और नलकूपों के लिये ऊर्जन की मांग बहुत कम है। इसका कारण यह है कि जब हम पम्पिंग सेटों के लिये बिजली की मांग के लिये जाते हैं तो हमसे कहा जाता है किफलां-फलां सार्टिफिकेट लाइये तथा और तरह तरह की अड़चनें लगाते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इन अड़चनों को दूर कर दें और इनके लिये आसानी से बिजली उपलब्ध करा दें तो उससे डीजल की बचत होगी और डीजल पर बचत होने का मतलब होगा कि आपकी विदेशी मुद्रा की बचत क्योंकि उस पर काफी विदेशी मुद्रा आपको खर्च करनी पड़ रही है।

आप जो ऐ0 आर0 डी0 सी0 योजना के अन्तर्गत कनेक्शन देते है उसमें आपने यह प्रतिबन्ध लगा रखा है कम से कम 150 मीटर की लाइन होना चाहिये। एक तरफ तो आपके पास आर्थिक साधन नहीं है, दूसरी तरफ यह आप प्रतिबन्ध लगाते हैं, यह ठीक नहीं है। इस दूरी को कम कीजिए। जहां-जहां पर भी बिजली की लाइन मौजूद है वहां पर आप बिना इस प्रतिबन्ध के ही बिजली दे दीजिये, यह मेरा अनुरोध है। इसमें कम से कम खर्च में बिजली का कनेक्शन दिया जा सकता है।

एक सुझाव और मैं बिलों के पेमेन्ट के लिये जो आपने समय रखा है 10 बजे से 12 बजे तक का इसके बारे में कहना चाहता हूं। यह समय किसानों के लिये बहुत ही कठिनाई का है। किसान 10–12 बजे तक लाइन में लगता है और उसका बड़ा नुकसान

होता है । इसलिये जहां जहां पर बैंक हैं वहां पर बैंकों में बिलों का पैसा जमा करने की व्यवस्था आप करा दें। इसमें आपको कुछ खर्च नह करना पड़ेगा और किसानों को भी राहत मिल जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो गया, आप कृपया बैठें ।

श्री जयदीप सिंह––

बस एक सुझाव और आणुविक बिजली घर जो बनने जा रही है उसके विषय में देना चाहता हूं । आपने कहा कि इसके बन जाने पर बहुत अधिक बिजली पैदा होने लगेगी और उस बिजली को हम दूसरे प्रदेशों में भेज सकेंगे । मेरा सुझाव यह है कि आप केवल अपने प्रदेश में ही इसका उपयोग करें, बाहर न भेजें । जब आप ऐसा करेंगे तभी इस प्रदेश का उत्थान और विकास सम्भव हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत् विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया । मैं माननीय विद्युत् मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं । यह बजट निश्चय ही उत्तर प्रदेश के लिए हितकर साबित होगा । कटौती का प्रस्ताव रखते हुए हमारे माननीय सदस्य ओझा जी ने जो आलोचना की है, उसे ध्यान पूर्वक सुनने के बाद से यह मालूम होता है कि शायद केवल उन्होंने आलोचना की दृष्टि से आलोचना की है, क्योंकि उस आलोचना में न तो कोई रचनात्मक बात है और न कोई ठोस सुझाव ही है । आलोचना के आधार पर इन्होंने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है जो कि बहुत लचर है । मैं अपने विपक्ष के माननीय सदस्यों का ध्यान कुछ वास्तविकता की तरफ लाना चाहता हूं । विद्युत विभाग में दो तीन बातें होती हैं । एक तो उसका उत्पादन, दूसरा वितरण, तीसरा उसमें जो चोरी होती है, उसे रोका जाय और सुचारु रूप से, ताकि उपभोक्ताओं को बिजली मिल सके । उत्पादन के लिए कुछ आंकड़े मेरे पास हैं जो गत शासन के आठ माह और हमारे शासन काल का है । यह तुलनात्मक चार्ट है । मैं माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं । यह वह आंकड़े है कि जो जनता पार्टी की तरफ से 10 वर्ष के लिए वायदा किये गये थे, जबकि वह केवल 5 वर्ष के लिए ही चुनकर आयी थी । इधर के वायदा ये नहीं है, बल्कि हमारे माननीय विद्युत मंत्री जी ने अपने विद्युत विभाग के वह आंकड़े दिये हैं, जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किये हैं और सत्य हैं । वह आंकड़े आपके समक्ष है, जो कि माह अप्रैल, 1980 से लेकर फरवरी, 1981 तक इस प्रकार है:––

यह हमारी जलीय एवं तापीय विद्युत उत्पादन के आंकड़े मिलियन यूनिट में हैं । इस यूनिट का मतलब टेन बाई टेन, सिक्स टाइम्स। माह अप्रैल––732 मिलियन यूनिट । मई––836 । जून––768, जुलाई––760, अगस्त––770, सितम्बर––755, अक्तूबर 807, नवम्बर––897, दिसम्बर––944, जनवरी, 1981––971, फरवरी, 81––922। कुल अभी तक प्रोडक्शन फरवरी तक हुआ । 9162 मिलियन यूनिट । यह मार्च तक अपेक्षित है––1149 और कुल 1980–81 तक जो अपेक्षित है 10311 मि0 यूनिट । इस प्रकार हम प्रगति को देखते हुए कहते हैं कि हमारा 1981 तक जो लक्ष्य है, वह पूरा हो जायगा । अगर हम प्रत्येक महीने की प्रगति को देखें तो मालूम हो जायगा कि हर महीने प्रगति हो रही है । अब हमें यह देखना होगा कि किस तरह से हमें बिजली मिले, जो हमारे पास निकटस्थ आंकड़े हैं, वह आपके सामने रखना चाहता हूं। वह इस प्रकार अधिष्ठापित क्षमता से जो वृद्धि हुई है, वह मेगावाट में इस प्रकार

[श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय]

हमारा लक्ष्य 1980–81 का 344 था, जिसमें हम फरवरी, 1981 तक 144 मेगावाट पूरा कर चुके हैं और शेष 200 मेगावाट तक जो हमारी रिपोर्ट मिली है, वह पूरी हो चुकी है, परन्तु रिपोर्ट की पुस्तिका चूंकि पहले प्रकाशित हो चुकी थी, इसलिए उसमें मार्च तक अपेक्षित दिखा गया था।

अब 4 माह की प्रगति जो निकटस्थ है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो जनता और कांग्रेस हुकूमत के तुलनात्मक चार्ट के रूप में है। नवम्बर माह में 897, इस शासन काल में और 661 जनता पार्टी के शासनकाल में है और यह मिलियन यूनिट में उत्पादन है। माह दिसम्बर 944, कांग्रेस शासन और 667 गत जनता शासन, जनवरी 80 कांग्रेस में 971 और जनता शासन में माह जनवरी का 845 था फरवरी माह में कांग्रेस शासन काल में 926 और जनता शासन में 762। इस प्रकार से प्रत्येक स्तर पर हमारी प्रगति हुई है। कटौती की बड़ी आलोचना की गयी। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। नवम्बर माह 80 से लेकर माह फरवरी, 81 तक 4 माह का कांग्रेस और जनता शासन का तुलनात्मक आंकड़े हैं। ये आंकड़े ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन घंटे की दर से बिजली देने का है। यह जो बिजली आपूर्ति की गयी है, वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। नवम्बर माह में 7 1/2 घण्टे जबकि गत वर्ष के शासनकाल में केवल 4 1/2 घण्टे मिली थी। दिसम्बर माह में हमारे शासन काल में 8 घण्टे जबकि जनता शासन काल में 3 1/2 घण्टे बिजली मिली। यह जो आकड़े मैं दे रहा हूं यह घण्टा/प्रति दिन है। जनवरी माह में 8 3/4 घण्टा हमारे शासनकाल में और 6 घण्टा आपके शासनकाल में बिजली मिली। फरवरी, 1981 में 7 घण्टा हमारे यहां और 5 1/2 घण्टा आपके शासनकाल में। इस प्रकार, हमारे शासनकाल में बिजली ज्यादा दी जाती थी। ये जो आंकड़े हैं, इन्हें आप सत्यापित कर सकते हैं।

विद्युत कटौती हमारे शासनकाल में कम हुई है। आपका ध्यान मैं इस तरफ विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि जो नये उद्योग धन्धे लगाये जा रहे हैं, 5 वर्ष तक उनके लिये कोई बिजली की कटौती नहीं की जायगी। फर्टीलाइजर, चीनी और सीमेन्ट, इनको कटौती से पूर्णतया मुक्त रखा जायगा।

जहां तक हरिजन बस्तियों का सवाल है, फरवरी, 1981, हमारे शासनकाल में 15,451 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है। आप इसे ध्यान से सुन लें।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय––

मान्यवर, दो मिनट का समय और चाहता हूं।।

श्री अधिष्ठाता––

आप एक मिनट और ले लें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय––

जिस हिण्डालको के बारे में यहां आलोचना की गयी है, उसका सत्यापन कर लिया जाय। जनता पार्टी के शासनकाल में हिण्डालको को 13 से 19 पैसे तक बिजली दी गयी जबकि आज गला फाड़ कर इस बात को कहा जा रहा है कि यह सरकार किसानों की नहीं पूंजीपतियों की है। जनता पार्टी के शासनकाल में 13 से 19 पैसे तक दिया गया था, जब कि हमारे शासनकाल में 23 से 32 पैसे तक चार्ज किया गया है। अगर हमारी हुकूमत को आप कहते हैं कि किसानों की नहीं पूंजीपतियों की है, तो जनता पार्टी के शासनकाल को भी पूंजीपतियों का शासन कहा जाना चाहिये।

एक बात जो चोरी की कही गयी है, तो यह चोरी होती है। यह दो प्रकार की है—एक तो विभाग द्वारा और दूसरी उपभोक्ताओं द्वारा चोरी की जाती है, जिसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की है। ट्रांसफार्मर की चोरी की बात कही गयी। जब तक विभाग का कोई आदमी नहीं मिलता है, ऐसी चोरियां नहीं होती हैं चाहे वह कर्मचारी भूतपूर्व हो या मौजूदा हो। उपभोक्ताओं द्वारा भी इनकी ही मदद से चोरी होती है। दोनों ही आधार पर अगर चोरी हो तो कर्मचारी या अधिकारी दण्डित किये जाने चाहिये। जो उपभोक्ता ऐसी चोरियां करते है, उनका लाइसेंस खत्म कर दिया जाय। माननीय विद्युत मंत्री जी, जिनका प्रत्येक कदम और कड़ी नजर विद्युत विभाग पर थी जब वे विरोध पक्ष में थे तब भी, और अब वे शासन में विद्युत मंत्री हैं जिससे उनका उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका हृदय से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं तथा माननीय विपक्ष के सदस्य श्री ओझा जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका विरोध करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ओझा जी एक बुद्धिजीवी और विवेकशील व्यक्ति हैं वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे। यदि वे वापस कर लेते हैं तो उसका भी मैं स्वागत करता हूं।

श्री राम हर्ष राय—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आदरणीय ओझा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, यह बिजली विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और मुझको दुख हुआ जब म कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ लेकिन साथ ही साथ मुझे खुशी इस बात की है कि गांधी जी द्वारा बताये गये रास्ते से यह सरकार और माननीय विद्युत मंत्री जी बिल्कुल विमुख हो गये हैं। माननीय गांधी जी का स्वप्न था राम राज की स्थापना और उसके तहत गांधी जी ने यह बात कही थी कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा और कुटीर और लघु उद्योगों का विकास वहां नहीं होगा, तब तक हमारे देश में रामराज नहीं आ सकता है। तो जब यह सरकार गांधीवादी प्रवृत्ति को मानती है और उसकी रक्षक है तो उनके विचारों और आदर्शों को मानने में यह सरकार क्यों मुकर रही है? मान्यवर, मंत्री जी ने अपने भाषण में लम्बे–लम्बे आंकड़े दिये कि इतनी इतनी यूनिट बिजली हम पैदा करना चाहते हैं। उससे मेरा मतलब नहीं है, 5 वर्ष में कितनी बिजली देंगे उसकी कोई महत्ता नहीं है। आप कहते हैं कि हम इस समय 3300 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखते हैं लेकिन मान्यवर, क्या आपने यह सोचा है कि कितनी बिजली आप पैदा करते है, आप 1100 या 1150 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं और उसमें आप उपभोग के लिये 750 या 800 मेगावाट बिजली देते हैं? इस पर क्या आपने कभी सोचा है? होता यह है कि आपके कर्मचारी 350 या 400 मेगावाट बिजली की चोरी करते हैं जिसका पैसा सरकार को नहीं मिलता है। अफसोस है कि कभी आपने क्या इसकी इन्क्वायरी किया है? यदि नहीं, तो आप प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि आप बिजली जितनी पैदा करते हैं जिसके लिये परियोजनायें 33 हैं लेकिन क्या आपने सोचा है कि उनमें से केवल 6 परियोजनायें ही ऐसी हैं जिससे आप बिजली लेते हैं पैदा कर पाते हैं? इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि 5 वर्ष बाद चाहे जितनी क्षमता कर लें लेकिन मैं चाहता हूं कि इन 6 परियोजनाओं पर आप काम ठीक से करायें तो इतनी बिजली पैदा होगी जितनी की आवश्यकता होगी। 1800 या दो हजार मेगावाट की वर्तमान आवश्यकता है लेकिन वह आप नहीं कर पाते हैं। मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं कि जनता पार्टी के

[श्री राम हर्ष राय]
शासन काल में 17 पैसे यूनिट की दर से बिजली दी जाती थी और आपके समय में 29 पैसे प्रति यूनिट दी जा रही है। तो यह रेट क्यों बढ़ गये है क्या इस पर भी आपने सोचा है। मेरा विश्वास है कि कर्मचारियों पर हो रही फिजूलखर्ची को और जो कर्मचारी दिल्ली का दौरा करते हैं उसको रोकें तो निश्चित है कि कुछ कार्यक्षमता बढ़ेगी और कीमतें घटेंगी।

मान्यवर, जहां तक पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के साथ पक्षपात और किसानों के साथ अन्याय की बात है तो मैं कहना चाहता हूं कि उद्योगपतियों को तो आप ज्यादा समय तक बिजली देते है जबकि किसानों को केवल 5–6 घंटे ही बिजली देते हैं। इसके साथ ही पूंजीपतियों को, हिन्डालको को तो आप बिजली 11–15 पैसे के हिसाब से देते ह और किसानों को 41 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देते हैं तो यह भेद भाव क्यों बरता जाता है? क्या इस पर कभी आपने सोचा है? आप कहते हैं कि पूंजीपतियों से समझौता हुआ है तो किसानों से जो समझौता होता है उसको क्यों नहीं मानते है जबकि 12 रुपये प्रति हार्स पावर का किसानों से समझौता आप कर चुके हैं तो वह क्यों लागू नहीं करते हैं? पूंजीपतियों को तो शुरू में आप 2 पैसे के हिसाब से बिजली देते थे, उसके बाद 4 पैसे किया और अब 15 पैसे में दे रहे हैं जबकि किसान को 41 पैसे के हिसाब से देते हैं, तो यह भेद क्यों है?

श्री ब्रह्मदत्त—
15 पैसे नहीं बल्कि 32 पैसे के हिसाब से उनको देते हैं।

श्री राम हर्ष राय—
ठीक है, 32 पैसे की ही बात को मैं मानता हूं लेकिन फिर भी किसानों की दर से कम है, क्यों? आपकी नेता इन्दिरा गांधी जी जो हैं उन्होंने उद्योगपतियों के जो एजेन्टों पार्लियामेन्ट में जाते थे उनको जाने से रोक लगा दिया है। उनका अनुकरण करिये। आपकी सेक्रेटेरिएट जो है उसमें जो उद्योगपति बैग लिये घूमते रहते है उनको रोकिये।

श्री शम्भूनाथ—
जब से बजट शुरू हुआ मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया म शिकायत कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—
जनाबेआला, आपने विद्युत मंत्री के 81–82 के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया है मैं आपका मशकूर हूं। मेरा लखनऊ के मध्य क्षेत्र से ताल्लुक है। लेकिन बहुत कुछ सुझाव देना पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र की तरफ तुरन्त ध्यान दिया जाय। मेरा लखनऊ पुराना लखनऊ कहलाता है वहां कुल 6 फीडर लाइन काम कर रही जबकि नये लखनऊ के अन्दर 25–30 फीडर लाइन काम कर रही हैं और लोड पुराना है और नये लखनऊ के दरमियान करीब–करीब बराबर है। हर साल दो ढाई हजार नये कनेक्शन दिये जाते है लेकिन परेशानी के लिये कोई प्रोग्राम नहीं बनाया जाता है।

हमारे टिकैत राय तालाब पर दो स्विचगेंयर खराब पड़े हैं 2 साल से उसकी मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसकी वजह से सारा लोड यही 6 फीडरों पर पड़ रहा है और आये दिन बिजली जाती रहती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे पुराने लखनऊ क्षेत्र में कुल 75 ट्रांसफार्मर है जबकि नये लखनऊ के अन्दर 130 ट्रांसफार्मर उतने ही लोड पर हैं। जब बिजली कटौती की जाती है तो नये क्षेत्र में कम की जाती है, पुराने क्षेत्र में अधिक की जाती है। इस ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। इस बात की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके विभाग में माल बहुत घटिया किस्म के खरीदे जा रहे हैं, आई0एस0आई0 मार्क लगा सामान चाहे उसका टेन्डर कम ही हो नहीं खरीदा जा रहा है जिससे फाल्ट बढ़ रहा है। बिजली

की बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। उसको रोकने के लिये मंत्री जी ध्यान दें। बिजली बोर्ड की माली हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पिछड़े दिनों 70 करोड़ का बकाया था वह अब 80 करोड़ हो गया इसका नतीजा यह हो रहा है कि बड़े-बड़े लोग जो हैं वह दबाव डलवाते हैं और उनसे पैसा वसूल नहीं किया जाता है। सरकार को बकाया धनराशि को वसूल करने के लिये सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिये। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 50 करोड़ रुपया दिया था लेकिन 34 करोड़ रुपया दूसरी ओर डाइवर्ट कर दिया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का नुकसान हुआ है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह आदेश दिया था कि इसका एकाउन्ट अलग कर दिया जाय लेकिन अफसोस है कि आज तक अलग नहीं किया गया। इस तरफ भी माननीय मंत्री जी जल्द से जल्द ध्यान दें। वर्ष 1980–81 में 5100 विलेजेज को बिजली देनी थी जिसमें से जनवरी, 1981 तक 1896 को बिजली दी गयी है। इसका एवरेज 37.21 आता है। 2735 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाना था जिसमें से 1154 हरिजन बस्तियों को बिजली दी गयी है। इसका एवरेज 42.2 परसेंट आता है। 50 हजार प्राईवेट नलकूप ट्यूबवेलों को बिजली देनी थी जिसमें से 26510 को दी गयी है जिसका एवरेज 53 परसेंट आता है। 27 हजार गवर्नमेंट ट्यूबवेल को बिजली देनी थी जिसमें से 645 को बिजली दी गयी है। इसका एवरेज 32.3 परसेंट आता है। यह हमारे विकास का नमूना है। रिपेयरिंग की हालत यह है कि 10 करोड़ की जगह पर 20 करोड़ रुपया लगाया जा चुका है। वर्ष 79–80 में 5522 मि0यूनिट उत्पादन हुआ था और इस साल 4793 मि0यू0 जनवरी, 1881 तक हुआ है। जबकि इसमें ओबरा यूनिट नं0 9 का 611 मि0 यूनिट शामिल है। इन दोनों को मिलाकर 5404 मि0 यूनिट उत्पादन रह जाता है। इस साल कुल 11708 मि0यू0 उत्पादन होना था जिसमें से जनवरी, 1981 तक केवल 8240 मि0 यूनिट उत्पादन रहा। अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी––

वहरहाल, इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं विशेषकर पुराने लखनऊ के बारे में. उन पर तुरन्त ध्यान दिया जाय और आवश्यक कार्यवाही की जाय और ऐसे अधिकारी जो इन मामलों के लिये जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अकबर हुसैन––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय ओझा जी के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। आप देखें, माननीय मंत्री जी ने 1981–1990 तक उल्लेख अपने भाषण में किया है। इस पत्रिका में उन्होंने आंकड़े दिये हैं। सन् 1990 तक 14000 मेगावाट बिजली पैदा होगी यह मंत्री जी ने कहा है। मान्यवर इस सरकार के कहने और करने में कितना अन्तर है। सरकार ने 10 साल के पीरियड की बात की है। 1980–81 के जो आंकड़े हैं, जो पत्रिका में दिये गये हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूं। निजी नलकूपों और पंप सेटों को जो बिजली देने का लक्ष्य था वह 50 हजार का था और इन्होंने 3061 को बिजली दिया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य 4300 गांवों का था और आप दे पाये हैं 1433 को। 2 हजार राजकीय नलकूपों को बिजली देना था आप 817 को दे पाये हैं। इससे साबित होता है कि इनका जो 14000 मेगावाट का लक्ष्य है उसमें से 7 हजार मेगावाट ही कर पायेंगे और एक हजार मेगवाट की कमी रह जायगी। इस समय मांग 24 हजार मेगावाट की बताते हैं और बन रही है 1600 और 1700 मेगावाट। आप यह भी कहते हैं कि

[श्री अकबर हुसैन]

हम ग्रामीण क्षेत्रों को काफी बिजली दे रहे हैं। ग्रामीण–क्षेत्रों में 6 घंटे बिजली का क्या यह सिद्ध करता है कि आप अपने लक्ष्य को सही मायनों में पूरा कर चुके हैं? सिर्फ 6 घंटे बिजली देने का मतबल यह है कि 75 प्रतिशत कटौती अब भी है और फिर भी आप किसान प्रिय सरकार का दम भरते हैं। और भी इसकी कई मिसाले हैं मान्यवर, कि आप कितनी धीमी गति से चल रहे हैं बिजली उत्पादन के संबंध में। अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो आंकड़े पुस्तिका में दिये गये हैं कि फरवरी मार्च 81 तक अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है फिर भी आप देहातों में 6 और 8 घंटे ही बिजली दे रहे हैं, इसके क्या कारण है? और मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर तमाम खम्भे ऐसे ही पड़े हैं, तार ऐसे ही पड़े हुये हैं, वहां पर कोई काम काफी पहले समय से नहीं हो रहा है, आप कहते हैं कि हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। हमारे यहां के जो सम्मानित लोग है, शक्ति वाले लोग है, उन्होंने तो अपने-अपने मुहल्लों में विद्युतीकरण करवा लिया है, लेकिन हरिजनों की बस्ती वैसे ही सूनी पड़ी हुयी है। वहां 76 से लेकर अब तक आप कुछ कार्य नहीं करा पाये हैं।

मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट आप जायेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि कई-कई स्थानों पर काम अधूरे पड़े हैं, जिनको आप पूरा नहीं करा रहे हैं और आपके यहां भ्रष्टाचार के मामलों का क्या कहना है। आपके विभाग वालों की वर्क इफिशियेन्सी देखिए। हमारे यहां के एक एम0 एल0 ए0 हैं, श्री रियासत हुसैन साहब, उनके यहां 97.23 पै0 का बिल भेजा जो जमा करवा दिया गया और फिर दूसरे बिल में फिर 97.23 पैसे जोड़ दिये गये, तो जब वहां जाकर उनसे स्थिति बतायी गयी, तब उन्होंने काट कर 14 रु0 किये। तो जब आप एक एम0 एल0 ए0 के साथ यह गड़बड़ी कर सकते हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम कुमार भार्गव––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने और श्री ओझा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं तो समझा था कि वरिष्ट सदस्य हैं बधाई देंगे कि जो 28 मार्च, 81 का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, जिस दिन इस विभाग ने अपना उत्पादन लक्ष्य का 60 8/10 के ऊपर पूरा किया, जिसमें 29.7 मिलयन यूनिट उपादन हुआ और 1347 मेगावाट का उत्पादन हुआ। इसके लिए मा विद्युत मंत्री और मा0 मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं कि हमने इतने कम समय में बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा किया है। जबकि विरासत में मिली पिछले शासन काल में सारी मशीनों को खराब कर दिया जैसा कि ओझा जी ने स्वयं कहा कि सूखे की स्थिति में भी हमारी मशीनें चलती रहीं तो इससे स्वयं सिद्ध हो गया कि जब सूखा हो और आप जबरदस्ती मशीनें चलायेंगे, तो खराब होंगी ही। सारी मशीनें टरबाइन इनके शासन काल में खराब हुयीं, जिन्हें ठीक करवाया गया और द्रुतगति से उत्पादन हुआ और बिजली की उत्पादन क्षमता पहले से कई गुना बढ़ी। साथ ही इस बात का भी प्रयास हुआ कि उद्योगों को और ग्रामीण-क्षेत्र से संबंधित सारी बिजली संबंधित परेशानियों को दूर किया जाय। और एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस विभाग में तारों की चोरी व अन्य भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो इनको दूर करने के लिए देश के हित को ध्यान में रखते हुए इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। पहले की तरह तार चोरों को मृत्यु दंड दिया जाए। मगर अब इस हाइडिल यूनियन्स को, देखें वह अपने कर्त्तव्य के प्रति क्या उतना जागरूक है जितना अधिकारों पर। वह अपने अधिकारों के प्रति बड़े जागरूक है, वहां कर्त्तव्य भी सख्ती के साथ करना जरूरी है। आज विद्युत विभाग में हर साल करीब 40 और 50 करोड़ की चोरी होती है डाइरेक्ट कनेक्शन को लेकर यह चोरी होती है या फिर मीटर जाम को लेकर। इसके अतिरिक्त ट्यूबवेलों और इण्डस्ट्रीज पर जो बाकी है करीब 10 करोड़ रुपये तो ऐसी चोरी को भी रोकने के लिये बड़ी गम्भीरता से और मजबूती के साथ कदम उठाने की जरूरत

है। बिना विभाग के कर्मचारियों के लिये कोई भी चोरी विद्युत विभाग में नहीं हो सकती है, इस बात को मान कर मैं चाहूंगा कि आप अपना अगला कदम सख्ती के साथ उठावें।

आज से कई साल पहले बिसवां टाउन एरिया, सीतापुर में एक सब स्टेशन पास हो गया, लाखों रुपये की लागत उसमें लग गयी दुर्भाग्य से वहीं बगल से रेलवे लाइन जा रही थी, रेलवे वालों ने आपत्ति की। आज इस बात को 6–7 साल हो गये हैं, तब से उनके बीच लिखा-पढ़ी हो रही है। हमने इसके बारे में कई बार मंत्री जी से बात की, उसके संबंध में सेन्ट्रल और स्टेट के मसले में वहां के लोग क्यों नुकसान उठायें। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से भी विद्युत् के लिये और उसके मेन्टीनेन्स के लिये, सब स्टेशन के लिये मगर आज जो सब स्टेशन बिना बने पड़ा हुआ है और पुराना सब स्टेशन की हालत यह है कि किसी भी वक्त गिर सकता है, तो उस पर आप अवश्य ध्यान दें।

मान्यवर, एक कांस्टीट्यूएन्सी में ऐसा ब्लाक है जहां बिजली ब्लाक के हेडक्वार्टर में नहीं आयी है जिसकी वजह से उस ब्लाक की बिलकुल प्रगति नहीं हो पायी है एक ब्रेक डाउन की बात चली थी, उसको आगे के लिये छोड़ दिया जाय और अन्त में मैं माननीय मंत्री जी बजट का समर्थन करता हूं और यह मांग करता हूं कि विद्युत् विभाग को ठीक करने के लिये बहुत सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है चाहे वहां की यूनियन्स हों या चाहे इम्पलाइज हों।

*श्री धनी राम वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विद्युत के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिये अवसर प्रदान किया, इसका मैं आभारी हूं। मान्यवर, हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने विद्युत बजट से संबंधित पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। मान्यवर, मैं आंकड़ों के जाल में न जाकर कुछ सामान्य बातों पर आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, बिजली वितरण का जो सबसे बुरा हाल इस वक्त है, वैसा हाल कभी नहीं रहा है।

काश्तकार अपने ट्यूबवेल पर सिंचाई के लिए जाते हैं, बिजली आती है, पानी खेत तक पहुंच भी नहीं पाता और चली जाती है। इस तरह से बिजली की आंख मिचौली हो रही है और जो कास्त बोयी गयी है उसका नुकसान हो रहा है। इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि देहाती और शहरी क्षेत्र में मीटर का किराया समान रूप से लेते हैं जबकि देहात में 2–4 घंटे बिजली दी जाती है और शहर में 18–20 घंटे। इसलिए मैं चाहूंगा कि देहाती क्षेत्र में मीटर चार्ज कम करें और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से देहात में रहने वालों के साथ पक्षपात करते हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि विद्युत निगम जो है इनका यह सफेद हाथी है। इसमें आई0ए0एस0 और पी0सी0 एस0 अधिकारी हैं वह गुलछर्रे उड़ा रहे हैं इसमें निश्चित तरीके से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अध्यक्ष होने चाहिए इससे उसमें कुछ न कुछ आवश्यक रूप से सुधार होगा मैंने पीछे आंकड़े देखे। क्या कारण है कि बिजली के तांबे के तारों का रिप्लेसमेन्ट किया गया। उसमें 50 प्रतिशत ही वापस आये और 50 प्रतिशत तार चोरी चला गया। वह यदि विद्युत विभाग के लोग ही चोरी करते या करवाते नहीं है तो जो 50 प्रतिशत वापसी दिखायी गयी है तो 50 प्रतिशत कहां चला गया। इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहता हूं सीमेन्ट के खम्भे बनाये जा रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि जरा सी आंधी तूफान आया कि ये टूट कर गिर जाते है और वह वहां बरसाती नाले, छोटे-छोटे नालों पर शोभा बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगा कि यह अनावश्यक खर्चा है, सीमेन्ट के खम्भे बनाकर किया जा रहा है, वह न करने दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धनी राम वर्मा]

जहां तक हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की बात कर रहे हैं, निश्चितरूप से नहीं आपने किया है ।

यदि आप चाहते हैं कि विद्युत् में कटौती न हो निश्चित रूप से अधिकारियों पर अपने अंकुश रखें और जो चोरी होती है उसको रोकें । यदि आप चोरी को नहीं रोकते तो नलकूप पर जो बिजली दी जाती है, नियमित रूप से नहीं देते, तो जो खर्चा पड़ता है वह बढ़ता जायेगा । अपनी बात समाप्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शम्भूनाथ---

एक व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर । नियमावली में साफ लिखा है कि यदि कोई माननीय सदस्य विधान सभा में न बोले हों तो उनको पहले मौका दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

आपको भी समय मिलेगा ।

(व्यवधान)

*श्री हरदेव---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बिजली बजट पर बोलने का मौका दिया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । साथ ही बिजली का प्रकाश बढ़ा है इसलिए बजट का स्वागत करता हूं । और विरोध पक्ष की कटौती के प्रस्ताव से जो घनघोर अंधकार बढ़ा है उसका विरोध करता हूं और बिजली के प्रकाश में कुछ विचार सदन में रखना चाहता हूं ।

मैं सरकार को बधाई देता हूं कि ढाई वर्ष की जनता पार्टी की सरकार ने जो बिजली की तबाही कर दी थी, हमारे अन्न से भरे भंडारों का विनाश कर दिया था, उस दिशा में अब हमारी सरकार द्वारा सुधार हो रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप धैर्य रखें बिजली उद्योग धन्धों के लिए, स्कूल और अस्पताल के लिए आप को मिलेगी । प्रदेश के विकास के लिए जितनी बिजली की जरूरत है उस के लिए व्यवस्था की जा रही है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की हुकूमत ने गेहूं को मनमाना लुटाया, चीनी को मनमाना लुटाया, देश की अर्थ व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया । सोना लूटा गया । 1974 में 707 रुपया सोना था (व्यवधान) हमारी सरकार ने ट्यूबवेल्स का इन्तजाम किसानों की उन्नति के लिए, अन्न अधिक पैदा करने के लिए किया है ।

अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मैं बलिया के रसड़ा क्षेत्र से चुन कर आया हूं । वहां की बिजली की समस्या को आप के सामने रखना चाहता हूं । वहां कम से कम तीन लाख से ज्यादा लोग हैं । वहां पर बिजली का छोटा उप केन्द्र 3 मेगावाट क्षमता का है । इसकी क्षमता 6 मेगावाट की जाय । रतनपुरा ब्लाक में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है । वहां उप केन्द्र बनाया जाय । जनता पार्टी हुकूमत में हमारे क्षेत्र रसड़ा में कोई ट्यूबवेल की व्यवस्था, नहर की व्यवस्था नहीं थी । इस तरफ इस सरकार ने ध्यान दिया है । इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं ।

किसानों के बारे में कहना चाहता हूं कि उनको सस्ते दर पर, कम दर पर, बिजली दी जाय । ट्रांसफारमर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । ट्रांसफारमर की चोरी होती है या जब वह जल जाता है, तो उसको सुधारने की व्यवस्था की जायाँ ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बनारस और फैजाबाद में जो पावर हाउसेज हैं वे जीर्ण शीर्ण अवस्था में है । पिछली सरकार ने उनकी उपेक्षा की थी । उनको बनाने की व्यवस्था की जाय ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मान्यवर, आप के माध्यम से कि जो नदियां है जब बाढ़ आती है तो नदियों के किनारे जो पानी आता है वह काफी नुकसान करता है । उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पानी को बांध बनाकर रोका जाय और उससे विद्युत पैदा की जाय और विद्युत का उत्पादन बढ़ाया जाय। मान्यवर.....

श्री अधिष्ठाता––

आपका निर्धारित समय खत्म हुआ। माननीय खैरुल बशर....

श्री हरदेव––

हरिजनों के बारे में पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया है। किसी भी हरिजन व्यक्ति को मुख्य विद्युत परीक्षक तथा ऐसे ही अन्य पदों में नहीं रखा गया....

(व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री श्याम लाल बाजपेयी––

कितना बढ़िया प्रेमपत्र माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं और आप कहते हैं बैठ जाइये।

श्री हरदेव––

हमारे जनपद में जो ट्यूबवेल लगाये गये है उनमें बिजली नहीं मिली है....

श्री अधिष्ठाता––

अब आपका कुछ नहीं लिखा जायगा।

श्री खैरुल बशर––

अधिष्ठाता महोदय, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का मौका दिया है। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारे सूबे के पिछड़ेपन को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान बिजली विभाग का है जिससे हमारा सूबा पिछड़ रहा है, आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है, कृषि के क्षेत्र में पिछड़ रहा है, कारखानों में बिजली नहीं मिल पाती। गांव को अंधेरे में पड़े रहते हैं, खेती सूख रही है, दुकाने अंधेरी रहती हैं और इस तरह से हमारी सारी सनअत बन्द होती जा रही है। चारों तरफ बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है और विधान सभा में इसके लिये लम्बे चौड़े शब्द कहे जाते हैं कि हम इतना बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, उतना उतना उत्पादन कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, उसमें उन्होंने लम्बे चौड़े आंकड़े दिये हैं। पता नहीं उन्होंने कहाँ से योजना बनायी है और आंकड़े प्रस्तुत कर दिये हैं। हमारी पंचवर्षीय योजनायें तो पांच साल के लिये होती हैं लेकिन इन्होंने 90 तक की योजना बना दी है। यह बड़े आश्चर्य की बात है।

मान्यवर, अब मैं बिजली विभाग में फैले भ्रष्टाचार के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, आप अन्दाजा लगायें कि इतनी बड़ी लूट कमीशन के सिलसिले में किसी अन्य विभाग में नहीं होगी जितने कि बिजली विभाग के अन्दर है। इस विभाग के अन्दर 45 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है। जो सामान सप्लाई किया जाता है वह नाकिस होता है। बिजली विभाग उसे खरीदता है और बाद में उसे नीलाम करके इंजीनियर सप्लाई करते हैं जिस पर 45 प्रतिशत वे कमीशन लेते हैं। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर 10 प्रतिशत लेते है, एस0 डी0 ओ0 10 प्रतिशत लेते है, जूनियर इंजीनयर 5 प्रतिशत लेते हैं, एस0 ई0 5 प्रतिशत लेते हैं एकाउन्टेन्ट 4 प्रतिशत लेते है, इसी तरह से क्लर्क, हेड क्लर्क और कैशियर तथा स्टोर कीपर लेते हैं। इस विभाग में लूट का बाजार गरम है। बिजली विभाग लुटेरों के हाथ में पड़ा हुआ है। मंत्री महोदय उसके संरक्षक हैं, पहरेदार हैं, भ्रष्टाचार के पहरेदार है।

मान्यवर, हमारे गोरखपुर में इस विभाग में एक अधिकारी थे, उनको पदोन्नति पर भेजा गया है जिन्होंने कि भ्रष्टाचार किया है, ट्रांसफर में लाखों करोड़ों रुपया कमाया है।

[श्री खैरुल बशर]
हजारों शिकायतें उनके खिलाफ आयी थीं, उनके खिलाफ जांच भी हुई थी, रिपोर्ट भी दी गई थी कि इस अधिकारी को टरमिनेट किया जाय । लेकिन लुटेरे अधिकारियों को पंडित जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में गोली से उड़ा देना चाहिये । मान्यवर, आपको ध्यान होगा कि सिंगापुर की खबर है कि जो अधिकारी इस तरह से पकड़ा गया था उसे गोली से उड़ा दिया गया था ।

(इस समय 4 बजकर 1 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जिसने भ्रष्टाचार किया हो, जिसके खिलाफ जांच भी हुई हो और उसको टरमिनेट कर देने के लिये आदेश हुए थे उसको पदोन्नति करके बनारस भेज दिया गया । उसके सम्बन्ध में सारी फायलें गायब कर दी गई ताकि कुछ पत। न चल सके। ऐसे लोग इस विभाग में बने हुये है जिन्होंने लाखों-करोड़ों रुपया कमा रखा है उनसे हम क्या आशा रखते हैं कि वे प्रदेश का भला करेंगे। मान्यवर, मैं दो तीन स्थानीय बातें कहना चाहता हूं। मऊनाथ भंजन जो डिवीजन है उसमें क्लर्क 10 साल से काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें परमानेन्ट नहीं किया गया महीनों तक उन्होंने एजिटेशन किया अनशन किया था लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई । मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार कैसे काम चलेगा ।

इसके साथ ही हमारे यहां इमरजेन्सी के समय में कांग्रेस रूल में जो ट्यूबवेल और पावर लूम थे वह बिजली के अभाव में बंद हो गये थे अपनी आंखों से हमने उनका जनाजा निकलते हुए देखा था । लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का अन्त हुआ और जनता पार्टी का रूल आया, मैं उसकी तारीफ नहीं करता लेकिन वहां के 8 हजार लूम्स वापस आ गये लेकिन अब फिर जनता पार्टी के बाद कांग्रेस का शासन आया है इसकी काली छाया फिर मंडराने लगी है । फिर ट्यूबवेल, पावरलूम पर संकट के बादल दिखाई देने लगे हैं । बिजली की कटौती होने लगी है और जितनी बिजली देने की बात यह कहते हैं वास्तव में वह नहीं मिल रही है। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को रोका जाय । जो सामान की खरीददारी होती है उसमें बड़े पैमाने पर लूट होती है। ट्रांसफार्मर जो 10 साल पहले खरीदे गये हैं उनका कोई रिकार्ड नहीं है, कितने में वह खरीदे गये, कितने इस्तेमाल हुए उसका कोई हिसाब नहीं है। यह लाखों लाख और करोड़ों रुपये के समान खरीदने में लूट हो रही है । इसको सही करने के लिए जनता को जगाना जरूरी है जिसके लिए इनकलाब लाना पड़ेगा तभी जाकर आप इसे ठीक कर पायेंगे । मैं इन शब्दों के साथ अनुरोध करना चाहता हूं और सदन से मांग करता हूं कि इस अनुदान को ठुकरा दें, यह झूठे आंकड़ों पर आधारित है वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है । इसलिए मैं इस मांग का माफ करें कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मैं खैरुल बशर साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारी मांग का समर्थन किया है ।

*श्री शम्भूनाथ--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत् मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने का अवसर प्रदान किया, मैं माननीय ओझा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका विरोध करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि उसे वह वापस ले लें । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज किसानों को 2, 3 घण्टे बिजली मिल रही है और पावर लूम्स को तीन चार घण्टे बिजली मिल रही है जब कि शासन का निर्देश है कि 8 घण्टे बिजली मिलनी चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि पावर लूम्स जिस क्षेत्र में ढाई सौ लगे हैं, उनको 24 घण्टा बिजली दी जाय। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि जहां से मैं आता हूं आजमगढ़ में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां डेढ़ लाख रुपया आज से तीन साल पहले कोल्ड स्टोरेज के लिए जमा किए गये थे लेकिन उसको डायरेक्ट लाइन नहीं दी गयी। वहां के लिए 1.32 लाख के0वी0 का सब-स्टेशन स्वीकृत हुआ था लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं हुई। गांवों में जो ट्यूब-वेल की लाइन लगी हैं वह कम बिजली मिलने से जल जाती हैं। इस ओर जल्द ध्यान देने की कृपा करें।

मान्यवर, विद्युत् विभाग में ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपयों का गबन किया है। जिनकी जांच विजीलेंस द्वारा हो चुकी है। ऐसे अधिकारी एस0के0 माथुर, जिनकी तरक्की जिस वक्त हुई, इसके पहले उन्होंने विद्युत् बोर्ड को अपील किया था कि मेरी तरक्की की जाय। किन्तु विद्युत् बोर्ड ने उस पर निर्णय लिया कि चूंकि इनकी चरित्र-पंजिका में यह लिखा है कि यह भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, इसलिए इनकी तरक्की नहीं हो सकती और उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। पुनः इनको एक दो साल बाद यह तरक्की दे दी गयी, दो–एक साल बाद विद्युत् बोर्ड ने फैसला किया और विद्युत् बोर्ड के उन सदस्य ने लिया जो पहले उनकी अपील खारिज कर चुके थे, कि इनकी अपील स्वीकार की जाय। तो जिसके विरुद्ध विजीलेंस विभाग की इतनी गम्भीर इन्क्वायरी हो, चरित्र-पंजिका में भ्रष्ट अधिकारी लिखा हो, और जिनके बारे में विद्युत् बोर्ड ने कहा हो कि यह चेयरमैन नहीं हो सकते, तो इसका क्या कारण है कि इनको चीफ इंजीनियर बना दिया गया है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तरक्की दी गयी, तो मैं आपसे चाहूंगा कि उनको आप तुरन्त निलम्बित करें और उनके स्थान पर किसी अच्छे अधिकारी की पदोन्नति की जाय। मैं यह भी चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जैसा महत्वपूर्ण संकल्प लिया है कि गांवों के किसानों तक मैं बिजली पहुंचाऊंगी, उस संकल्प की पूर्ति के लिए माननीय मन्त्री जी समस्त किसानों को बिजली पहुंचाने के लिए कम से कम 18 घंटे गांवों में बिजली दें ?

दूसरी बात मैं यह चाहूंगा कि किसानों को जितनी बिजली मिलती है, उतने का ही उनसे बिजली बिल लिया जाय। यह नहीं होना चाहिए कि बिजली उनको तीन घंटे मिले और बिजली बिल 24 घंटे का वसूल किया जाय। जब किसानों की फसल खड़ी रहती है और उसे पानी की आवश्यकता होती है, उसी वक्त आपके विभाग के कर्मचारी जाकर बिजली लाइन काट देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनसे बकाए की वसूली तो राजस्व विभाग द्वारा की जाय, कुर्की की जाय फसल की, लेकिन उनकी बिजली न काटी जाय, ताकि उनकी भरपूर फसल पैदा हो सके। मेरे क्षेत्र आजमगढ़ में अतरौलिया, अहरौरा और महराजगंज तीन फीडर हैं, उनसे गांवों को बिजली दी जाती है।

चूंकि वोल्टेज ज्यादा रहता है, इसलिए बिजली घटाकर दो घंटे बिजली दें। एक लाख 32 हजार के0वी0 का जो सब-स्टेशन वहां के लिए स्वीकृत है, उस पर तुरन्त कार्य प्रारम्भ किया जाए ताकि बिजली की समुचित व्यवस्था हो सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी के बजट का समर्थन करते हुए विरोध पक्ष के कटौती के प्रस्ताव की घोर-घोर निन्दा एवं विरोध करता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत् बजट पर विचार करने का अवसर दिया। मान्यवर, आजके युग में बिजली को माइनस कर दिया जाय और बिजली के बिना सोचा जाय तो मैं समझता हूं कि बिजली के बिना आदमी सोच भी नहीं सकेगा। पंडित नेहरु का एक वाक्य मैं आपकी आज्ञा से कोट करना चाहता हूं। उन्होंने एक जगह कहा है कि :––

"लाइफ, टूडे इज गवर्नड एण्ड कण्डीशन्ड बाई दि आफ शूट्स आफ साईस एण्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ईमेजिन इक्जिस्टेंस विदाउट देम।"

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट]

आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान के संसाधनों के बगैर अस्तित्व की बात सोचना भी कठिन है। जहां तक साइन्स के क्षेत्र का सम्बन्ध है वह लागू होता हो या न होता हो लेकिन बिजली के सन्दर्भ में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें अपना स्थान बना लिया है चाहे जमीन से पानी निकालने का मसला हो चाहे कल कारखाने में सामान बनाने की योजना हो चाहे स्टील और पाइप की योजना हो, चाहे खाद बनाने की योजना हो और दूसरे जो जन जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुएं हैं आज बिजली के बिना उनके लिए सोचना भी मुश्किल है। दूसरे मेरा निवेदन है कि इस विभाग में माननीय मन्त्री ब्रह्म दत्त जी को जितना ध्यान देना चाहिए वे नहीं दे पाते हैं।

वे वित्त मन्त्री भी हैं और उनकी विशेष कृपा इस बिजली के विभाग पर होनी चाहिए, एक वित्त मन्त्री के रूप में भी होनी चाहिए। जो परिपत्र और पुस्तिकायें सदन में हम लोगों को दी गयी हैं उनमें तापीय विद्युत् का सन्दर्भ तो दिया गया है लेकिन जल विद्युत् के बारे में कहीं भी इस प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जिक्र नहीं किया गया है जिससे हमें नहीं मालूम कि कितनी जल विद्युत् पैदा की जा सकती है। हिन्तुस्तान में है पंजाब का नामकरण पांच नदियों के नाम पर किया गया। वे एक जगह से निकलती हैं, मिलती नहीं हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी एक स्थान जहां पर पाँच नदियां यमुना, चम्बल, कुंवारी, सेंघ और पहुज बड़ी-बड़ी नदियां मिलती हैं। वहां पर 19 लाख क्युसेक पानी का डिस्चार्ज तो सिर्फ जमुना नदी का है। मैं माननीय लोकपति जी को बधाई देता हूं कि उनके कार्य-काल में पंचनद की योजना को टेक-अप किया गया था, स्वीकार भी कर लिया गया था लेकिन वर्षों के बाद भी वहां पर बांध नहीं बनाया जा सका हैं और जितना ध्यान इस योजना पर दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया है।

अगर इस वर्ष आप इस बांध की योजना को टेक-अप कर लें तो वहां से आपको जल विद्युत् भी मिलेगा जिससे आपकी विद्युत् का उत्पादन भी होगा और वहां पर जो बीहड़ है, रैवीन्स हैं, जहां पर फूलन देवी, मलखान सिंह, घनश्याम सिंह आदि डकैतों का आतंक है वहां पर बांध बनने से परी बीहड़ का इलाका जलमग्न हो जायेगा और डकैतों के उन्मूलन की समस्या में भी लाभ होगा। बाढ़ के कारण हर साल जो सरकार का करोड़ों-करोड़ों रुपया इस प्रदेश की सरकार का और गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो खर्च होता है और जिसके कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले ही नहीं बिहार का इलाका भी तबाह हो जाता है, उससे बाढ़ की समस्या भी काफी हद तक हल हो जायेगी। मेरी प्रार्थना है कि जल विद्युत् के उत्पादन के लिए इस योजना को वरीयता देकर टेक-अप करें। आपके अधिकारी, जो यह कहते हैं कि राक्स अवेलेबिल नहीं है यह सही नहीं है। वहां पर आपके जो अधिकारी हैं वे रिंग मशीन ले ही नहीं जाते हैं। केवल कागजों पर ही वह योजना रह जाती है।

मेरी प्रार्थना है कि आप अपने वैज्ञानिकों से डिजाइन में परिवर्तन कराकर वहां पर बांध बनवाइए और वहां पर पानी की एक फीडर ड्रेन बनाकर इस योजना को टेक-अप कीजिए। वहां पर जो बीहड़ पट्टी मध्य प्रदेश से मिली हुई है उसमें बहुत से गांव हैं ललूपुरा, चौरेसा, बिन्दुवा, गढ़ीमगद, कचहरी, कयिवली, बिजैरी, बिढौली हरौली, पथरी, महुआ, सण्डा, निवी आदि चम्बल की पट्टी में और जमुना की पट्टी में गोहना, दासपुर, मानपुर, खरका, बसेतपुर, सेहोली, सड़रापुर, बिजलपुर, अयाना, जुहीरवा, फरया, पाकार, का पुरवा, करके का पुरवा, मलगवां, बडेरा,सिकरोडी, नगला सिमार आदि जहां पर मलिखान सिंह और फूलन देवी का भय व्याप्त है, उनकी प्रगति होगी। आखिर परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि वहां की धरती को पानी मिलता ही नहीं। वहां की पड़ोस के बार्डर से लगे हुए जितने गांव मध्य प्रदेश में, वहां पर रात को जलते हुए लट्टू जब हमारे यहां के किसान देखते हैं और दूसरी ओर अपने यहां अन्धकार ही अन्धकार देखते हैं तो अपने भाग्य को कोसते हैं। कहते

हैं यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम इटावा जिले के निवासी हैं। केवल 2 फर्लांग की दूरी पर ही एक तरफ मध्य प्रदेश के गांव में बिजली ही बिजली जलती हुई दिखाई देती है, और हमारी तरफ अन्धेरा छाया रहता है। इस ओर मैं निश्चित रूप से आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करुंगा बड़े ही प्रयास के बाद 1975–76 में हमने अपने यहां 60 नलकूप लगवाए।

मेरा यह आरोप है कि मन्त्री जी ने इन 4–5 सालों में भी उन नलकूपों को बिजली नहीं दी जिसके कारण जो लाखों रुपया धरती में समा गया है वह बेकार पड़ा है। मेरा निवेदन है कि जितनी भी हमारी यह बीहड़ बेल्ट है उसमें आप कम से कम 100 नलकूप और लगायें तथा उनको सभी को बिजली दें और उस पूरी बेल्ट में विद्युतीकरण कर दें।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में, अलबर्ट मायर साहब उनके पास पहुंचे और कहा कि हम यह प्लानिंग करना चाहते है नेहरू जी ने उनसे कहा कि वे यहां आकर मुख्य मन्त्री से मिले। वे यहां उत्तर प्रदेश में आए और मुख्य मन्त्री ने उस समय में उनसे कहा कि वे यहां पर धरती का चयन जहां चाहें कर लें अपनी प्लानिंग के लिए। अलबर्ट साहब ने भूमि को चुना और वह धरती अजीतमल (इटावा) की धरती जहां नियोजन ने जन्म लिया पर बाद में महाराष्ट्र की धरती में समा गयी। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप कम से कम उस अजीतमल की धरती का विद्युतीकरण करा दें। पायलेट प्रोजेक्ट के महत्व को ध्यान में रखकर विद्युतीकरण की सघन योजना में सम्मिलित करके इस परियोजना क्षेत्र गांवों का विद्युतीकरण करा दें।

अन्त में मैं एक बात और हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण योजना के बारे में कहना चाहता हूं। इस सरकार के द्वारा हरिजनों के लिए गांव में विद्युतीकरण का बड़ा ही ढिंढोरा पीटा जाता है। मगर वास्तव में उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। आप 3 खम्भे देते हैं और उससे होता यह है कि गांव तक बिजली पहुंच ही नहीं पाती। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस नीति को बदलें, इसमें परिवर्तन करें और 3 खम्भे की जगह आप 5 खम्भे लगायें। तभी हरिजन बस्तियों तक बिजली पहुंच सकेगी, नहीं तो जिस तरह से आप हरिजनों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इससे हरिजनों का वास्तव में कुछ भला होने वाला नहीं है। आप घड़ियाली आंसू भले ही कितने ही बहा लें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय ओझा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

विद्युत् उप-मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)—

माननीय अध्यक्ष जी, विद्युत् बजट प्रस्तुत करते समय हमारे विद्युत् मन्त्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में विद्युत् परिषद् के प्रगतिशील कार्यों पर प्रकाश डाला। मैं समझता हूं कि कुछ बातें ऐसी यहां पर कही गयीं चर्चा के दौरान जिसका स्पष्टीकरण मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों के लिए करना चाहता हूं। कटौती का प्रस्ताव रखते हुए माननीय ओझा जी ने चोरी के सम्बन्ध में कहा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि विद्युत् की चोरी के सम्बन्ध में हमारे विद्युत् परिषद् में एक विजीलेन्स सेल की स्थापना की गयी है जो डी0आई0जी0 विजीलेन्स के अन्डर में है और इस वर्ष हम लोगों ने अप्रैल, 1980 से जनवरी, 81 तक करीब 14,488 कंज्यूमर्स को चेक किया और उसमें से 2,685 केसेज निकले और उनके विरुद्ध हम लोगों ने 30 लाख 18 हजार रुपए का असेस्मेंट किया और जिसके एक्सेस लोड की जिसने चोरी की, वह केसेज 937 थे और उसमें धनराशि थी 16 लाख 92 हजार। 2,317 लोगों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 लाज किया गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार चोरी पर कितना ध्यान दे रही है और इस अपराध को किसी भी तरह हम कोई भी अपराधी हो, उसे बख्शेंगे नहीं।

ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में कहा जाता है 100 प्रतिशत विद्युतीकरण कर दिया गया

[श्री सुनील शास्त्री]

है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यगण को यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के बराबर हमने 300 से अधिक गावों का विद्युतीकरण कर दिया है। उत्तर प्रदेश हमारा यह बहुत विशाल प्रदेश है। यहां पर 1 लाख 12 हजार से अधिक गांव हैं और उनमें आज तक हम लोगों ने करीब 40,770 गांवों का विद्युतीकरण किया है, जोकि 36 प्रतिशत है। हमारा इस वर्ष का भी लक्ष्य 1981-82 का 5,430 गांवों का विद्युतीकरण करने का है। साथ-साथ मैं यह भी आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि हमारी प्रदेशीय सरकार हरिजन के प्रति कितनी जागरूक है। यह आपको आकड़ों से मिलेगा कि हम लोगों ने अब तक 15 हजार से अधिक हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया है और अभी भी हम लोग आगे आने वाले वर्ष में 3,315 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण और करेंगे निजी नलकूपों के बारे में भी एक माननीय सदस्य ने कहा। अतः आंकड़े जब यहां पर रख देते थे, तो कुछ उन्हें भ्रम सा था, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य जो 1980-81 का था, 37,400 के करीब था, और हम लोगों ने आज तक 37,700 निजी नलकूपा के लिए व्यवस्था कर दिया है। 50 हजार जो लक्ष्य था, उसे बढ़ाया गया है, बाद में, अभी भी हमारा प्रयास जारी है और अधिक से अधिक निजी नलकूपों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बहुत सी बातें यहां पर हमारे माननीय विपक्ष के सदस्यों ने रखी, जिसके बारे में अभी विद्युत् मंत्री जी बतायेंगे। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी विद्युत् परिषद का उद्देश्य है, उसका जो मोटो है, वह "तमसो मा ज्योतिर्गमय" है। इसका अर्थ अंधेरे से प्रकाश में ले जाने का है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा विद्यत् परिषद् विद्युत् विभाग अपने प्रदेश की जनता के लिए कार्य कर रहा है और कटिबद्ध है। मैं आशा करता हूं कि हमारी विद्युत् समस्या 1990 तक पूरी हो जायगा और उस समय तक हमारा मिर्जापुर जिला एशिया में नम्बर 1 का जिला होगा जहां स अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। हमारी जितनी भी परियोजना हैं उनक लिए हमारी प्रदेश की सरकार प्रयत्नशील है और हमेशा केन्द्र की सरकार से सम्बन्ध स्थापित कर रही है और जैसा जानकारी में आया है कई परियोजनाओं की स्वीकृति हमको प्राप्त हुई है। उनका कार्य जोरों से चल रहा है और हमको आशा है कि हम बिजली अधिक से अधिक उत्पादित करेंगे और जितनी भी कठिनाइयां विद्युत् से हमारे प्रदेश के रहने वालों को हो रही हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अन्त में आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यत् बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जो केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आप सबके लिए है। मेरा निवेदन है कि आप लोग समय पर अपने सुझाव एवं सहयोग हम लोगों को देते रहें जिससे हम इस विद्युत् की समस्या को शीघ्र सुलझा सकें और प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकें।

(व्यवधान)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अध्यक्ष महोदय, मैं इन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जाने या अनजाने डर कर या निर्भीक होकर मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। सत्ता पक्ष जिनके ऊपर अनुशासन का डण्डा है उनका मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे मनोबल को बढ़ाया है क्योंकि मैंने जो कटौती के प्रस्तावों में प्रश्न उठाए थे उनका मजबूती के साथ उन्होंने समर्थन किया है। प्रश्न आज विद्युत् के उत्पादन का है, प्रश्न उसके वितरण और चोरी का अधिक है। इसी सन्दर्भ में मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी शक्ति इस दिशा में लगावें। माननीय शास्त्री जी ने चोरी का सवाल उठाया है। मैं उन को स्मरण दिलाना चाहूंगा कि वह जहां से चुनकर आये हैं, गोरखपुर शहर से उसी गोरखपुर शहर में आधे से ज्यादा बिजली की चोरी होती है और राजस्व की क्षति हुई है। जब यह मामला शासन के ध्यान में लाया गया तो चोरी की वह बात देहात पर लाद दी गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कौन सा माननीय सदस्य है जो यह बतलाएगा कि उसके घर में बिजली का बिल ठीक से आता है ? सारा ढांचा कुछ ऐसा बना हुआ है जिसमें ये गड़बड़ियां होती ही रहेंगी। आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि जो ट्यूबवेल ओनर्स हैं उनको पास-बुक दे दी जायं। हर महीने उनकी रीडिंग कर ली जाय और भुगतान वह कर दिया करें इसके लिए देहात में ब्लाक स्तर पर कोई एजेंसी कायम करनी होगी जो गांवों में बिजली का माह-वारी हिसाब रखेगी। आखिर यह शहर और देहात में अन्तर क्यों है ? शहर में जो जलने वाला ट्यूब है उसकी किरण देहात तक भी आप ले जायं। शहर में 20 घंटे, देहात में 4 घंटे और टाउन एरिया में 10 घंटे बिजली मिलती है तो यह फर्क क्यों है ? यह देहात तथा शहर का जो चक्कर ह इसे आप दूर करें और समान रूप से बिजली का वितरण करें।

आपने जो जिला स्तर पर समिति बनाई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन माननीय मन्त्री जी इसी सन्दर्भ में मैं यह चाहूंगा कि जो यह विद्युत् परिषद् है, इसका भी जन-तांत्रिक ढांचा खड़ा कीजिए। आप अपने पक्ष के ही किसी सदस्य को रख दीजिए। चाहे किसी को भी रख दीजिए, लेकिन कन्ज्यूमर्स के प्रति, काम करने वालों के प्रति एक प्रजातांत्रिक ढांचा बनाइए, जिससे कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं कि 35 प्रतिशत के बजट का 20 प्रतिशत प्रशासन में खर्च कर रहे हैं, उस पर कन्ट्रोल हो सके।

उद्योगपतियों पर कोई 90 करोड़ रुपया बाकी पड़ा हुआ है। किसानों के कनेक्शन्स तो आप काट देते हैं लेकिन उद्योगपतियों से वसूली की रफ्तार 1 1/2 करोड़ रुपया प्रति वर्ष है। इसको वसूल करने के लिए सख्ती की जरूरत है। मिर्जापुर के सम्बन्ध में अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि वहां जितना भी काम हो रहा है, बाहरी मजदूर लगाए जा रहे हैं, बाण्डेड लेबर काम कर रही है। एक विचित्र स्थिति वहां पर पैदा होने वाली है। इस बारे में भी निश्चित रूप से आप ध्यान दें।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहूंगा। इसमें 20 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष का लास है। जनता पार्टी के शासनकाल में वह एक मात्र अवसर था जबकि यह जो प्रति वर्ष घाटा 23 करोड़ का था, वह घटकर 10 करोड़ हो गया था। आप आंकड़े देख लीजिए। आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपको मिल जायगा। वह 10 करोड़ भी 6.37 करोड़ पर आने वाला था।

इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थिति यह है कि 25 करोड़ रुपए का घाटा दे रहा है और आपकी हठधर्मी की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के कारण जो कनेक्शन दे दिया गया इससे 5 करोड़ का नुकसान हो गया। हिण्डालको का मामला ऐसा है, जो इस प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ है, वह एक भावनात्मक पक्ष हो गया है। कोई तर्क नहीं है कि बिजली का उत्पादन 17 पैसे प्रति यूनिट हमारे शासनकाल में पड़ रहा था और 29 पैसे प्रति यूनिट आपके शासनकाल में पड़ रहा है, फिर भी हिण्डालको को 11 पैसे यूनिट बिजली दी जाय। सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है, सारी बात है। हो सकता है कि हमारे मन्त्री भी भ्रष्ट रहे हों। इस देश के इतिहास में यह पहला अवसर था जबकि हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा कि इसका राष्ट्रीकरण कर दिया जाय मेरी मांग है आपसे कि जब तक हिण्डालकों को बिजली ठीक दर पर नहीं देंगे, प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है।

बहरहाल, माननीय सदस्य ने जैसा बताया कि विद्युतीकरण हो रहा है, लेकिन वहां कोई विद्युतीकरण नहीं हुआ है। परिषद् के सम्बन्ध में आडीटर जनरल का एक प्रकरण

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

है और एक विजीलेन्स की रिपोर्ट है। वह अंग्रेजी में है जिसको मैं पढ़ देता हूं और उसकी हिन्दी कर दूंगा। वह नीचे है——

लेटेस्ट रिपोर्ट आफ कन्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल आफ इंडिया

"इन सम केसेज सप्लाई आफ ट्रांसफार्मर्स वेर एक्सेप्टेड विदाउट इक्सरसाइजिंग एनी रुटीन टेस्ट्स, ह्वाइल इन सम केसेज इन्सपेक्शन एण्ड टेस्टिंग आफ टांसफार्मर्स सप्लायड बाई वेरियस फर्मस वेयर वेव्ड आन द ग्राउन्ड दैट द बाण्ड्स इनस्पेक्सन विंग्स वाज नाट एडक्वेटली स्टाफड. . . .

22525 टांसफारमर्स वेयर एकसेप्टेड ए फ्यु इयर्स एगो विदाउट कन्डक्टिंग इम्पल्स एण्ड टेम्परेचर टेस्ट्स. . . .

ए विजिलेंस आफिसर सेज

वी इस्टीमेट यू0पी0 एस0इ0बी0 आफ लासेज 5 करोर्स एवरी इयर आन परचेसेज आफ ट्रांसफार्मर्स एलं न मोर दैन 45 करोर्स इज स्पेन्ट आँन परचेसेज आफ ट्रांसफार्मर्स पर इयर हाफ आफ विच आर आइदर स्टोलेन आर डैमेज्ड

कन्ट्रोलर ऐण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 22,525 ट्रांसफारमर्स खरीद लिए गये जिसकी टेस्टिंग नहीं हुई, टेम्पेरेचर टेस्ट नहीं हुआ और न कोई फारमेल्टीज ही खरीदने के सम्बन्ध में पूरी की गयीं। उसी सम्बन्ध में विजीलेन्स की रिपोर्ट है कि केवल 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ट्रांसफारमर्स के खरीदने में लास होता है और 45 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ट्रांसफारमर्स के खरीदने पर खर्च होते हैं जिसमें आधे या तो चोरी हो जाते हैं या आधे बेकार हो जाते हैं। नया खरीदने से मरम्मत में अधिक खर्च होता है। उदाहरण के लिए दो फर्म को आर्डर दिए गये 1.45 लाख रुपए के जबकि नया एक 1.31 लाख में ही मिला। इस तरीके से घपलेबाजी आपके विद्युत् परिषद् में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस दिशा में निश्चित रूप से जब तक विद्युत परिषद् का री-कांस्टीट्यूट नहीं करते हैं तब तक आप चाहे जितने वायदे करें लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

मान्यवर, इनकी सरकार ने 25 सालों में 478 शीतगृह इस प्रदेश में बनवाए जबकि जनता पार्टी ने अपने समय में एक वर्ष में ही 228 शीतगृह बनवाए थे। इसी तरह से मैं पूछना चाहता हूं कि 35 प्रतिशत जो आप खर्च कर रहे हैं, उसमें कितन प्रतिशत देहातों को जा रहा है और कितने प्रतिशत शहरों में खर्च कर रहे हैं। मालूम करें। तो पता चलेगा कि 60 प्रतिशत से ज्यादा पैसा शहरों में और 40 से कम गांवों में आप खर्च कर रहे हैं जबकि जनता सरकार ने 66 प्रतिशत पैसा देहातों को दिया था। इसी प्रकार से मान्यवर, जनता शासन में बजट जो 270 करोड़ रुपया का था वह अधिक से अधिक खर्च हुआ और सरेन्डर नहीं हुआ लेकिन आप इनको देखें तो मालूम होगा कि यह कितना खर्च करते हैं और कितना सरेन्डर करते हैं।

मान्यवर, जिस प्रकार से जनता सरकार ने हिम्मत का काम किया था उसी प्रकार आप भी करें और जो आप सही काम समझते हैं उसको करें। जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि विद्युत् चोरी करने वालों को गोली मारी जाय।

एक सदस्य——

कितनो को मारी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा——

पकड़ में नहीं आये इसलिए नहीं मारी गयी।

इसी शहर में बहुत बड़े लोग पकड़े गए, जिन पर आप लोगों की सहानुभूति है, लेकिन उनको कोई दण्ड नहीं दिया गया।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ जो प्रश्न मैंने उठाए थे उनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में आपके विभाग को एक भी पैसा देना पाप होगा। यहां की 11 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात होगा। यदि पैसे का सदुपयोग करने का आश्वासन आपने सदन को नहीं दिया। जो आपकी व्यवस्था है और जो हम देख रहे हैं उससे शंका और भी

बलवती होती जा रही है कि सारे के सारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और जो मांग रहे हैं उसका एक प्रतिशत भी सही ढंग से खर्च नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास है मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन की सफाई माननीय मन्त्री जी ने . . . .। मैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। उनके चरित्र के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो तरह-तरह के समाचार समाचार-पत्रों में छपते रहते हैं अगर वह छपते रहे और उनका प्रतिवाद न किया जाय तो उससे प्रदेश के जनमानस के अन्दर एक भावना का सृजन होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने हित में नहीं इन सारे लोगों के हित में नहीं आप अपने हित में इनका प्रतिवाद करें यहां नहीं सक्षम कोर्ट में। मैं मानता हूं कि यह आपकी जानकारी में न हो बाई चान्स भी हो सकता है। मैंने सुन की 10 लाख का सौदा हो रहा है कि अमुक व्यक्ति को प्रोमोट करने का और आज सुना रहा हूं कि उसे प्रोमोट कर दिया गया और ऐसे व्यक्ति को जिसको बोर्ड ने कह दिया यह भ्रष्टतम है। इससे मेरे वह माला की कहानी जो हमने बचपन में सुनी थी सत्य साबित हो गयी। करेन्ट में कुछ छपा है हो सकता है आपको जानकारी में न हो आपके कोई बहनोई हैं उनको प्रोमोशन दिया गया ऐसे पद पर प्रमोशन दिया गया जिस पर आई0पी0 एस0 रहते थे जबसे ग्रामीण विकास मर्ज हुआ एक आई0ए0एस0 रहने लगा। कोई पद नहीं था। इस तरह का पद सृजित किया गया और पुनः उस पर पोस्ट कर दिया गया। कृषि मन्त्री ने विरोध किया।

यह सब चीजें यह सब तथ्य ऐसे हैं जो आपके उज्जवल चरित्र में काला दाग लगा रहे हैं। ऐसे मामलों में सतर्कता की आवश्यकता है। आपसे प्रदेश को बड़ी-बड़ी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, आपका असर दूसरों पर पड़ेगा, विभाग पर पड़ेगा, आप हमारे बूढ़े और बुजुर्ग सदस्य हैं। आपने जो घोषणा की है उन पर आरूढ़ रहे। इन शब्दों के साथ मैंने कटौती का जो प्रस्ताव रखा है अपनी भावनाओं का आदर करते हुए उसको स्वीकार करेंगे और आदरणीय सदन के सारे सदस्यों से कहना चाहता हूं कि नैतिकता का तकाजा यही है क्योंकि सारे माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार तो आप हैं लोग हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें जो अभिव्यक्ति किया है उसका समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें।

श्री त्रिवेनी––

मान्यवर, निवेदन है धन्यवाद दे देने दें।

श्री अध्यक्ष––

धन्यवाद का आदान-प्रदान नहीं हो रहा है, बहस हो रही है।

*श्री ब्रह्म दत्त––

मान्यवर, मैं उन सब सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया। लोकतन्त्र में अगर आलोचना न की जाय तो कोई सरकार ठीक से काम नहीं कर सकती है न कोई विभाग ठीक से काम कर सकता है। लेकिन शर्त होती है क्रिटिकल एप्रेजल, रचनात्मक आलोचना मन्त्री या सरकार के क्रिया कलापों की होनी चाहिए।

मान्यवर, शायद माननीय ओझा जी ने फ्रायड और एडलर जंग को पढ़ा होगा। बहुत से तरीके होते हैं, फ्रस्ट्रेशन और पावर्शन के। जबानी भी इसको पूरा किया जा सकता है। इसलिए इन चीजों की ओर मैं ध्यान नहीं देना चाहता। एक बात, उन्होंने जनता पार्टी और हमारी पार्टी की तुलना की। तुलनात्मक अध्ययन के आंकड़े हमने दिए हैं। मैं नम्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

[श्री ब्रहम दत्त]

निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जनता पार्टी सन् 79 म न टूट गयी होती तो यह विद्युत् परिषद् और विद्युत् परिषद् के सारे बिजली घर टूट गये होते। तीन साल मरम्मत नहीं हुई थी। मने सन् 78 में फाइव हेडेड मानेस्टर किताब लिखी थी जिसमें लिखा था, और चौधरी चरण सिंह और लोकदल के अध्यक्ष को उस वक्त चेतावनी दी थी कि अगर यह नहीं टूटती है तो देश टूट जायगा ।

श्री मोहन सिंह--

किताब तो उन्हीं के सानिध्य में लिखी थी लेकिन उसका उपसंहार बाद में लिखा है

श्री ब्रह्म दत्त--

मेरी बात 100 परसेंट सत्य साबित हुई। मैं समझता हूं कि विद्युत् परिषद् में सुधार लाया जाना जरूरी है, सुधार लाया जायगा, सुधार लाया गया है। उसका परिणाम यह है कि जिस वक्त हमारी सरकार बनी साढ़े 12 मिलियन यूनिट उत्पादन था और आज 25 मिलियन यूनिट से ज्यादा है, कल 29 मिलियन यूनिट पैदा हुई है। बिजली की आवश्यकता भी बढ़ गयी है, यह जो चीजें हैं उनको समझिए। एक बात मैं यह भी जानता हूं कि लाईन लाइज को रोकना पड़ेगा और जो आधुनिकतम तरीके हैं वह हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन के जरिए बहुत योजनायें बन रही हैं। जो शिकायतें थीं उन शिकायतों को दूर करने के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोआर्डिटिंग कमेटी बनाई गयी है वह भी ठीक से काम कर रही है। एक परामर्शदात्री काउंसिल भी बनाई है जिसमें संसद सदस्य और विधान मण्डल के सदस्य हैं। इसके अलावा एक किसान सेल बनाया है। मैंने सुबह निवेदन किया था कि हर माननीय सदस्य को अप्रैल महीने से सूचना उपलब्ध करावें कि आपके क्षेत्र में क्या काम हैं, विद्युत् वितरण के घाटे क्या-क्या हैं? मैं यह देखूंगा कि आप में से एक की अध्यक्षता में मीटिंग हो और आप लोग जो निर्णय और सुझाव देंगें उनका परीक्षण मैं स्वयं करूं। एक बात यह कही गयी कि वित्त विभाग भी है इसलिए मैं शायद विद्युत् को समय नहीं दे पाता हूं। जब मैं विरोधी दल का नेता था तब 50 फीसदी टाइम विद्युत् को देता था और आज भी देता हूं। हर मशीन के जनरेटिंग प्लाइंट की मानीटरिंग मैं खुद करता हूं और मुख्य मन्त्री अलग करते हैं। मैं समझता हूं कि जन प्रतिनिधि और अधिकारी अगर एक दूसरे के सामने बैठा दिए जायं तो हमारी बहुत सारी समस्यायें हल हो जावेंगी। एक बात और कही गई है, 1990 तक की योजना की बात कही गयी। तो मान्यवर, कोई सरकार इसलिए नहीं चलती कि मुझे एक साल या 10 साल मन्त्री रहना है। मैं समझता हूं कि जो इस वक्त काम हैं वह हम करें और आगे आने वाले 15 सालों के लिए हम रास्ता बनाकर चलें जायं ताकि सीधे रास्ते पर पहुंचा जा सके।

(मेजों की थपथपाहट)

हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो 78-83 की योजना बनाकर पास नहीं करा पाये। जनता ने 5 साल के लिए डेट देकर भेजा था लेकिन ढाई साल में मैदान छोड़कर भाग गय। जल विद्युत् के बारे में माननीय गौरीशंकर ने कहा है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य यहां है कि यहां पर अपार जल शक्ति जो है उसका उपयोग नहीं किया जा सका। इस केस के लिए हम योजनायें बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे हिमालय प्रदेश में कम से कम 30 हजार मेगावाट की क्षमता है और उसमे बड़ी क्षमता हमारे देश के पड़ोसी नेपाल से सम्बन्धित जो नदियां हैं उनकी क्षमता 82 हजार मेगावाट है। मान्यवर, पंचेश्वर, करनाली, राप्ती नदियों के सम्बन्ध में योजनाएं हैं। इनसे बिजली मिलने के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बाढ़ आती है उसकी भी रोकथाम हो सकेगी। इस तरफ हमारा ध्यान है। हमारी केन्द्रीय सरकार नेपाल सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए है और हमें उम्मीद है कि वह तमाम चीजें हल हो जायेंगी और उन पर संयुक्त रूप में विचार करेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वहां डाकुओं के छिपने की जगह

नहीं रहेगी और माननीय सदन के समक्ष जो बात सुबह भी रखी थी, फिर कह रहा हूं कि हम मिर्जापुर को वैसा ही बनाने जा रहे हैं, जैसे जर्मन और रूस। एक बात को पूरा करने के लिए हम बहुत प्रयास में लगे हुए हैं। हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी यहां बैठे हैं, जब यह सिंचाई मन्त्री थे, तो आपने एक योजना बनाई थी कि कनहर नदी का पानी रिहन्द नदी में मिला दिया जाय, क्योंकि रिहन्द में इस समय भी और पहले भी पानी कम रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि हमारे इंजीनियरों ने उस वक्त वह बात नहीं मानी लेकिन अब हम शीघ्र ही इस योजना पर अमल करने जा रहे हैं कि कनहर नदी का पानी रिहन्द नदी में मिलाया जाय। इस तरफ हमारा पूरा ध्यान है और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आयेगा। इस समय हमारे पास 66 प्रतिशत तापीय विद्युत और 34 प्रतिशत जल विद्युत। अगर यह चीज उल्टी हो जाय कि 65 प्रतिशत जल विद्युत और 35 प्रतिशत तापीय विद्युत तो काम हमारा ठीक तरह से चलेगा और इस पर हम पूरी तरह से ध्यान देंगे।

मान्यवर, हमने अपने प्रदेश में यह निर्णय लिया था कि 100 प्रतिशत विद्युतीकरण करेंगे। तो यह सपना हमारा पूरा हुआ और रायबरेली में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया। यह इस प्रदेश की सबसे बड़ी सफलता है कि सबसे पिछड़े हुए और ऊसर जमीन पर 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है।

(शोर)

जबकि मशीनें खराब हालत में थीं, टरबाईन जले हुए थे, इन मशीनों की कोई मरम्मत नहीं हुई थी, तीन साल से। इसपर भी साढ़े 12 मिलियन यूनिट्स से बढ़कर 29 मिलियन यूनिट तक हम पहुंचे हैं। इसके अलावा हम यूं भी मजबूर हुए कि हमारे पास केवल 2–2 सौ मेगावाट की चार मशीनें हैं, जिनपर ही हमको निर्भर रहना पड़ता है। इन्हीं मशीनों से हमने थोड़े समय में जो उत्पादन बढ़ाया है वह एक कीर्तिमान है और भी आगे हमारा यह प्रयास है कि इन मशीनों में और इम्प्रूवमेंट आये, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। बी0एच0ई0एल0 वालों से भी हमारी बात हुई और बाहर वालों से भी प्रयास कर रहे हैं और अगर जरूरत हुई तो फारेन से भी इस सम्बन्ध में मदद ली जायगी और इन मशीनों का इम्प्रूवमेंट करेंगे।

मान्यवर, मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े उद्योगीकरण में जो प्लान्ट पहले 30 फीसदी पर आ गया था वह अब 45 फीसदी तक नार्मल में आ गया है। सारी योजनाओं को हम शीघ्र ही पूरा करेंगे। हम 20 और 25 साल की कल्पना को लेकर ही चल रहे हैं, उनको एक दिशा पहले से मिली है, हम स्ट्रक्चर बना कर देना चाहते हैं। किसी देश का निर्माण एक साल या दो साल में नहीं हुआ करता है। मान्यवर, उसके लिये, उसकी प्रगति के लिये कम से कम 25 साल की योजना बनानी चाहिये। इसके साथ ही मैं सभी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने कुछ रचनात्मक सुझाव दिये और तीव्र आलोचनायें कीं।

मैंने स्वयं तीव्र आलोचना की है इसलिये मैं तीव्र से तीव्र आलोचना सहने की शक्ति मुझमें है। हमारे माननीय सचेतक महोदय ने जैसा कहा बुहारी गांव योजना जो आजमगढ़ में है, उन्होंने उस तरफ मेरा ध्यान दिलाया उसके लिये मैं आपको बता दूं कि वह योजना बन चुकी है और माननीय ओझा जी जो बड़े विद्वान आदमी हैं उनसे मैं दो निवेदन करूंगा कि जैसा कि मैंने सुबह कहा था कि कोई चीज तुलनात्मक होती है। हमारी योजनाओं के फलस्वरुप विद्युत विभाग में तुलनात्मक स्थिति में तुलनात्मक सुधार हुआ है। मैं नम्र निवेदन करुंगा कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें साथ ही सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे वितरण में सहयोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष––

माननीय ओझा जी, आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या लें, वह लोग हूटिंग करने वाले हैं ?

(श्री त्रिवेनी के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय त्रिवेनी जी आप स्वत: चीफ व्हिप है, आपको ऐसी राय माननीय सदस्यों को नहीं देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67--विद्युत विभाग--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67--विद्युत विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 103--विद्युत विभाग--पूंजीगत परिव्यय में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 103--विद्युत विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 125--विद्युत विभाग--ऋण और अग्रिम में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 125--विद्युत विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,16,09,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत केवल तीन सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से एक सूचना माननीय रियासत हुसैन की दिनांक 28 मार्च, 1980 को एक माल गाड़ी, जो उत्तर प्रदेश के टूण्डला क्षेत्र से होती हुई, तुगलकाबाद दिल्ली पहुंची कि डिवीजन सिक्योरिटी आफिसर (आर0 पी0 एस0) द्वारा चेकिंग करने पर 103 हैण्ड ग्रेनेडस के गायब पाये जाने की घटना के संबंध में है, वह नियम 51 के लिये स्वीकृत की गयी है। शेष सचनाएं अस्वीकृत हुईं।

श्रीमती गौरी देवी द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की सूचना पर जानकारी की मांग

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, श्रीमती गौरीदेवी जी की जो सूचना थी, उसके बारे में कहा था कि इस समय बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको सूचना दे दूं कि वहां से उत्तर आ गया है, अब उसको कल ले लिया जायगा।

लखनऊ मेडिकल कालेज के जूनियर डाक्टरों पर पुलिस द्वारा किए गये लाठी चार्ज के फलस्वरूप जूनियर डाक्टरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)---

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15 मार्च, 1981 को करीब छः बजे सायं के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ से सम्बद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय के मेडिकल वार्ड 4 में, बैड नं0 12 में भर्ती मरीज मीनू शाहपुर की मृत्यु के उपरान्त मरीज के अटेन्डेन्ट्स तथा उपस्थित डाक्टरों के बीच मृतक के उपचार को लेकर कहा सुनी हो गई जिसमें पुलिस को हस्ताक्षेप करना पड़ा। दोनों पार्टियों ने इस घटना की पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। इस घटना को लेकर जूनियर डाक्टरों ने अगले दिन से अर्थात् 16 मार्च, 1981 से पूर्ण हड़ताल करने का निश्चय किया। 16 मार्च को हड़ताल रही परन्तु आपातकालीन सेवायें चालू रहीं। घटना की मैजिस्टीरियल जांच हो रही है।

2---प्रधानाचार्य, के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ ने दिनांक 16 मार्च, 1981 को सभी अध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों की बैठक बुलायी। सबसे अनुरोध किया गया कि वे चिकित्सालय की इमरजेन्सी सेवाओं को जारी रखने तथा मरीजों की देखभाल में अपना पूर्ण सहयोग दें। प्रधानाचार्य के इस अनुरोध को स्वीकार करने हुए डाक्टरों ने इमरजेन्सी सेवाओं की सभी सेवाओं को जारी रखा और वार्डों में भर्ती मरीजों की देखभाल की व्यवस्था ठीक रखी। इसी दिन हास्पिटल बोर्ड आफ मैनजमेंट की बैठक भी की गई जिसमें जूनियर डाक्टरों तथा छात्रों की दस मांगों के ज्ञापन पर विचार किया गया। कुछ मांगें मान ली गई व शेष विचाराधीन रखी गई। हास्पिटल बोर्ड आफ मैनजमेंट के निर्णय के आधार पर व मुख्य मंत्री जी के अनुरोध पर डाक्टरों ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया। दिनांक 18 मार्च, 1981 से सभी जूनियर डाक्टर अपनी ड्यूटी पर आ गये। इसके बाद से चिकित्सालय का कार्य सुचारु रुप से चल रहा है और मरीजों के उपचार आदि में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है।

3---सही तथ्यों का स्पष्टतया पता लगाने की दृष्टि से इस घटना की मैजिस्टीरियल जांच के आदेश जिला मैजिस्ट्रट ने दिनांक 16 मार्च, 1981 को पारित कर दिये हैं। श्री अशोक कुमार खुराना, मुख्य विकास अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ इस मामले की जांच कर रहे हैं। इनको अपनी जांच आख्या एक माह में प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। चूंकि इस मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके है, अतः जांच के दौरान इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उपयुक्त न होगा।

श्री नन्द किशोर सिंह---

मान्यवर, इसमें कहा गया है कि कहा सुनी हो गयी और इसमें दो-तीन दिन हड़ताल चली। तो मैं जानना चाहता हूं कि दोनों तरफ से जो रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, वह क्या है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)---

धारा संख्या 235, थाना चौक, लखनऊ धारा 332, तारीख घटना 15-3-81, समय 5-45 बजे शाम, घटना स्थल मेडिकल कालेज, लखनऊ। तारीख 15-3-81, 7.30 बजे शाम, वादी प्रदीप कुमार गुप्त, पुत्र हरिश्चन्द्र गुप्त, रेजीडेन्ट मेडिकल कालेज, लखनऊ बनाम 4 रिस्तेदारान.....

श्री मोहन सिंह---

संक्षेप में बता दें केवल कन्टेन्ट्स ।

श्री लोकपति---

केवल चार लाइन है वह बता देता हूं संक्षिप्त में। उन्होंने कहा कि मरीज जो काफी सीरियस तथा अचानक दिल बन्द हो गया था, हम लोग इमरजेंसी में मैनजमेंन्ट कर रहे थे तभी उनके चार रिस्तेदारान आकर गाली देने लगे और मारना शुरु कर दिया कि एक डाक्टर कपिल की तो कान नाक से खून आना शुरू हो गया है । दूसरे डाक्टर को भी मारा-पीटा गया फिर हम लोगों ने पुलिस को इन्फार्म किया। यह घटना 5-45 शाम की है। प्रार्थी डा0 प्रदीप कुमार गुप्त, पुत्र श्री हरिश्चन्द्र गुप्त, 106 रेजीडेन्ट हास्टल, लखनऊ, डा0 कपिल रुप डा0 प्रदीप कपूर तारीख 15-3-81, समय साढ़े सात बजे। मरीज की तरफ से हैं। इसमें ऊपर वही सब है लकिन समय का अन्तर है। यह साढ़े आठ बजे शाम को दाखिल हुआ है। इसमें वादी सापुर जी, पुत्री मूनू सापुर जी। जांचकर्त्ता वही हैं। नकल तहरीर हिन्दी वादी। इसमें संक्षेप में उन्होंने कहा कि 4 बजे हमारे पिता की तबीयत खराब होने लगी। हमारी माता ने डाक्टरों से कहा कि बड़े डाक्टरों को बुलाओ। बड़े डाक्टर आये, उनका पेट दबाने लगे जिससे उनके मुंह से खून निकलने लगा। उन्होंने कहा हमारी माता मर गई और लोगों ने मारना शुरू कर दिया

श्री रियासत हुसैन---कौन सी धारा लगाई गई ?

श्री लोकपति---

इसमें सेक्शन 247/323/342।

लखनऊ नगर के थाना अमीनाबाद, थाना कैसरबाग तथा थाना नाका हिंडोला के अन्तर्गत एक ही दिन में तीन व्यक्तियों की हत्याओं के सम्बन्ध में वक्तव्य

[5 बजकर 11 मिनट]

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)---

दिनांक 27-3-81 को लगभग 9.15 बजे श्री अश्वनी कुमार अग्रवाल ने थाना अमीनाबाद पर यह सूचना दी कि उनका भाई रमेश कुमार अग्रवाल जब अपनी दूकान खोलने गल्ला मण्डी जाते हुए जैसे ही बनवारी पान वाले की दूकान के पास पहुंचा कि वहीं गुड्डू, पप्पू, सातकी, विनोद एवं उनके दो साथियों ने उन्हें रोका और तहबाजारी के पैसे मांगे। मना करने पर उन लोगों ने गालियां देना शुरू किया और सातकी ने चाकू से रमेश अग्रवाल की पीठ पर वार कर दिया जिससे वह गिर पड़ा। रमेश के साथी राम चन्दर पर विनोद ने वार किया पर वह बच गया। काफी भीड़ हो जाने से अभियुक्तगण भाग गये। घायल रमेश अग्रवाल को बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गयी।

2---इस सूचना के आधार पर धारा 302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत थाना अमीनाबाद पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया जो विवेचना के आधार पर धारा 302/120-बी भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। फतेहगंज निवासी, लक्ष्मी नारायण तिवारी की तहबाजारी के प्रश्न को लेकर नगरमहापालिका से मुकदमा चल रहा है। नामांकित अभियुक्त, पप्पू, गुड्डू, विनोद, लक्ष्मी नारायण के पोते है, और सातकी इन का दोस्त है। यह लोग लक्ष्मी नारायण तिवारी की तरफ से तहबाजारी वसूल करते थे। तहबाजारी के लेन देन के कारण यह हत्या हुई है। नामांकित अभियुक्तों में से एक विनोद तथा लक्ष्मी नारायण तिवारी को हत्या के षड़यंत्र के आरोप में बन्दी बनाया जा चुका है। शेष की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

3---यह सही नहीं है कि अमीनाबाद थाने पर जब इस घटना की रिपोर्ट लिखाने लोग गये तब उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया व थाने पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजद नहीं था व रिपोर्ट लिखने से इंकार किया गया या आना कानी की गई। थाने पर निरीक्षक उपस्थित थे। यह असत्य है कि 3000 लोगों ने थाने का घेराव किया। इस हत्या के कारण व्यापारियों में थोड़ा रोष था। लगभग 100 व्यक्ति थाने पर आये थे। उन्हें जब वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया तो वे वापस चले गये। मृतक का शव लेकर

भैंसा कुंड जाते समय रास्ते में लोगों ने जिलाधिकारी के आवास पर रुक कर अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कारवाई की मांग की थी जिसका आश्वासन दिया गया और कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया। चूंकि गल्ला व्यापारी की हत्या हुई थी, अतः शोक में गल्ला व्यापारियों ने दुकानें बन्द की थीं, शेष बाजार खुला था। दो अभियुक्त बन्दी बनाये जाने के कारण निराशा, भय, आक्रोश या चिन्ता व्याप्त नहीं है।

4—दिनांक 26-3-1981 की रात को 9.30 बजे श्री आर0 के0 शर्मा ने थाना नाका हिन्डोला पर यह सूचना दी कि उसके पुत्र सुशील कुमार उर्फ टुनटुन की पुरानी शत्रुता सुनील कुमार उर्फ बबुआ बाजपेई से चली आ रही थी। बबुआ बाजपेई, उसको दोस्त राम बाबू तथा एक साथी ने रात्रि नौ बजे जब टुनटन पान की दुकान स्थित मंदिर शंकर जी दुगावां से सिगरेट ले रहा था, तमंचे से फायर किया जिसके फलस्वरुप वह गिर गया। आस पास उपस्थित लोगों ने अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया परन्तु अभियुक्तगण फायर करते हुए भाग गये। सुशील कुमार उर्फ टुनटुन को मेडिकल कालेज भेजा गया। इस सूचना के आधार पर थाना नाका हिन्डोला पर धारा 307 भा0 दं0 वि0 के अधीन अपराध पंजीकृत किया गया, जो श्री सुशील कुमार की मृत्यु की सूचना पर धारा 302 भा0 वि0 दं0 में परिवर्तित हुआ। घटना की सूचना मिलते ही थाना नाका के निरीक्षक मय अन्य कर्मचारियों के अविलम्ब घटनास्थल पर पहुंचे। अभियुक्तों की गिरफ्तारीतु उसी रात दविशें दी गई। बबुआ बाजपेई ने 27-3-81 को न्यायालय में आत्म मर्पण कर दिया। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

5—दिनांक 26-3-81 को रात 8-25 बजे श्री कन्हैयाा लाल, मलिक मकान 172/247 मोहल्ला लईयावाली गली के किरायेदार श्रीमती राम दुलारी ने कैसरबाग थाने पर यह सूचना भेजी थी कि श्री कन्हैया लाल के परिवार में झगड़ा हुआ। श्री कन्हैया लाल के लड़के त्रिभुवन ने अपनी औरत को मारा पीटा जिस पर श्री कन्हैया लाल की स्त्री अपनी बहू (त्रिभुवन की पत्नी) को लेकर अस्पताल गयी थी। श्री कन्हैया लाल जो दमे व टी0 बी0 के मरीज थे और आयु लगभग 75 वर्ष थी, जब आज लखनऊ आये तब उनके लड़के हरि प्रसाद ने कुछ गोलियां उन्हें खिलाई और वह बाहर चले गये। करीब 20 मिनट बाद श्री कन्हैया लाल की टट्टी जाते हुए मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट के तुरन्त बाद रात 8-30 पर श्री कन्हैया लाल की पत्नी ने श्रीमती रामदुलारी व उसकी लड़कियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई। श्री कन्हैयालाल की लाश के पोस्ट मार्टम से ज्ञात हुआ है कि उसकी मृत्यु सिर में लगी चोट से हुई है। अब तक की विवेचना से टट्टी जाते समय गिरने से मौत होना पाया गया। विवेचना प्रचलित ह।

6—न्यूफिट, टेलरिंग प्रेम बाजार, निशातगंज से 24-3-1981 को अनिल तिवारी व उनके साथी जब अपने सिले हुए पैन्ट लेने आए तो सिलाई के पैसे देने से मनाकर दिया। कहा कि हम जहां कपड़ा सिलाते हैं, वहां पैसा नहीं देते। हमें पहचानते नहीं हो। पैन्ट न देने पर यह कहते हुए चले गये कि पैन्ट हमारे घर पहुंचाने आओगे। 26-3-81 को दोपहर में अनिल तिवारी 3 साथियों के साथ आए और पिस्तौल निकाल कर पैन्ट मांगी। पैन्ट सिलने वाले मास्टर के सीने पर पिस्तौल लगा दी। इस पर इन्हें पैन्ट दे दिए गये। अभियुक्तगण 3 पैन्ट सिली हुई तथा रु0 1100 भी लूट कर ले गये। सभी दूकान से नीचे पहुंचे और डराने के लिए फायर किया जो दीवार में टकरा कर वहीं पास खड़े अवधेश अवस्थी के हाथ में गोली लगी गई और गली से अपने स्कूटर पर भाग गये।

सूचना मिलने पर थाना महानगर में धारा 394/397 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा दर्ज हुआ व घायल अवधेश को अस्पताल पहुंचाया गया। विवेचना के फलस्वरुप दो अभियुक्त अजय सिंह व विवेक शुक्ला को 27-3-81 को जेल भेजा गया। शेष दो अभियुक्तों, अनिल तिवारी तथा सुरेन्द्र की गिरफ्तारी का विशेष प्रयास किया जा रहा है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

काफी विस्तार में आ गया है।

*श्री रियासत हुसैन—

चूंकि लखनऊ का मामला है आज सुबह जब हम यहां आये तो अखबार में फिर पढ़ने को मिला, कुछ घटनायें पढ़ने को मिली इसकी वजह से कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी इस बात की विशेषतौर से जांच कराइये, यह प्रदेश की कैपिटल है, यहां इस किस्म की वारदात हो रही है जिनके बारे में पढ़ने में आ रहा है कि इसमें कुछ राजनीतिक शरण है, कुछ पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों का हाथ है। तो जो गुन्डा एलीमेंट है उसके बारे में जो आपरेशन हो रहे हैं, उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

उरई, जिला जालौन के अन्तर्गत थाना चुर्खी के थानाध्यक्ष, एक सब इन्सपेक्टर तथा एक सिपाही की डकैतों द्वारा मौत के घाट उतार देने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

[5 बजकर 20 मिनट]

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

दिनांक 26–27 मार्च, 1981 के रात पौने तीन बजे श्री कलीराम सिंह थानाध्यक्ष, सब-इन्सपेक्टर भूरेलाल सब इन्सपेक्टर मुन्शीलाल मय पुलिस फोर्स के निभाना व डरकारा गांवों में विजय सिंह गैंग के मौजूद होने की सूचना पर दविश देने गए थे। सूचना सही नहीं निकली। लौटते ही थाना चुर्खी पर यह सूचना मिली कि श्रीराम व लाला राम का गिरोह, ग्राम सेमथाना चुर्खी में मौजूद है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष चुर्खी श्री कलीराम सिंह समय पर उप निरीक्षक श्री भूरेलाल, व 6 कांस्टेबिल, कपड़े उतारकर सादे लिवास में, किन्तु हथियारों सहित तथा डेढ़ सेक्शन पी0 ए0 सी0 के साथ तुरन्त ग्राम सेम गए। पी0 ए0 सी0 को लगभग 400 गज पीछे छोड़कर डकैतों के स्थान का पता लगाने हेतु वह गांव में घुसे। जब वह गांव में खोजबीन कर रहे थे तभी संतराम चमार के घर के अन्दर से पुलिस पर गोलियों की बौछार प्रारम्भ हो गई। थानाध्यक्ष कलीराम सिंह, उप निरीक्षक भूरेलाल और कांस्टीबिल इन्दरपाल सिंह, जो इस मकान के सामने थे को चोटे लगीं। घायल अवस्था में भी उक्त पुलिस कर्मचारी गोलियों का जबाव देते रहे किन्तु अन्ततोगत्वा धराशयी होकर वीरगति को प्राप्त हुए। डकैत गोलियों की बौछार करते रहे वे थानाध्यक्ष कलीराम सिंह व कान्सटेबिल इन्दर पाल सिंह की राइफल ले गए। शेष पुलिस कर्मचारियों ने जबाबी फायर किये व उनका पीछा भी किया परन्तु गिरोह के सदस्य जंगल, बीहड़ों तथा अंधेरे का फायदा उठाते हुए घटनास्थल से भागने में सफल हुए। सूचना के अनुसार एक डकैत को भी गोली की चोट लगी परन्तु वह अन्य डाकुओं के साथ भागने में सफल हुआ। पुलिस अधीक्षक जालौन व उपाधीक्षक गण भी फोर्स सहित घटनास्थल पर पहुंचे व रात में ही क्षेत्र में जहां जहां इन डकैतों के होने की संभावना थी वहां दविश आदि देने की व्यवस्था की। पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी भी मौके पर पहुंचे व आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की व्यवस्था की। सूचना पर कानपुर व इटावा जनपदों में भी दविश दी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक व उप पुलिस महानिरीक्षक (दस्यु उन्मलन अभियान) भी घटना स्थल पर पहुंच गये हैं।

2—पोस्ट मार्टम के बाद जब वीरगति प्राप्त इन पुलिस कर्मियों के शव पुलिस लाइन उरई में लाए गए तभी से जनता का श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु तांता लगा रहा। राज्य गृह मंत्री जी ने शासन की ओर से दिनांक 29–3–81 को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक सभा में भाग लिया। राज्य गृह मंत्री जी ने मुख्य मंत्री की ओर से वहीं यह घोषणा की कि देय सहायता के अतिरिक्त, थानाध्यक्ष कलीराम, सब इन्सपेक्टर भूरेलाल व कांस्टेबिल इन्दर पाल सिंह के आश्रितों को क्रमशः 20,000, 15,000 व 10,000 आर्थिक सहायता दी जा रही है। जनता व पुलिस फोर्स में अदम्य उत्साह है। जनता ने इनके आश्रितों के लिए रु0 10,000 से भी अधिक धनराशि दी है तथा और भी धन आ रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

*[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

मान्यवर, इस संबंध में आपके निर्देशानुसार मुझको यह निवेदन करना है कि पुलिस अधीक्षक ने कल मुझे बताया था कि कुछ समाचार पत्रों में घटना का जो विवरण छपा है, वह वास्तविकता से परे है। पुलिस अधीक्षक, ने पुलिस कर्मियों द्वारा दी गई आहूति के बावजूद उनके बारे ऐसे समाचार छपने पर अपना दुःख प्रकट किया था और मुझ से निवेदन किया था कि अगर माननीय सदन और माननीय सदस्यों के माध्यम से हम कुछ और कर सकें, तो उसमें उस ओर भी करें। इसलिए, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों के समक्ष एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि जब कलीराम सिंह की पत्नी जिसकी मांग का सिन्दुर उसी वक्त धुला था और श्री भूरे लाल की पत्नी और अन्य लोग उसे सांत्वना दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारे पति ने भारत माता के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की आहुति दी है, तभी एक समाचार-पत्र में एक समाचार मिला जिससे उनके परिवार वाले और अन्य लोग भी दुखी हुए इसलिए मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य उनके प्रति जो अपनी जानों की बाजी लगाकर डाकुओं के उन्मूलन में लगे हुए हैं.....

श्री रियासत हुसैन—

आखिर वह समाचार क्या था जो छपा था?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

उस समाचार पत्र की कापी मंगाने की मैंने कोशिश की लेकिन उस वक्त उपलब्ध नहीं हो पाया। यह आज के कानपुर के समाचार-पत्र में छपी है जिससे लोगों में काफी रोष है। उसके बारे में जो पुलिस के लोगों ने आहुति दी है, या दे रहे हैं, अगर अधिक कुछ न कहकर उनकी बलिदान के बारे में उनकी प्रेरणा के बारे में ही 2 शब्द कहें तो उपयुक्त होगा।

श्री रियासत हुसैन—

जो सूचना समाचार पत्र में छपी है उससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला है?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

कुछ निष्कर्ष निकाला है। चूंकि उस सूचना को मैंने अक्षरशः नहीं पढ़ा है अतः उसका भाव ही मैं बता रहा हूं। उसमें यह था कि पुलिस के किसी कर्मी ने कलीराम को पकड़ा और ले जाकर काट दिया। जब मैंने स्वयं कोई सूचना नहीं पढ़ी है तो कैसे कोई बात स्पष्ट कह सकता हूं।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, इसमें केवल प्रश्न होंगे या इस पर चर्चा होगी?

श्री मोहन सिंह—

जब परसों हमने इस प्रश्न को उठाया था तो आपने कहा था कि उत्तर आने दीजिए। अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो चर्चा करा देंगे। इसलिए आप माननीय शंकर सिंह जी को 2 शब्द कहने दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अगर 2 शब्द कहने के बाद भी संतोष न हुआ तो?

श्री मोहन सिंह—

हम तो इस पर चर्चा चाहते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, पूरी जानकारी मंत्री जी को नहीं मिल पायी है कोई सूचना अखबार में छप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा]

गयी। जब तक सारे तथ्य माननीय मंत्री जी के सामने न आ जायं तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मेरे विचार में इस पर चर्चा होनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप इस पर आज चर्चा चाहते है तो मैं सदन का समय बढ़ा कर आज चर्चा करा दूंगा और यदि आप चाहते है कि पूरी विवेचना हो जाय तभी चर्चा हो तो कल में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुला लेता हूं। जब आप चाहेंगे चर्चा करा दूंगा।

श्री थम्मन सिंह गहलौत—

मेरे विचार में पूरी सूचना आ जाय तभी चर्चा करना उचित होगा।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने सदन में दी है, इससे अधिक वे सूचना सदन में दे नहीं सकते है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए अगर अधिक सूचना देंगे तो वह उसके बरअक्स होगी। माननीय मंत्री जी ने इस पर अपना दुःख प्रकट किया और हमको भी दुःख है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर चर्चा करवा दें। "आज" की कापी है मेरे पास उसे आप देख लें।

श्री अध्यक्ष—

आज कराना चाहें तो आज करा लें चर्चा, कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कर लें और उसमें तय हो जायगा कि कब चर्चा हो सकेगी। (कुछ रुककर) तो कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हो जायेगा कि इसकी चर्चा कब हो।

दर्शक-दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

एक कार्य बाकी रह गया है। आज 2 बजकर 5 मिनट अपराह्न के समय दर्शक दीर्घा में सीटी बजाने, पर्चे फेंकने तथा नारे लगाने की घटना हुई। इस संबंध में मार्शल से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह इस प्रकार है—

आज दिनांक 30 मार्च, 1981 को 12 बजकर 5 मिनट पर, जबकि सदन की कार्यवाही चल रही थी, शासन पक्ष के पीछे की ओर की दर्शक दीर्घा नम्बर 4 से एक व्यक्ति ने ऊपर से एक बार सीटी बजाकर नीचे सभा मण्डप में कुछ पर्चे फेंके, साथ ही "भारत माता की जय" का एक नारा भी लगाया। नारे लगाते ही उक्त दीर्घा में तैनात रक्षकों ने तुरन्त ही उसे अपने कब्जे कर लिया और वहां से हटा दिया। उसके पास से दीर्घा के प्रवेश पत्र तथा उसी सीटी को लेकर उस व्यक्ति को तुरन्त वहां से हटाकर नीचे ले आये और वह व्यक्ति मार्शल की हिरासत में बैठा दिया गया है।

पूछे जाने पर ज्ञात हुआ कि इस व्यक्ति का असली नाम श्री उदयराज "अकेला" है, जो कि अपने को गोरखपुर का निवासी बतलाता है, परन्तु इस व्यक्ति ने मुझसे यह कहा कि उसने विजय प्रकाश के फर्जी नाम से श्री पंचानन राय, सदस्य, विधान सभा से दर्शक दीर्घा का 30-3-1981 का दारुलशफा से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया था। उक्त प्रवेश पत्र संख्या 8826 तथा सदन में फेकें गये पर्चे की प्रति †संलग्न है।

यह व्यक्ति घटना के पश्चात से मार्शल की अभिरक्षा में बैठाया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस व्यक्ति ने अपने बायें हाथ में लगभग डेढ़ फीट का फर्जी प्लास्टर चढ़ा रखा था जिस पर लाल स्याही से 26.3 तिथि पड़ी हुई है। इस व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि उसने पर्चों को उसी प्लास्तर में छिपा रखा था।

श्री मोहन सिंह—

पर्चा पढ़ दिया जाय ताकि सदन के संज्ञान में आ जाय।

---

†छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष—

पर्चा पढ़ लीजियेगा। अब आप बैठ जायं ।

श्री मोहन सिंह—

हमको दंड देना है लिहाजा पर्चे को पढ़कर आप उसके अपराध की परिधि को जान सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना ही उसका अपराध है।

श्री राम आसरे वर्मा—

अपराध करने की उसकी क्या नीयत रही है ?

(कई सदस्यों के खड़े होने तथा एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप सभी बैठें । किसी अजनबी की बात को हम कार्यवाही में नहीं लाना चाहेंगे।

(श्री मसरूर जाफरी के खड़े होने पर)

मसरूर जांफरी साहब बैठें। उक्त व्यक्ति ने दर्शक दीर्घा में सीटी बजाकर, पर्चे फेंककर और नारे लगाकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया और सदन का अवमान किया। उक्त व्यक्ति मार्शल की अभिरक्षा में है। ऐसे व्यक्ति को अनावश्यक महत्व नहीं दिया जाना चाहिये। अतः यदि सदन सहमत हो तो उक्त व्यक्ति जितनी देर मार्शल की अभिरक्षा में रह चुका है, उसे उसके अपराध का पर्याप्त दंड मानते हुए, रिहा कर दिया जाय। यदि माननीय सदस्यगण इससे सहमत हों तो इतनी सजा के बाद उसको छोड़ दिया जाय।

(दोनों पक्षों से सहमति मिलने पर)

तो ठीक है, मार्शल अब उसे रिहा कर दिया जाय ।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 31 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
30 मार्च, 1981 ।

बिधान सभा मधुबनी

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 108 पर)

प्रेषक,

उप निदेशक,
पशुपालन विभाग,
(सघन पशु विकास खण्ड) लखनऊ ।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

संख्या 10913/स्था0 शि0

दिनांक लखनऊ, नवम्बर 21, 1980 ।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2584/ई0 सी0–34 बी(398), दिनांक 25–4–80 का अवलोकन करें, जिसके साथ डा0 आर0 एस0 श्रीवास्तव, लखनऊ के विरुद्ध श्री सूरज प्रकाश गर्ग, माडल हाउस, लखनऊ, दिनांक 20–2–80 का एक शिकायती पत्र संलग्न कर भेजा गया है ।

इस संबंध में जैसा कि संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) को सम्बोधित इस कार्यालय के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 10661–62/स्था0 शि0, दिनांक 11–11–80 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि शिकायत कर्त्ता श्री सूरज प्रकाश गर्ग, को शिकायत की पुष्टि हेतु रजिस्टर्ड पत्र द्वारा कार्यालय में उपस्थित होने को लिखा गया था, परन्तु लिफाफा इस नाम के व्यक्ति के पता न लगने पर वापस आया है । इससे यह सिद्ध होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जिला पशुधन अधिकारी को बदनाम एवं परेशान करने के उद्देश्य से फर्जी नाम और पते से शिकायती पत्र भेज दिया गया। शिकायती पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में पूछने पर जिला पशुधन अधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 1782, दिनांक 5–11–80 मे लिखा है, कि उनके कार्यालय में प्राप्त होने वाले यात्रा भत्ता बिलों को नियमितरुप से आवश्यक कार्यवाही करते है, तथा किसी भी कर्मचारी से उसका नकदीकरण अवकाश आदि स्वीकृत करने के संबंध में किसी प्रकार का कोई पैसा आदि नहीं लिया जाता है । जहां तक वेतन वितरण का प्रश्न है, नियमित रुप से प्रत्येक माह की चार तारीख को पशु धन विकास अधिकारियों को होने वाली मासिक बैठक में क्षेत्र के कर्मचारियों का वेतन दे दिया जाता है । इस प्रकार किसी कर्मचारी को उनके वेतन आदि से किसी प्रकार की कटौती करने का प्रश्न नहीं उठता । व्यवहार के संबंध में उनका कहना है कि कार्यालय में आने वाले कर्मचारी की बात सुनकर संबंधित लिपिक को अपने समक्ष बुलाकर प्रत्येक समस्याओं को सुलझाने का भरसक प्रयास करते हैं उनके कार्यालय के समस्त कर्मचारी पूर्णतया व्यवहार कुशल है तथा आने वालों से अशिष्ट व्यवहार नहीं करते हैं ।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए शिकायत में लगाये गये आरोप निराधार प्रतीत होते हैं । अतः ऐसी दशा में आपसे अनुरोध है कि इस शिकायत को निक्षेप कर दिया जाय ।

भवदीय,

ओ0 पी0 द्विवेदी,
उप निदेशक ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 109 पर)

संलग्नक

क्र0 सं0	विकास खंड का नाम	योग रु0	पैसे
1	देवरिया	322251	22
2	बैतालपुर	213946	23
3	रामपुर कारखाना	140546	98
4	गौरीबाजार	190557	81
5	देसरईदेवरिया	147929	92
6	पथरदेवा	153452	99
7	रूद्रपुर	198810	43
8	हाटा	156853	47
9	सुकरौली	111217	84
10	मोतीचक	75698	51
11	कप्तानगंज	308378	53
12	रामकोला	152786	27
13	खंडडा	135158	00
14	नेबुआ नौरंगिया	30083	29
15	पडरौना	117366	44
16	बिशुनपुरा	128329	60
17	दुधई	135018	75
18	सेबरही	142556	10
19	तमकुही	141604	58
20	फाजिलनगर	156607	06
21	कसिया	237783	75
22	सलेमपुर	248798	19
23	लार	101046	51
24	भागलपुर	158875	81
25	बरहज बाजार	301579	94
26	भलुअनी	144122	21
27	भटनी	174627	50
28	भाटपाररानी	251920	35
29	बनकटा	223480	09
	योग	5001384	35

पी0एस0यू0पी0-एल0 68 वि0स0 (119)-1982-813।

उत्तर प्रदेश विधान सभा